लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6.7.12
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

1353

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 7–बुधवार, 31 मई 1967/10 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 7 Wednesday, May 31, 1967/Jyaistha 10, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
181 दिल्ली में हड़ताली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against the striking Policemen in Delhi	867–869
182 दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में खोसला आयोग	Khosla Commisson on Delhi Police	869–87·
183 दिल्ली के पुलिसमैनों द्वारा हड़ताल	Strike by Delhi Policemen	870–871
185 दिल्ली पुलिस द्वारा आन्दोलन	Agitation by Delhi Police ..	871–872
186 दिल्ली पुलिस संघ	Delhi Police Union	872
187 दिल्ली पुलिस आन्दोलन	Delhi Police Agitation	872–873
188 दिल्ली पुलिस की हड़ताल के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स तथा मध्य प्रदेश पुलिस का लगाया जाना	Commissioning of the Services of C. R. P. B. S. F. and M. P. Police during Delhi Poliec Strike ..	873-880
184 छोटी सादरी सोना गबन काण्ड	Chhoti Sadri Gold Scandal Case	880–882
अ. सू. प्रश्न S. N. Q.		
4 भिलाई इस्पात कारखाने के मजदूर नेता द्वारा अनशन	Fast by Labour Leader at Bhilai Steel Plant ..	882–884

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
189 बिहार में धर्म परिवर्तन	Conversions in Bihar	884–885
190 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत	Leave Travel Concession to Central Government Employees	885-886
191 वैज्ञानिकों के 'पूल' के लिये भर्ती	Recuritment to scientists pool ..	886
192 मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Mizos	886–887

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
193 कारों तथा मोटर साइकिलों की चोरी	Theft of cars and motorcycles	887
194 भारत सेवक समाज	Bharat sewak samaj	887–888
195 इन्जीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry..	888-889
196 सम्मानार्थ उपाधियां	Honorary Degrees	889
197 सारी भारतीय भाषाओं के लिये एक लिपि का प्रयोग	Common Script applicable to all Indian Languages .. .. —	889–890
198 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	National Laboratories	890
200 दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका का वित्तीय ढाँचा	Financial Structure of DMC & N.D.M.C. ..	891
201 लाल डेंगा की वापसी	Return of Lal Denga —	891
202 पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pak Refugees in Eat Bengal	891–892
203 बेकारी बीमा	Insurance for Jobless	892
204 निजी थैलियां	Privy Purses	893
205 शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	893–894
206 मास्टर तारासिंह द्वारा वक्तव्य	Statement by Master Tara Singh	894
207 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में छंटनी	Retrenchment in Central Hindi Directorate	894
208 चौथी योजना में नये विश्वविद्यालय	New Universities in Fourth Plan ..	894-895
209 केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध	Centre-State Relations	895
210 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन	Amendment of Payment of Bonus Act, 1965 ..	895
अता. प्र. सं. Unstared Q. Nos.		
960 हरियाना राज्य में डाकघर	Post offices in Haryana State	895
961 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आचार संहिता	Code of conduct for central Government Servants	896
963 न्यूज पेपर्ज लिमिटेड, इलाहाबाद	News papers Ltd., Allahabad ..	896
964 नागरिकता सम्बन्धी नियम	Citizenship Rules	896–897
965 त्रिपुरा में आपातकाल तथा भारत सुरक्षा नियमों का हटाया जाना	Lifting of Emergency and DIR in Tripura	897

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
967	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned officers	897-898
968	अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोगों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes in the All India Services	898-899
969	दिल्ली पुलिस संबंधी विवाद में मध्यस्थता करने के बारे में बिहार के एक मंत्री की पेशकश	Bihar Ministry's offer to mediate in Delhi Police Dispute	899
970	गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी सेवा में वैज्ञानिकों का वेतन	Pay of scientists in Private Sector and in Government Service	899-900
971	प्रकाशन उद्योग	Publishing Industry ..	900
972	दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना	Dismissal of Delhi Policemen ...	900
973	नई दिल्ली में राजपथ पर पुलिस के एक ट्रक का उलट जाना	Over-turning of Police truck on Rajpath, New Delhi	900-901
974	दिल्ली सशस्त्र पुलिस	Delhi Armed Police	901
975	दिल्ली--शाहदरा में गोला बारूद का पकड़ा जाना	Ammunition Unearthed in Delhi-Shahdara ..	901-902
976	डाक टिकटों का निर्यात	Export of Stamps	902
977	दिल्ली में मोजों, बनियान आदि वस्तुओं (हौजरी) पर बिक्री कर	Sales Tax on Hosiery Goods in Delhi ...	902-903
978	दिल्ली में बिक्री कर समाप्त करना	Abolition of Sales Tax in Delhi	903
979	निजी थैलियों की अदायगी	Payment of Privy Purses	903
980	काश्मीर पोलीटिकल कांफ्रेंस की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को ज्ञापन	Memo from Kashmir Political Conference to UN Secretary General	903-904
981	उच्चतम न्यायालय में मुकदमें	Cases in Supreme Court	904
982	भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये विशेष भर्ती	Special recruitment for IAS	904

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

983 भारत में जासूसी करने वालों की गिरफ्तारियां	Arrests for spying in India	905
984 डाकुओं द्वारा चोरी छिपे हथियार लाया जाना	Smuggling of Arms by Dacoits ..	905
985 संगीत नाटक अकादमी	Sangeet Natak Academy	905-906
986 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges Against I. P. S. Officers	906
987 पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Immigrants from East Pakistan	906-907
988 दिल्ली के रोजगार दिलाने वाले दफ्तर में पंजबद्ध तकनेशियन	Technicians registered in Employment Exchange, Delhi	907
989 राजस्थान में रोजगार दिलाने वाले दफ्तर	Employment Exchanges in Rajasthan	907
990 दिल्ली में प्राथमिक पाठशालाओं में दाखिला	Admission to Primary Schools in Delhi	907
991 सूक्ष्म विद्युत तरंगों से समाचार भेजने की प्रणाली (माइको-रिले सर्विस)	Micro-relay Service in Saurashtra	908
992 स्वचालित यंत्रों के प्रयोग के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference on Automation ..	908
993 बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Electricity Industry	909
994 सचिवों के वेतन	Salaries of Secretaries	909-910
995 श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for working Journalists ...	910
997 दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears to Delhi Municipal Corporation School Teachers ...	910-911
998 गृह-कार्य मंत्री के निवास स्थान पर पुलिस द्वारा प्रदर्शन	Police Demonstration at Home Minister's Residence	911
999 चमड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Leather Industry	911-912
1000 इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर	Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore ..	912

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1001	घूसिक कोयला खान, रानीगंज	Ghusick Colliery, Raniganj	913
1003	इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज के धन का गबन	Misuse of Funds of Indraprastha College for Women	913
1004	डाक जीवन बीमा	Postal Life Insurance	914
1005	मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of Mithila University ..	914
1006	दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों की वित्तीय स्थिति	Financial Position of Delhi University Colleges	914-915
1007	जम्मू और काश्मीर में व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेजों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to professional Colleges in J&K.	915
1008	दिल्ली में स्थानीय टेलीफोन करने का शुल्क	Local Telephone Cal Rlates in Delhi ...	915
1009	काश्मीर में जनमत संग्रह	Plebiscite in Kashmir ..	916
1010	दिल्ली में शहरी सम्पत्ति कर	Urban Property Tax in Delhi	916
1011	त्रिपुरा में भीषण आंधी	Tripura Squall ...	916-917
1012	धोरी कोयला खान दुर्घटना	Dhori Colliery Accident	917
1013	टेलीफोन वालों को सीधे डायल करने की सुविधाएं	Subscriber's Trunk Dialling facilities	917-918
1014	कर्मचारी भविष्य निधि के बम्बई प्रादेशिक कार्यालय में हिसाब किताब के लिए यंत्रों का प्रयोग	Mechanisation of Accounts in Bombay Regional office of Employees Provident Fund	918-919
1015	अमेरिका से साज सामान की प्राप्ति	Procurement of Equipment from USA ...	919
1016	मक्सिको में ओलम्पिक खेलों सम्बन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग लेना	Indian Representation for cultural Programme in Mexico on olympic Games	919-920
1017	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working Journalists ..	920
1018	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee ..	920

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1019	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा तालाबन्दी	Lock-out by Hindustan Lever Ltd.	921
1020	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्नोत्तर की भाषा	Language of UPSC Examinations ..	921
1021	प्रधान मंत्री के लिये सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements for Prime Minister ...	921-922
1022	नई दिल्ली नगरपालिका के नये स्कूल	New N. D. M. C. Schools ..	922
1023	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का बड़ी संख्या में आना	Influx of displaced Persons into Tripura ...	922-923
1024	अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद	Inter-State Border Disputes	923
1025	पश्चिमी बंगाल में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का दर्जा बढाना	Upgrading of IAS Officers in West Bengal ...	23-924
1026	चलचित्र उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Film Industry	924
1027	सुरक्षा सैनिकों और मीजो विद्रोहियों की मुठभेड़	Clash between Security forces and Mizos ..	924-925
1028	भुवनेश्वर स्थित उत्पत्ति-विज्ञान तथा आयु-विज्ञान प्रयोगशाला	Genetics and Biometry Laboratory Bhubaneswar	925
1029	बर्मा से दिल्ली आये हुए भारतीयों के पुनर्वास पर व्यय	Expenditure on Rehabilitation of Repatriates from Burma in Delhi	925-926
1030	भारत में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ	Foreign Technical Experts in India	926
1031	पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी	Unemployment of Literates	926
1032	मंत्रियों के निजी कर्मचारी	Personal staff of Ministers	926
1033	उत्तर प्रदेश में डाकघर की सुविधायें	Post Office Facilities in U.P.	927

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1034	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों का मासिक वेतन	Monthly Emoluments of CRP Constabulary ...	927-928
1036	दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर राज्यों के अधिकारी	Officers from States on Deputation in Delhi	928
1037	राज्यपालों के पद	Insitution of Governors	928
1038	पालमपुर में जीव विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Biological Laboratory at Palampur	928-929
1039	कांगड़ा डिविजन में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P&T Employees in Kangra Division	929
1040	राज्यों में नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा	Free Primary Education in States ..	929-930
1041	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनर्वास	Rehabilitation during the Fourth Plan ..	930
1042	नेफा का प्रशासन	Administration of NEFA	930
1043	सालारजंग लायब्रेरी	Salar Jung Library	930-931
1044	मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों में परिचालित किये गये क्षमा याचना पत्र	Aplogy form circulated to students in M.P. ..	931
1045	पुरातत्वीय स्थानों की उपेक्षा	Neglect of Archaeologial Sites	931-932
1048	पाकिस्तान सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में घुसपैठ	Pak Soldiers' Intrusion into Indian Territory	932
1049	राजस्थान के श्री गंगा-नगर जिले में शरणार्थी	Refugees in Sri Ganga Nagar District, Rajasthan	933
1050	लोगों का दण्डकारण्य छोड़ कर चला जाना	Desertions from Dandakaranaya	933
1051	नागरिक सुरक्षा संबंधी विधान	Civil Defence Legislation..	933-934
1052	भारत में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक	Foreign Christian Missionaries in India	934
1053	औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी	Unemployment in Industrial Sector	934

1054	राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of National Discipline Scheme	934.935
1055	उत्कल विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह	Cultural Festival in Utkal University	935
1056	सीमा विवाद सम्बन्धी एक-सदस्यीय आयोग	One Man Commission on Boundary Dispute..	935-936
1057	मैसूर में तकनीकी व्यक्तियों में बेरोजगारी	Unemployment Technical Persons in Mysore ...	936
1058	राजस्थान में डाक सेवायें	Postal Services in Rajasthan	936-937
1059	राजस्थान में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Telephone Revenue outstanding in Rajasthan..	937
1060	राजस्थान में डाकघर	Post Offices in Rajasthan	937
1061	राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Rajasthan	937-938
1062	उड़ीसा तथा राजस्थान में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	Scheduled castes and scheduled Tribes Candidates Registered in Orissa and Rajasthan..	938
1063	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे उड़ीसा सरकार के पदाधिकारी	Orissa Government Officials Working in Central Government Offices..	938-939
1064	बिना लाईसेंस के रेडियो सैट	Private Radio Sets	939-940
1065	रायगुड़ा में डाक और तार घर की इमारत	P. & T. Building in Raigura ..	940
1066	आदिवासी श्रमिक	Tribal Labour	941
1067	नेवेली लिग्नाइट खानें	Neyveli Lignite Mines	941
1068	इम्फाल का छावनी क्षेत्र	Cantonment Area, Imphal	941-942
1069	शिक्षा प्रणाली	System of Education	942
1070	मैथिली भाषा	Maithili language	942-943
1071	क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कोन्सिलस)	Zonal Councils	943
1072	दिल्ली प्रशासन का कार्य	Working of Delhi Administration	943-944
1073	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Indiscipline among students	944

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
1074	सब–पोस्ट मास्टरों को रविवार की ड्यूटी	Sunday duty for Sub-Postmasters ..	944
1075	पार्सल में पाया गया बम	Bomb found in a parcel	944-945
1076	वैज्ञानिकों की तैनाती	Deployment of Scientists	945
1077	दिल्ली में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन	Pay of Delhi Schools Teachers	945-946
1078	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का संशोधन	Amendment of UGC Act	946
1079	विभिन्न जातियों के स्नातकों की संख्या	Number of Graduates among different Committees	946-947
1080	समाचार पत्रों के लिये समुद्री तार की दरें	Press Cable Rates	947
1081	चिल्डरन बुक ट्रस्ट की पूंजी	Capital of Children Book Trust	947-948
1082	अन्दमान की कोठरियों वाली जेल	Andaman Cellular Jail ..	948
1083	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	Higher Secondary Schools in Andaman and Nicobar Islands..	948-949
1084	अन्दमान द्वीप समूह में 'मई दिवस' की छुट्टी	'May Day' Holiday in Andaman Islands ..	949-950
1085	अन्दमान में स्टाफ, कार सम्बन्धी नियम	Staff Car Rules in Andaman	950
1086	संग्रहालयों को सहायता अनुदान	Grants in aid to Museums	950-951
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	951
केरल के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री के बीच बातचीत		Talks between Chief Minister of Karala and Union Food Minister	951-954
श्री स./मो. बनर्जी		Shri S. M. Banerjee	951
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)		Re. Calling Attention Notice (Query)	954
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table..	954-957

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	Procedure to be followed when charges are made against Ministers	957-958
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	958
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	958
बिहार को अनाज की सप्लाई के बारे में निर्देश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा तथा मंत्री का उत्तर	Statement by Member under Direction 115 re. Food Supply to Bihar and Minister's Reply thereto	958-960
श्री शिवचन्द्र झा	Shri S. C. Jha ..	958-959
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram ...	959-960
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	960-961
विश्व भारती की संसद (कोर्ट)	Samsad (Court) of Visva Bharti	960-961
अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Bill ...	961-968
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce ..	961
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan...	961
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	961
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shivaji Rao S. Deshmukh ..	961–962
श्री नाथपाई	Shri Nath Pai	962
श्री यशपाल सिंह	Shri Yaspal Singh	962
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Benerjee	962
त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri ...	962–963
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	963
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	963
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	963–964
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	964
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	964
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurthi	964–965
श्री दी. चं. शर्मा	Shri C. Sharma	965
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	966
श्री रंगा	Shri Ranga ..	966
श्री शिवनारायण	Sheo Narain ..	966
श्री मु. यू. सलीम	Shri M. Y. Saleem	967
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ..	967

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	967
रेलवे आयव्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा	Railway Budget General Discussion 1967-68	968-975
श्री दिग्विजयनाथ	Shri Digvijai Nath .. .. —	968-969
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Ghulam Mohammad Bakshi	969
श्री स. चु. जमीर	Shri S. C. Jamir	970
श्री जी. भा. कृपलानी	Shri J. B. Kripalani .. — ..	970-971
श्री मु. न. नाघनूर	Shri M. N. Naghnoor	972
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur — — — —	972
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह	Shri Rameshekhar Prasad Singh	972
परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Nuclear Non-Proliferation Treaty — .. — ..	973
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	973-974
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	974
श्री दी. चं शर्मा	Shri D. C. Sharma	974
श्री प्र. के. देव	Shri P. K. Deo .. .. —	974
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	974
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	974
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	974-975
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Commlittee	976
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report —	976
केरल की खाद्य स्थिति के बारे में	Re. Food Situation in Kerala .. .. —	976-977

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 31 मई, 1967/ 10 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Wednesday, May 31, 1967/Jyaistha 10, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, एक साथ लिये जायेंगे ।

श्री कंवरलाल गुप्त : दिल्ली पुलिस के बारे में 7 प्रश्न हैं । आप इन प्रश्नों के लिये आधा घंटा नियत कर सकते हैं, क्योंकि इस विषय पर पहले ही बहुत चर्चा की जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में भी देखा जायेगा । अब हम इन प्रश्नों को एक साथ लेते हैं ।

दिल्ली में हड़ताली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

+

***181. श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सूपकार :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज:
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :

श्री राम सेवक यादव
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री मोलाहू प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री देवेन सेन :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री शारदा नन्द :
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री विभूति मिश्र :
श्री कं० ना० तिवारी :
श्री बलराज मधोक :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कू
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस बल में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) अप्रैल, 1967 के मध्य में कितने पुलिस कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे;

(घ) कितने कर्मचारी अपने काम पर लौट आये थे;

(ङ) इस सम्बन्ध में कितने कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है;

(च) इस सिलसिले में कितने कर्मचारी मारे गये तथा उनके परिवारों को यदि कोई प्रतिकर दिया गया तो, कितना;

(छ) हड़तालियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने की संभावना है; और

(ज) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप कितने जन-घंटों का नुकसान हुआ ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) 15,4,45 (सभी श्रेणियां)

(ख) दिल्ली पुलिस दल के उन कर्मचारियों की संख्या जो 14/15-4-1967 को अनुपस्थित रहे 2837 थी। यह संख्या 20 अप्रैल, 1967 को घट कर 23 रह गई।

(ग) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार होने वाले कर्मचारियों की संख्या 1010 थी।

(घ) गिरफ्तार तथा बहुत थोड़े से अनुपस्थितियों (जिनकी संख्या 4 थी) को छोड़ कर शेष सभी काम पर वापस आ गये।

(ङ) 14 अप्रैल, 1967 को और उसके बाद इन आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में 11 व्यक्तियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया।

(च) दिल्ली पुलिस बल का एक सदस्य जिसे गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार व्यक्तियों को ले जाने वाले सीमा सुरक्षा दल के सदस्यों में से एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रक दुर्घटना में मारे गए। दिल्ली पुलिस के मृत कर्मचारी के परिवार को नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सामान्य अधिकृत प्राप्तियों के अलावा प्रधान मंत्री की सहायता निधि में से 5,000 रुपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी गई।

(छ) जिन लोगों के विरुद्ध स्पष्ट अभियोग लगाए गए हैं उन पर सामान्य रूप से न्यायालय में मुकद्दमें चलाए जाएंगे ।

(ज) अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होने वाले जन घंटों की हानि का वास्तविक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में खोसला आयोग

182. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० एम० मधुकर
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री सूपकार : महीप
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री वी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री ए० श्री धरन् :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री स्वैल :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर राव :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री प्र० क० देव :
~~श्री डी० एन० देव :~~ श्री धीरेन्द्र नाथ देव

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के विचारार्थ विषय क्या है;

(ख) क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या है; और

(घ) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयोग की नियुक्ति निम्न-लिखित विषयों की जांच करने और उनके बारे में सिफारिशें देने के लिए की गई है :—

(i) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों की सेवा, कार्य तथा जीवन की परिस्थितियों, तथा

(ii) उनकी दक्षता तथा कल्याण में प्रगति के लिये आवश्यक उपाय ।

(ख) आयोग ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है और अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतिक्षा की जा रही है ।

(ग) और (घ) : आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । जब तक सरकार प्रतिवेदन की पूरी तरह जांच न करले तब तक प्रति-वेदन की विषय वस्तु को प्रगट करना जन हित की दृष्टि से उचित न होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 182 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं ।

दिल्ली के पुलिसमैनों द्वारा हड़ताल

183. **श्री मोगेन्द्र झा** :
श्री श्रीचंद गोयल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
डा० रानेन सेन :
श्री शारदा नन्द :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री एस० एन० मैती :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ~~डी० एन० देव~~ : [धीरेन्द्र नाथ देव]
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नायपाई :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री समर गुह :
श्री आतन दास :
श्री एस० के० तापड़िया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सी० सी० देसाई :

श्री महाराज सिंह भारती :
श्री देवेन सेन :
श्री बलराज मधोक :
श्री ए० के० किस्कू
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुलिसमैनों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाल में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल करने वाले पुलिसमैनों की क्या मांगें थीं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 14 और 15 अप्रैल, 1967 को दिल्ली पुलिस के बहुत से कर्मचारी, 7 पुलिस कर्मचारियों के बर्खास्त किए जाने के फलस्वरूप, ड्यूटी से अनुपस्थित रहे ।

(ग) और (घ): दिल्ली पुलिस बल के सदस्यों की उचित शिकायतों के निवारण के लिए बहुत से उपाय अक्टूबर 1966 में किए गए थे । दिल्ली पुलिस बल के अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा, कार्य और जीवन की परिस्थितियों और उनकी दक्षता तथा कल्याण में प्रगति के लिये आवश्यक उपायों की जांच करके सिफारिशें देने के लिए नवम्बर, 1966 में एक जांच आयोग भी नियुक्त किया गया था । आयोग ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है जो भारत सरकार के पास विचाराधीन है और अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली पुलिस द्वारा आंदोलन

*185. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री अनन्तराव पाटिल :
डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अप्रैल, 1967 में जो पुलिस आंदोलन हुआ था, उसमें कुछ राजनैतिक दलों का हाथ था;

(ख) यदि हां, तो इन राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं; और

(ग) पुलिस को राजनीति से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसा विश्वास करने के कारण मौजूद है कि दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों में असन्तोष भड़काने में कुछ राजनीतिज्ञ दलों से सम्बद्ध व्यक्तियों का हाथ था ।

(ग) केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (आचार) नियमावली, 1964 (जो दिल्ली पुलिस बल

के सदस्यों पर भी समान रूप से लागू है) में किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी राजनैतिक दल में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य बनने अथवा उससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का निषेध है। पुलिस बल (अधिकार-निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 में भी पुलिस बल के सदस्यों को किसी राजनैतिक संस्था अथवा राजनैतिक संस्थाओं के किसी बर्ग का, केन्द्रीय सरकार अथवा विहित-अधिकारी की स्पष्ट स्वीकृति के बिना सदस्य बनने या उसके साथ किसी भी प्रकार से सम्बन्ध रखने पर भी निषेध है।

श्री प्र० के० देव : प्रश्न संख्या 185 के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है अर्थात् ऐसे दलों के नाम नहीं बताये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, ऐसे दलों के नाम नहीं दिये गये हैं। सदस्य महोदय दलों का नाम जानना चाहते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संयुक्त सोशिलस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से सम्बन्धित हैं।

श्री प्र० के० देव : कौनसी कम्यूनिस्ट पार्टी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वाम और दक्षिण पन्थी दोनों पार्टियां।

दिल्ली पुलिस संघ

*186. **श्री के० पी० सिंह देव** :
श्री डी० एन० देव :
श्री अनन्तराव पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सिंगापुर में बसे हुये भारतीय ने राजधानी में दिल्ली पुलिस संघ को एक गठित करने तथा हाल के पुलिस आंदोलन में सहायता दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1966 के अक्तूबर मास में पता चला कि भारतीय मूल के एक मलयेशियाई राष्ट्रिक ने, जो दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली के पुलिस दल को अनुशासन-भंग की कार्यवाहियों के लिये भड़काने में अवांछनीय भाग लिया था।

(ख) ज्योंही यह बात सरकार के ध्यान में आई, उसे एक दम निष्कासित कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस आन्दोलन

*187. **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल के पुलिस आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार पुलिस कर्मचारियों ने 21 अप्रैल, 1967 को जेल में भूख हड़ताल की थी;

(ख) इस भूख हड़ताल में कुल कितने पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया था;

(ग) भूख हड़तालियों की मांगें क्या थीं; और

(घ) भूख हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) 971.

(ग) उनकी मांग यह थी कि उन्हें जेल में 'बी' क्लास दी जाए।

(घ) उन्हें यह सलाह दी गई कि वे नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण देते हुए अलग अलग आवेदन पत्र दें ताकि उनके मामलों पर योग्यता की दृष्टि से विचार किया जा सके।

दिल्ली पुलिस की हड़ताल के दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स तथा मध्य प्रदेश पुलिस का लगाया जाना

188. श्री बी० के० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण सार्व-जनिक स्थानों पर दिल्ली पुलिस के बजाय सेंट्रल रिजर्व पुलिस तथा बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और दिल्ली पुलिस के बजाय अन्य पुलिस फोर्सों के कितने व्यक्ति लगाये गये थे;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस की इस गड़बड़ी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भी कुछ बटालियन देने के लिये कहा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जिस अवधि में दिल्ली पुलिस के कुछ अराजपत्रित कर्मचारी अनुशासन हीनता के कार्यों तथा गैर कानूनी गतिविधियों में लगे हुए थे, उस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ दस्तों को नियुक्त करके दिल्ली पुलिस दल की शक्ति बढ़ाई गई थी।

(ख) इन ब्यौरों को बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

(ग) और (घ) इस अवसर पर पड़ौस के एक राज्य अर्थात मध्य प्रदेश से कुछ पुलिस-दस्ते मंगाये गये थे। समय समय पर दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी किसी स्थिति का सामना करने के लिए ऐसा किया जाता है।

श्री नाथ पाई : आप क्या तरीका अपनाने जा रहे हैं ? लगभग 182 सदस्यों ने ये सब प्रश्न पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक प्रश्न से एक या दो सदस्यों को पुकारूँगा। यदि कोई माननीय सदस्य कोई अन्य तरीका सुझाएं तो, मैं उसे भी अपनाने को तैयार हूँ।

Shri Madhu Limaye : I suggest that all the names should be collected together and every one should be given one chance. All blocks should be given chance.

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूँ, कि एक सदस्य को एक बार ही मौका दिया जायेगा चाहे उसका नाम एक से अधिक प्रश्नों पर हो।

श्री रंगा : क्या सचमुच आप पीछे बैठने वालों को अधिक अवसर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है कि केवल पीछे बैठने वालों को ही अवसर दिया जायेगा। उनकी इस शिकायत को दूर किया जायेगा कि नेता सदस्य अधिक समय लेते हैं। अबसे उन्हें भी पुकारा जायेगा। साथ ही आगे बैठने वालों की उपेक्षा नहीं की जायेगी। सात प्रश्न हैं और मैं लगभग 20 सदस्यों के नाम पुकारूंगा।

Shri Bibhuti Mishra : My name stands first in one of the questions. So I may be given two chances.

Shri Sheo Narain : On a Point of Order, Sir, you should bring about a change in this procedure of getting a question signed by twenty or twenty five Members.

अध्यक्ष महोदय : हालांकि माननीय सदस्य का किसी भी प्रश्न पर नाम नहीं है, फिर भी मैं उन्हें एक मौका दूंगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : कितने पुलिस कर्मचारी अभी तक जेल में हैं ? क्या किसी बर्खास्त कर्मचारी को बहाल किया गया है ? आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट कब दी गई थी और अब गृह मन्त्रालय में उस पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस आन्दोलन के दौरान पुलिस बल के कुल 1000 सदस्यों को पकड़ा गया था। इनमें से 50 को बर्खास्त कर दिया गया है और 10 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। किसी भी बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये सभी मामले न्यायालयों के सामने हैं। न्यायालयों के निर्णय के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी। पुलिस आयोग की रिपोर्ट कुछ हफ्ते पहले मिली थी, जिसे विचार के लिये वित्त मन्त्रालय को भेज दिया गया है। उस मन्त्रालय के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री विरेन्द्र कुमार शाह : क्या अक्टूबर या उससे पहले से जेल में पड़े सभी पुलिस कर्मचारियों को दंडनायकों (मजिस्ट्रेटों) के सामने पेश होने का अवसर दिया गया है । कितने कर्मचारियों को अभी तक दंडनायकों के सामने पेश होने का मौका नहीं दिया गया है और उन्हें अवैध रूप से नजरबंद किया गया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जितने भी पुलिस कर्मचारियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है, उन सभी को दंडनायकों के सामने पेश होने के लिये अपेक्षित सुविधाएं दी गई हैं । किसी भी पुलिस कर्मचारी को ऐसी सुविधा से वंचित नहीं किया गया है जो कानूनन उसे मिलनी चाहिये ।

लगभग 600 पुलिस कर्मचारी अदालतों में पेश हो चुके हैं, और शेष कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किये जा रहे हैं । जैसे ही ये आरोप-पत्र तैयार हो जायेंगे तैसे ही उन्हें दंडनायकों के सामने पेश किया जायेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : चूंकि पुलिस सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें यूनियन बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिये उनकी शिकायतों को सुनने के लिये क्या किसी प्रकार की संयुक्त परिषद स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पुलिस के महानिरीक्षक (आइ० जी०) के संरक्षण में एक कल्याण संघ ठीक इसी उद्देश्य से बनाया गया था । पुलिस बल के सदस्यों का भी इसे पूरा सहयोग मिल रहा था, परन्तु इसी बीच कुछ राजनीतिक तत्वों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : खोसला आयोग का प्रतिवेदन 6 सप्ताह पहले प्राप्त हुआ था । क्या उस प्रतिवेदन को प्राप्त होने के बाद पुलिस बल को कोई अन्तरिम राहत दी गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और जैसे ही कोई निर्णय किया जायेगा, उसकी घोषणा कर दी जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि सभी पकड़े गये पुलिस कर्मचारियों को जेल में 'बी' वर्ग में नहीं रखा गया, और नवम्बर में गोवध के मामले पर हुए उपद्रवों के सिलसिले में पकड़े गये लोगों को 'बी' वर्ग में रखा गया था । इस प्रकार इनके साथ यह भेद-भाव का बर्ताव क्यों किया गया है ?

दूसरे, केवल 11 पुलिस कर्मचारियों को ही क्यों बर्खास्त किया गया है ? क्या उन्हें आरोप-पत्र दिये गये हैं और क्या उन्हें बर्खास्त करने से पहले आरोपों का उत्तर देने के लिये अवसर दिया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक जेल में सुविधाएं देने का प्रश्न है, इस बारे में कुछ निश्चित नियम होते हैं और न्यायालय इस बात का निर्णय करती है कि अभियुक्त कैदियों

को क्या सुविधा दी जायें। सभी पुलिस कर्मचारियों का जेल में वर्गीकरण न्यायालयों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया गया था। इस सम्बन्ध में कोई भेद-भाव नहीं किया गया है।

दूसरे, 11 पुलिस कर्मचारियों को संविधान के उपबन्धों के अधीन घोर अनुशासन-हीनता के लिये बर्खास्त किया गया है, तथा ऐसे मामलों में आरोप-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे नियम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यहां नियमों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियमों की प्रति पुस्तकालय में होगी।

Shri A. B. Vajpayee : About the Khosla Commission Report the Minister said that it is not in public interest to disclose the recommendations of that. The Minister may not disclose a thing when it is in public interest to do so, but he cannot exercise this right to deprive the House from an information. Mr. Speaker, you will have to decide whether to disclose that is in the public interest or not. The Gajendragadkar Commission is looking into the question of D. A. to Central Government employees. It has submitted its interim report too. Whether it is in the public interest to keep secret the report of the Commission pertaining to the question of conditions of service of the police personnel, their pay and allowances. What is the objection to place that report before the House.

Is it also a fact that the Government does not agree to the interim report of the Commission saying that it has not taken into consideration the resources of the Government and that the Commission should take the same into consideration while framing the final report. Allegations have been made that the interim report is being suppressed deliberately. I want to know what objection the Minister has got to place the report before the House ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न प्रतिवेदन के छुपाने का नहीं है परन्तु उसका बहाना सार्वजनिक हित में नहीं है क्योंकि उन सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार कर रही है। हमारा उद्देश्य कोई चीज छुपाना नहीं है। यह रिपोर्ट तथा सरकार का उस पर निर्णय प्रकाशित कर दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय, श्री शुक्ल ने प्रश्न संख्या 182 का उत्तर देते हुए कहा था कि इस प्रतिवेदन का बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। क्या वह इस "सार्वजनिक हित" के नियम का प्रयोग कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी भी यह कह रहे थे।

Shri Balraj Madhok : While replying to this question the Hon. Minister said that some political parties such as S.S. P. and Communist Party were on the back of this agitation. It is also a fact that the policemen who had nothing to do with politics committed this blunder due to the instigation of some political parties. I want to know why due to the fault of a few misguided people, thousands of innocent people should be victimised &

punished. Will the Hon. Minister tell us whether he proposes to release the innocent people whose wives and children are now sufferring and punish those who instigated them as they are to blame more for it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदस्य महोदय के अनुसार केवल उकसाने वाले दोषी हैं। वास्तव में उकसाने वाले तो राजनीतिक तौर पर दोषी हैं परन्तु कानूनी तौर से वे अधिक दोषी हैं जिन्होंने कानून तोड़ा। प्रश्न यह नहीं कि निर्दोषी के साथ गलत व्यवहार हो। हमें कानूनी निर्णय को मानना होगा।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has twice named the S. S. P. and the Communist Party for instigating the police personnel, I challenge the Minister whether he is prepared to let it be enquired by a judge or by a Committee of this House whether the political parties instigated the policemen or the Government itself instigated them by suppressing them as otherwise there is no use talking like this ? Is the Minister prepared to accept this challenge?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह उच्च न्यायालय के लिए जाँचने की बात नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the police personnel were submitting before the Government their grievances for a long time but the Government did not pay any heed to it and so it resulted in the dissatisfaction among the police personnel. Is it also a fact that someone came here from Singapore, lived here for a number of years and created dissatisfaction among the police people and the S S P and both the Communist parties took advantage of it? What was the intelligence department of government doing at that time ? Does it mean that government did not take appropriate action in time ?

Shri Vidya Charan Shukla,: So far as the grievances of the police people are concerned we looked into them and action has begun to be taken on them. To a great extent their demands have been accepted and action is being taken on them. The demonstrations and the incident referred to have no direct connection with that, The person from Malaysia could not do any mischief for a long time but when he began daing that our Intelligence department came to know of it and he was arrested and deported from India. There was no neglect on this account.

Shri Bibhuti Mishra : What action has been taken against S S P and Communist Parties ?

Shri Vidya Charan Shukla : This has already been answered by the Hon. Minister.

श्री विभूति मिश्र : क्या आपने उन्हें जेल में बन्द कर दिया है ? कोई सख्त कार्यवाही नहीं की है।

श्री राममूर्ति : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है। राजनीतिक दलों में व्यक्ति होते हैं तथा उनके कुछ सदस्य यहां भी मौजूद है और मैं उनमें से एक हूं। क्या सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध मंत्री जी कोई आरोप लगा सकते हैं जिसकी उन्होंने अभिपुष्टि भी नहीं की है। इस पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री रंगा : मैं इस प्रश्न पर बोलने खड़ा हुआ हूं जो श्री राममूर्ति ने उठाया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सभा में उपस्थित हैं तथा क्या उन सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये जा सकते हैं। आज उनकी बारी है कल यही आरोप मंत्री जी हम पर भी लगा सकते हैं।

आप इस पर आज निर्णय नहीं देना चाहें तो मत दीजिये। बाद में निर्णय दे सकते हैं। इस प्रकार बिना सिद्ध किये आरोप लगाना ठीक नहीं। इससे सदन की शान को धक्का लगेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और यदि वह अपने वक्तव्य का आज संशोधन न करना चाहें तो बाद में या कल कर सकते हैं तथा आप भी उस समय अपना निर्णय दे सकते हैं ताकि हमारी इस मामले में रक्षा हो सके।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न बड़ा सरल है कि क्या मंत्री जी के लिए यह उचित है कि वे मामले जो कि अदालतों के सामने हैं उनके बारे में यह कहना कि राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं ? क्या यह अनुचित नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव मुकदमा पर पड़ेगा ?

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I agree with Shri Ranga. You might recollect that the ex-Home Minister Shri Gulzari Lal Nanda gave a statement and also stated personally why he had to take a decision to arrest left Communists. Shri Y. B. Chavan also while stating about the police agitation stated that in Trivandrum some people called the Delhi agitation as a revolution which some how failed. If government is in possession of facts that S S P and Communists parties are behind this agitation, he should place facts before the House.

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि पुलिस आन्दोलन में राजनीतिक दलों का हाथ है। सरकार को ऐसा कहने का अधिकार है। कल श्री बनर्जी ने भी कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये और कोई सबूत पेश नहीं किया। अब सरकार के पास सबूत है कि किस सूचना के आधार पर वे इस निर्णय पर पहुँचे। सदस्य इसके विरुद्ध सबूत दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री रंगा ने कहा मैं इस समय कोई निर्णय नहीं दे सकता। यह भी कहा गया है कि किसी को इसलिए लाइसेंस दिया गया क्योंकि कांग्रेस के पास धन है। दोनों ओर से आरोप लगाये गये हैं।

श्री हेम बरुआ : हमारे कार्य तथा आचरण के कारण देश का वातावरण दूषित हो गया है। चारों ओर अनुशासन हीनता है। कांग्रेस तथा विरोधी पक्षों के बीच समझौता होना चाहिए ताकि एक दूसरे पर गलत आरोप न लगाये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अब कोई निर्णय नहीं दूंगा। सरकार के पास कोई सूचना होगी। मुझे पता नहीं कि क्या सूचना है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम आरंभ से ही इस प्रश्न को राजनीतिक दलों के स्तर से ऊपर रख रहे थे। हमारे पास सूचना थी तब भी हमने किसी दल का नाम नहीं लिया क्योंकि आम चुनाव के वक्त से एक देश में नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई है।* इसी कारण यद्यपि हमारे पास राजनीतिक दल के बारे में सूचना है हमने किसी का नाम नहीं लिया है। आज एक सीधा प्रश्न किया गया तो भी मैंने संकुचित ढंग से उत्तर दिया। फिर जोर दिया गया

कि राजनीतिक दल का नाम लिया जाये तो मैंने ले दिया। हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। प्रश्न यह था कि क्या किसी राजनीतिक दल का सम्बन्ध था।

श्री पीलु मोदी : लोक हित में आपको यह नहीं बताना चाहिये था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी समस्याओं को हम इसी आधार पर सुलझाते हैं। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति या दल पर आरोप लगाने का नहीं होता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ; क्या सरकार के पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि संसद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त किसी दल का नाता अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। सभा में इस प्रकार के मामले पर वक्तव्य देने से पूर्व सरकार को सम्बन्धित दल को उपलब्ध साक्ष्य के बारे में बताना चाहिये तथा उसके साथ इस बारे में विचार–विमर्श करना चाहिये साथ ही सम्बन्धित दल को विश्वास में लेना चाहिये। क्या सरकार इस प्रक्रिया को अपनायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नई प्रक्रिया है जिस पर सरकार को विचार करना होगा।

श्री प्र० के० देव : सरकार ने यह बताया है कि इस आन्दोलन में एक मलयेशिया के राष्ट्रिक का हाथ था। क्या सरकार ने मलयेशिया की सरकार से इस व्यक्ति के पूर्ववृत्त और राजनीतिक लगाव के बारे में पता किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हाँ। हमने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त की थी और इसी कारण उसे देश से निकालने का निर्णय किया गया था।

Shri K. N. Tiwary : About 45 minutes have been spent on this question. May I know whether it has been decided that if a question is big, the whole Question Hour will be devoted to it ?

अध्यक्ष महोदय : हम सात प्रश्नों को एक बार ले रहे हैं। मैं एक प्रश्न पर कम से कम दो सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस की सेवा की शर्तों को सुधारने और उन्हें मांगी गई सुविधाएं देने में आने वाले खर्च का अनुमान लगाया है, यदि हाँ, तो कितना ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने बताया था कि जेल में वर्गीकरण के भी कुछ नियम हैं। ये नियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये थे, जो अब पुराने पड़ चुके हैं। पुलिस कर्मचारियों को काफी हानि हो चुकी है, उनके परिवार काफी कष्ट भोग चुके हैं, इसलिये उन्हें तत्काल क्यों न छोड़ दिया जाये। यदि इसमें कोई पुराना नियम या कानून बाधक होता है तो उसे संशोधित कर दिया जाये या उसे कुछ उदार बना दिया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक सुझाव है जिस पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : The Minister has hold two political parties responsible for creating discontent among policemen resulting in the agitation. But the main factors for creating dissatisfaction among police personnel were the pay-scales, lack of amenities and the domestic servant—like behaviour given to them by their officers. Dis-contentment was already there. May I know the steps taken by the Govt. to remove their grievances ?

Shri Vidya Charan Shukla : Govt. have taken several steps for the welfare of policemen. A big housing scheme is being implemented to provide houses to them. In fulfilment of their demands raincoats, mosquitonets and liveries etc. are being supplied to them. So the recent agitation cannot be related to their demands for their welfare. It is something else which excited policemen to resort to strike.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 41 के उप नियम (2) (तीन) के अधीन यह व्यवस्था है कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हुए तर्क नहीं करेंगे। परन्तु इसका सदैव उल्लंघन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इससे तो मेरी परेशानी बढ़ती है। इस नियम को सब सदस्य जानते हैं, परन्तु प्रश्न पूछने से पहले कुछ भूमिका बांधनी पड़ती है। यह बड़ा ही अच्छा होगा यदि माननीय सदस्य इसमें मेरी सहायता करेंगे। अब श्री कंवरलाल गुप्त अगला प्रश्न करें।

Shri Bhogendra Jha : Sir, my name appeared in more than one questions and it is on the top in Question No. 183. But I had not been called to put the supplementaries. Now I am on my legs to put the supplementaries.

Shri Bhogendra Jha : Was it the demand of the police to change the 1861 Rules of Punjab Police and did they suggest that their inspectors and instructors did not know the rules whereas the trainees were Matriculates and hence they wanted them to be transferred ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : So far as the first question is coneerned, full procedures has been followed. About the Second part of the question we have acceded to their request as far as we could and the remaining demands are under consideration of Police Commission. We will take a decision after we receive the enquiry report and their recommendations.

Shri Bhogendra Jha : Whether they were produced before a Magistrate or not before being sent to jail ?

छोटी सादरी सोना गबन काण्ड

+
184. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-मन्त्री को राजस्थान के मुख्य मन्त्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनसे यह निवेदन किया गया है कि छोटी सदरी सोना गबन काण्ड के बारे में

उनके तथा श्री जोशी के विरुद्ध लगाये गये आरोप की पूर्ण जांच कराई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने हम से इस मामले में जांच कराने की प्रार्थना की है।

(ख) अब इससे सम्बन्धित मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही करना उचित होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : When was the letter received by the Hon. Minister and what are its contents ? Why did you take such a long time to decide about conducting the enquiry ?

Shri Y. B. Chavan : I received that letter on the 27th April. He wrote that questions about him were asked in Parliament and it would be better if the C. B. I. makes an enquiry into these.

श्री रंगा : राष्ट्रपति के सामने कौन से आरोप रखे गये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अभी तो मैं प्रश्न के पहले भाग का ही उत्तर दे रहा हूं।

कठिनाई यह है कि केन्द्रीय जांच विभाग एकदम जांच नहीं कर सकता। हमने अपने कानूनी सलाहकारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि वही मामला अदालत में हो तो दंड-प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हम जांच नहीं कर सकते।

श्री रंगा : यह मुकदमा कब दर्ज किया गया था ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मुकदमा मुख्यमन्त्री के विरुद्ध नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यद्यपि यह उसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, जो सम्पत्ति इसमें हैं वह वही है। फिर भी मैंने केन्द्रीय जांच विभाग के निदेशक से कहा कि वह इसकी जांच करे और हमें परामर्श दे कि क्या करना है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister state as to what is the definite charge ? Have some allegations on behalf of Rajasthan M. L. As been received by the President or the Central Government and will the government place them on the Table of the House ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इन्हें सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह बहुत आवश्यक नहीं है। एक ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भेजा गया और इसके सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न सदन में उठाये गये हैं और उनका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कहते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह भी कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूं।

Shri Yashpal Singh : I want to know whether you received the Chief Minister's letter first or after the matter had been taken to the court ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मामला सितम्बर, 1966 से न्यायालय में है। यह मामला मुख्य मन्त्री के लिखने से पहले न्यायालय में पंहुच गया था ।

Shri Sidheswar Prasad : Question regarding gold have been asked in the House several times but no enquiry has so far been made. The gold was weighed twice. Will the Minister lay a statement on the table of the House to clarify the whole thing ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन तथ्यों में मेरे लिए जाना बहुत कठिन है क्योंकि मामला अदालत के सामने है ।

श्री दत्तात्रय कुंटे : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्हें इसे सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वह ऐसा करें तथा उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

भिलाई इस्पात कारखाने के मजदूर नेता द्वारा अनशन

अ.प्र.सं. 4. श्रीमती अगम दास गुरू मिनीमाता: क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भिलाई इस्पात कारखाने के एक मजदूर नेता ने आमरण अनशन कर दिया है, जिससे भिलाई में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा मजदूरों को दिये गये आश्वासनों के पूरा न किया जाने के कारण यह अनशन किया गया है;

(ग) मजदूरों को दिये गये आश्वासनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मजदूर नेता के अनशन को समाप्त करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और क्या सम्बन्धित पक्षों के बीच अब तक कोई बातचीत हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) संभवतः माननीय सदस्या छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण सभा के सदस्य द्वारा किए गए अनशन की बात कर रहीं हैं। यह अनशन 25 मई, 1967 को तोड़ दिया गया था ।

(ख) और (ग) : 18 मई, 1967 को जब मैं भिलाई के दौरे पर था छतीसगढ़ मजदूर कल्याण सभा के प्रतिनिधियों ने भिलाई इस्पात कारखाने में छतीसगढ़ के लोगों को नोकरियां तथा अन्य सुविधाएं देने के बारे में मुझे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । मैंने उनसे कहा था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की भर्ती सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार तथा दूसरी सुविधाएं देने के प्रश्न पर उचित ध्यान दिया जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अनशन समाप्त कर दिया गया है ।

Shrimati Agam Dass Guru Minimata : Did you give an assurance to the Bhilai

Mazdoor Sangh and the management that persons for jobs carrying emoluments less than Rs. 200/– will be recruited locally ?

Dr. Channa Reddy : An assurance was given that preference would be given to the people living near Chhattisgarh and especially to the sons of those whose lands had been acquired for construction of factories to remit them to unskilled jobs carrying less than Rs. 200.00.

Shrimati Agam Dass Guru Minimata : Did you also given an assurance to re-employ the retrenched labourers belonging to Chhattisgarh ?

Dr. Channa Reddy : Those who were working on temporary jobs and on construction work and were retrenched would be taken back as and when permanent jobs will be available. Orders in this regard have been issued an d will be issued in future also when vacancies occur.

Shrimati Agam Dass Guru Minimate : Did the Minister also gave an assurance to take one of the labour leaders on the Selection Committee as this was one of the demands of the Labour leaders ?

Dr. Channa Reddy : So far as the Selection Committee is concerned they have a person on it from the local Employment Exchange. No labour leader is represented on it.

श्री जी० भा० कृपालानी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि "धरती के सपूत"। मेरे विचार में इस देश में एक ही धरती है। क्या भारत में बहुत सी धरतियां हैं ?

डा० चन्ना रेड्डी : मेरा तात्पर्य स्थानीय लोगों से था।

श्री जी० भा० कृपालानी : स्थानीय लोगों तथा अन्य लोगों में भेद करना संविधान के विरुद्ध है। हम सब भारत के नागरिक हैं तथा सारे देश में घूम सकते हैं।

Shri Mrityunjay Prasad : Does this assurance apply to factories other than Bhilai too and whether government have thought the extent to which this has been implemented ?

Dr. Channa Reddy : This applies to factories in the public sector all over India and is being practised too.

श्री स० मो० बनर्जी : जब छत्तीसगढ़ में उन लोगों की जमीन अर्जित की जा रही थी तो उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वहां के लोगों को नौकरियों में लिया जायगा। क्या यह कि पूरा किया गया है अथवा नहीं ?

डा० चन्ना रेड्डी : वास्तव में यह आश्वासन दिया गया था तथा प्रयत्न किया जाता है कि यह पूरा हो। जब मैं वहां गया तो यह बात उठाई गई और मैंने उन लोगों की सूची मांगा है जिन्हें दोबारा नौकरी नहीं मिली है ताकि कारखाने के व्यवस्थापक उनके लिए तुरन्त नौकरी तलाश करें।

श्री कन्डप्पन : जहां तक भिलाई के द्वारा बेकार हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध है उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है परन्तु वह पूरा नहीं किया गया क्योंकि उनकी नौकरी

में विच्छेद आ गया है। क्या इस पर कोई विचार किया गया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : सदस्य महोदय ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनकी भूमि ली गई थी उन्हें मुआवजा दिया गया था तथा उन्हें नौकरियां भी दी गई थी। फिर भी क्योंकि मजदूर नेताओं ने कहा था इसलिए इस पर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्माण के कार्य हैं जो कि अस्थाई तरह के हैं। लेकिन स्थाई नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री कन्डप्पन : उन मामलों में भी जिनमें दोबारा नौकरी दी गई है नौकरी में विच्छेद हुआ है तथा उनकी वरिष्ठा नहीं रहेगी।

डा० चन्ना रेड्डी : यदि आप यह मामले व्यवस्थापन के सामने लायें तो उन पर विचार करने को तैयार हूं।

श्री कान्डप्पन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो पहले भी कहा था। क्या मन्त्री बदलने से नीतियां बदल जाती हैं ? मेरे विचार में सरकार तो वही है।

डा० चन्ना रेड्डी : नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 1960 से वही नीति चलाई जा रही है तथा सारी सार्वजनिक कम्पनियों को एक नोट भेजा गया था।

Shri Hukam Chand Kachwai : When you were on a tour the leaders of the Bhilai Labourers met you and wanted place to hold a conferenee of state labour representatives and you gave an assurance to do so but did not fulfil it ?

Secondly twelve thousand labourers are living in the huts made of mats. Has some arrangement been made to construct houses for them immediately and whether some assurance was given about it also.

Dr. Channa Reddy : Different labour leaders met me. They gave me their demands and submitted memorandum too and the same are being looked into.

Shri Hukam Chand Kachwai : You gave an assurance about giving a place to hold conference too but the same has not been done.

बिहार में धर्म-परिवर्तन

189 **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह कार्य-मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 2000 ईसाई धर्म प्रचारक अकाल की स्थिति का लाभ उठाने तथा अकालपीड़ित लोगों को अन्न पैकेटों, कपड़ों तथा धन का, जो विदेशी सरकारों ने उन्हें दिया है, लालच देकर उनका सामूहिक रूप से धर्म-परिवर्तन करने के लिये बिहार चले गए हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि "कैथोलिक रिलीफ सर्विसेस" जो एक धर्मार्थ संस्था है, अमरीका की सहायता से 4,00,000 अकालपीड़ित लोगों को वास्तव में खाना दे

रही है तथा उसने पहचान के लिये उन लोगों की गर्दनों में ईसाई धर्म के बिल्ले तथा क्रूस के चिन्ह बांध दिये हैं और उन्हें यह बताया है कि जब तक वे इन बिल्लों को अपनी गर्दन में बांधे रहेंगे और ईसा मसीह की पूजा करते रहेंगे तब तक उन्हें अकाल की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा;

(ग) तथा सरकार ने अकालपीड़ित लोगों में बांटे जाने के लिये कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज को अनाज भी दिया है;

(घ) इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि ईसाई धर्मप्रचारक बिहार के लोगों की वर्तमान मुसिबत का दुरुपयोग सामूहिक धर्म-परिवर्तन करने के लिये नहीं करते हैं : और

(ङ) बिहार में अकालपीड़ित जनता में काम कर रहे विदेशी स्वैच्छिक संगठनों की संख्या क्या है तथा वे किन-किन देशों से आये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) बिहार के विभिन्न भागों में भारतीय तथा विदेशी ईसाई-मिशनरी बहुत बड़ी संख्या में सहायता कार्य में लगे हुए हैं, किन्तु अन्य स्थानों से बिहार जाने वालों की ठीक-ठीक संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुछ इक्के-दुक्के मामलों में धर्म-परिवर्तन की सूचनाएं मिली हैं किन्तु सामूहिक रूप से धर्म-परिवर्तन की कोई सूचना नहीं मिली।

(ख) उन लोगों की संख्या जिन्हें संगठित पाकशालाओं से भोजन दिया जा रहा है, 4,76,000 के लगभग हैं और कैथोलिक रिलीफ सर्विसिस इन पाकशालाओं को चलाने वाली भारतीय तथा विदेशी 26 धर्मार्थ संस्थाओं में से एक संस्था मात्र है। प्रश्न के इस भाग के उत्तरार्द्ध में जो कुछ कहा गया है उसकी पुष्टि करने वाली कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार को स्थिति का पूरी तरह ज्ञान है और यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत

190. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :　　श्री बृज भूषणलाल :
श्री एन० एस० शर्मा :　　श्री शारदा नन्द :
श्री गोपाल साबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को "अवकाश यात्रा रियायत (लीव ट्रैवल कनसेशन) दी जाती है जिनका 'होम टाउन' ड्यूटी के स्थान से 300 मील दूर हो;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी रियायत पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है जबकि अधिकांश कर्मचारियों को इस रियायत से वंचित रखा जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस यात्रा रियायत का प्रवरीक्षण करने का है जिससे कि सभी सरकारी कर्मचारी ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के स्थानों की यात्रा के लिये इस रियायत का लाभ उठा सकें; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के वे सब कर्मचारी यात्रा रियायत ले सकते हैं, जो नियमित छुट्टियों के अधिकारी हो गये हैं। इस योजना के अधीन, सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार सहित सेवा के स्थान (प्लेस आफ ड्यूटी) से स्थायी निवास-स्थान (होम टाउन) को नियमित छुट्टी पर जाते हुए पहले 400 किलो मीटर (चतुर्थ श्रेणी के लिये 160 किलो मीटर) का किराया स्वयं ही देना पड़ता है और शेष दूरी के लिये पूरे किराये का भुगतान सरकार करती है। इस रियायत का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने सामाजिक तथा घरेलू दायित्वों को पूरा करने में सहायता देना है और ऐसे लोगों को केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने का अवसर देना है जो केन्द्रीय सरकार के नियोजन-स्थल से दूर रहते हैं और जो अधिक किराये के खर्च के डर से केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने से झिझकते हैं। यह रियायत दो वर्ष केवल एक बार दी जाती है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके स्थायी निवास-स्थान 400 किलोमीटर (चतुर्थ श्रेणी के लिये 160 किलोमीटर) से कम दूरी पर है, सरकार द्वारा किराया-खर्च देने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं।

2. कर्मचारी वर्ग की ओर से संयुक्त राष्ट्रीय परिषद में किये गये एक प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उक्त योजना को उदार रूप में अपनाया गया है तथा इसमें और अधिक परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह योजना ऐतिहासिक महत्व के अथवा धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिये सहायता देने के लिये नहीं बनाई गई थी; इसलिये ऐसी यात्राओं को इसके अतिरिक्त नहीं लाया जा सकता।

वैज्ञानिकों के 'पूल' के लिये भर्ती

191. श्री एस० आर० दामानी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों के पूल में विशेष भर्ती करने का है जिससे औद्योगिकी, व्यापार तथा आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ सरकार में नियुक्त हों; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी नहीं। वैज्ञानिकों के पूल में भर्ती एक निरन्तर प्रक्रिया है और प्रार्थना पत्रों पर पूरे वर्ष विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहरण

192. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सूपकार :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रैल, 1967 को सशस्त्र मिजो विद्रोही ने त्रिपुरा के स्कूल के एक सब-इंस्पैक्टर और उसके चपरासी का अपहरण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपहृत व्यक्ति 13 अप्रैल, 1967 को खोज निकाले गये थे।

Theft of Cars and Motor Cycles

*193. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri S. C. Samant :
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Ishaq Sambhali :
Shri Meetha Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of thefts of cars and motor vehicles increased in Delhi in 1966—67;

(b) if so, the number of cars stolen during the above period;

(c) the number of cars and motor vehicles out of them returned to the owners ; and

(d) the number of persons prosecuted and the number out of them convicted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No. Sir. 279 cases of theft of cars and other motor vehicles were reported to the police in the Union Territory of Delhi during the year 1966-67 as compared with 281 cases in the year 1965-66.

(b) to (d) : Two statements (I & II) are laid on the table of the House. [Placed in Library, See No. LT-475/67]

भारत सेवक समाज

*194 **श्री मधु लिमये :**
डा० राममनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज ने दिल्ली श्रम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपलब्धों के अन्तर्गत समाज एक उद्योग है;

(ख) क्या समाज अपनी सभी निर्माण परियोजनाओं तथा ठेकों में श्रम कानूनों का पालन कर रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को परामर्श दिया है कि ठेके देते समय समाज को प्राथमिकता दें;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने निर्णय किया है कि समाज को दिये जाने वाले ठेकों में कमी की जाये क्योंकि कुछ ठेकों के कार्यान्वियन में कुछ अनियमिततायें पाई गई हैं; और

(ङ) क्या केन्द्र समाज को किसी न किसी रूप में कोई सहायता अथवा राज सहायता दे रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के ध्यान में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई है ।

(ग) योजना आयोग ने भारत सेवक समाज या अन्य स्वैच्छिक संगठनों को कुछ रियायतें और सुविधाएं देने के लिए हिदायतें जारी की थीं, पर अब ये वापस ले ली गई हैं ।

(घ) इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

(ङ) योजना आयोग भारत सेवक समाज की कुछ योजना कार्यक्रमों के लिए सहायक अनुदान देकर और निर्माण सेवा हेतु मशीनरी खरीदने तथा कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण देकर सहायता करता रहा है । परन्तु अनुदानों को अदायगी निलम्बित कर दी गई है ।

इन्जीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

*195. **श्री के० रमानी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्जीनियरिंग उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्राप्त हो जायेगा;

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अब तक कुल कितने कारखानों ने कार्यान्वित नहीं किया है ;

(घ) क्या सरकार को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के बारे में कार्मिक संघों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो नियोजकों को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राजी करने के निमित्त क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मजूरी बोर्ड ने अंतरिम सहायता देने की सिफारिशें की हैं । अब यह विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित विशेष मामलों के बारे में सम्बन्धित पक्षों के विचार सुन रहा है ।

(ख) इस समय यह कहना संभव नहीं है कि यह बोर्ड अपनी अन्तिम सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर सकेगा ।

(ग) एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 476/67]

(घ) जी हां।

(ङ) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे सिफारिशों को लागू करने के लिए विशेष प्रयास करें।

सम्मानार्थ उपाधियां

*196. श्री एन० एस० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषणलाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा राजनीतिज्ञों अथवा मंत्रियों को सम्मानार्थ उपाधियां दी जाने की प्रथा को समाप्त करने का है,

(ख) क्या सरकार का विचार यह है कि सम्मानार्थ उपाधियां केवल योग्यता के आधार पर तथा शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सम्मानार्थ ही दी जानी चाहिए, और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना विश्वविद्यालय-अधिनियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होता है। किस आधार पर ये उपाधियां दी जाएं, यह तय करना विश्वविद्यालय का काम है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सारी भारतीय भाषाओं के लिये एक लिपि का प्रयोग

*197. डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
डा० रानेन सेन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामकिशन गुप्त :
श्री मधु लिमये :
श्री राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारी भारतीय भाषाओं के प्रयोग में आने वाली एक लिपि बनाई गई है,

(ख) यदि हाँ तो इस लिपि से क्या लाभ होने की संभावना है, और

(ग) इसके प्रति राज्य सरकारों तथा विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) से (ग) : संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं और सिंधी में जो उनकी अपनी विशिष्ट ध्वनियां हैं, उन सब को भी अभिव्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि को सज्जित करने के लिए उसमें कुछ विशेषक चिन्ह जोड़ दिये गए हैं ।

इस प्रकार संशोधित देवनागरी लिपी देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का लिप्यन्तर करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, और इस प्रकार यह उनके बीच सम्बन्ध-सूत्र का काम कर सकती है । विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की अतिरिक्त लिपी के रूप में भी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है । यह भारतीय भाषाओं के सीखने में सुविधा प्रदान करेगी और इस तरह उनके बीच निकट का सम्बन्ध स्थापित करने में मदद देगी ।

एक पुस्तिका निकाली गई है, जिसमें संशोधित लिपि और नमूने के तौर पर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रयोग बताया गया है । इसकी प्रतियां व्यापक रूप से वितरित की गई हैं । इसका समाचार अंग्रेजी तथा भाषाओं के समाचार पत्रों में भी निकला है । किसी भी राज्य सरकार या सुस्थापित संस्था से कोई औपचारिक टिप्पणियां अभी तक नहीं मिली हैं ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

***198. श्री पी० विश्वम्भरण** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला के केरल में स्थापित किये जाने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो सुझाव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) शिक्षा की दृष्टि से सबसे उन्नत राज्य केरल में सरकार द्वारा कोई भी राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत चल रही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं । संस्थाओं की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 477/67]**

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला की जगह के प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में उपयुक्त स्थलों पर प्रयोगशाला की जगह के प्रस्तावों पर विचार किया था और अन्त में इस नतीजे पर पहुँची थी कि राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कांगड़ा-घाटी में पालमपुर है ।

(घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं है । राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का "भारतीय समुद्र जीव विज्ञान केन्द्र", एरणाकुलम में कार्य कर रहा है ।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका का वित्तीय ढांचा

*200 **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय ढांचे की जांच करने के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया था क्या सरकार को उस आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और जो सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जांच आयोग ने दिल्ली नगर निगम के सामान्य स्कन्ध तथा नई दिल्ली नगरपालिका में वित्तीय मामलों पर एक अंतरिम प्रतिवेदन दिया था। बाद में, अपनी एक बैठक में आयोग ने, आगे की जांचों के आधार पर अपने अंतरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में से अधिकांश की दोबारा जांच करने का निश्चय किया है। आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

लाल डेंगा की वापसी

*201. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री शारदा नन्द :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बाबू राव पटेल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोही नेता, लाल डेंगा, भारत वापस लौट आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसके ठौर-ठिकाने का पता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह लगभग 1500 विद्रोहियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये पाकिस्तान अथवा चीन ले जाने की व्यवस्था कर रहा है; और

(घ) ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) हमारी सुरक्षा सेनाएं सतर्क हैं और स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक उपाय करती है। गुप्त सूचना अथवा सामरिक व्यवस्था को प्रगट करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

202. **डा० रानेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह राय व्यक्त की है कि पूर्वी

पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को फिर से बसाने में केन्द्रीय सरकार के अनुमान से कहीं अधिक खर्च आयेगा और क्या उसने केन्द्रीय सरकार से इस कार्य के लिये और अधिक सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) : 1960–61 में भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किये गये संयुक्त मूल्यांकन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल में पुराने विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या को समाप्त करने के लिये 21.88 करोड़ रुपये की धन-राशि की आवश्यकता होगी जिसमें 14.7 करोड़ रुपये "ऋण" तथा 7.2 करोड़ रुपये "अनुदान" के रूप में होंगे ।

"टाईप ऋण" और "बस्तियों के विकास" के लिये की गई व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार इस बंटवारे में सहमत थी ।

राज्य सरकार से 21.8 करोड़ रुपये की मूल राशि को और बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि बस्तियों के विकास की वर्तमान आवश्यकता के बारे में नवम्बर, 1966 में संशोधित मूल्यांकन प्राप्त हुआ था । इस मूल्यांकन के अनुसार 5 करोड़ की मूल व्यवस्था के विरुद्ध कार्य को पूरा करने के लिये 12.45 करोड़ रुपये की धन राशि की आवश्यकता होगी ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार को अतिरिक्त साधन उपलब्ध किये जाने के प्रश्न पर तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि अवशिष्ट मूल्यांकन के लिये दी गई 21.9 करोड़ रुपये की राशि पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जाती ।

बेकारी-बीमा

***203. श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेकार व्यक्तियों के लिए बीमा कराने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) उन व्यक्तियों के लिए, जो कि रोजगार में लगे हुए हैं परन्तु बेरोजगार हो सकते हैं, बेरोजगारी-बीमा की एक योजना चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

निजी थैलियां

*204. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री मधु लिमये :
श्री हेम बरुग्रा : श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री यशपाल सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त : श्री ओंकार सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जनता के एक बड़े वर्ग, कुछ राजनीतिक दलों तथा राज्य सरकारों ने भूतपूर्व शासकों को दी जाने वाली निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग की है; और

(ख) क्या सरकार ने समस्या पर पुनः विचार किया है और इस सम्बन्ध में कोई विधान पुर स्थापित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) और (ख) : सरकार को इस बारे में जनता के कुछ वर्गों तथा राजनैतिक दलों की भावना का पता है। निजी थैलियां को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। किन्तु देश में बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के प्रश्न की जांच की जा रही है। सरकार का कुछ भूतपूर्व प्रमुख राजे महाराजों से इस बारे में विचार-विमर्श करने का इरादा है।

शेख अब्दुल्ला

*205. श्री वी० चं० शर्मा : श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कंवर लाल गुप्त : श्री आत्मदास :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री राम सेवक यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र : श्री अ० क० गोपालन :
श्री क० ना० तिवारी : श्री पी० गोपालन :
श्री भारत सिंह : श्री पी० राममूर्ति :
श्री राम सिंह अग्रवाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री के० एम० मधुकर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री रा० बरुआ :
श्री मधु लिमये : श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री जे० एच० पटेल : श्री सी० सी० देसाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला की रिहाई की वांछनीयता पर फिर से विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) (क) और (ख) : शेख अब्दुल्ला पर से प्रतिबन्ध उठाने का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

सिख राज्य बनाये जाने के बारे में

मास्टर तारासिंह द्वारा वक्तव्य

***206. श्री राम सिंह आयरवाल :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री मोहन स्वरुप :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मास्टर तारा सिंह द्वारा मार्च, 1967 में दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें सिक्ख राज्य स्थापित करने के लिए गुरिल्ला युद्ध छेड़ने की धमकी दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी हां। किन्तु मास्टर तारासिंह ने 24 मार्च, 1967 को एक प्रेस सूचना में इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने कभी ऐसा कोई वक्तव्य दिया था ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में छंटनी

***207. श्री एस० एम० जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में छंटनी किये जाने की कोई संभावना है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर तकनीकी काम होता है क्या फालतू कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे योग्यता और अनुभव व्यर्थ न जाये ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) : कर्मचारी निरीक्षण एकक ने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कुछ कर्मचारियों में कुछ कटौती करने की सिफारिश की थी। फिर भी इस प्रकार फालतू हुए कर्मचारियों में से अधिकांश कर्मचारी "वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग" के कार्यालय में रिक्त स्थानों पर लगा दिए गए हैं और अब तक किसी की भी छंटनी नहीं की गई है ।

चौथी योजना में नये विश्वविद्यालय

*** 208. श्री अब्दुल गनी दार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में नये विश्वविद्यालय खोलने का कोई सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है,

(ख) यदि हाँ, तो चौथी योजना में खोले जाने वाले विश्वविद्यालय कितने हैं, और

(ग) क्या चौथी योजना में जम्मू और काश्मीर में एक नया विश्वविद्यालय खोले जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :(क) विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार का विषय है। फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके पास भेजे गए नये विश्वविद्यालय खोलने संबंधी प्रस्तावों के बारे में सलाह देता है। हिमाचल प्रदेश में एक विश्वविद्यालय खोलने का विचार इस समय आयोग के विचाराधीन है।

(ख) इस प्रकार की कोई संख्या नियत नहीं की गई है।

(ग) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

Centre State Relations

***209. Sbri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Home Affairs** be plased to state ,

(a) whether the Administrative Reforms Commission has studied the Centre-State relations; and

(b) the main features of the report if any, submitted by it in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The Administrative Reforms Commission has set up a study team on Centre-State relationships. The team has not yet submitted its report to the Commission.

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन

***210. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री उमानाथ :**
श्री के० रमानी : श्री मुहम्मद इस्माइल

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

हरियाना राज्य में डाकघर

960. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाना राज्य में 1967–68 में कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : वित्तीय कठिनाइयों के कारण नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर कुछ पाबन्दियां लगा दी गई है। यदि ये हटा दी गई तो 267 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इसी अवधि में 15 विभागीय उप डाकघर भी खोलने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आचार संहिता

961. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचरण का नियमन केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (आचार) नियमावली 1964 द्वारा होता है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 478/67]

न्यूज पेपर्ज लिमिटेड, इलाहाबाद

963. श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूज पेपर्ज लिमिटेड, इलाहाबाद के कर्मचारियों तथा उसके नियोजकों के बीच चल रहे विवाद की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पत्रकारों, अन्य कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन, मजूरी आदि दी जाने तथा श्रम कानूनों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है और उनसे इसकी जांच करने के लिए प्रार्थना कर दी गई है।

Citizenship Rules

964. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a non-Indian spouse of an Indian citizen has to obtain Indian citizenship or he/she automatically acquires it consequent upon marriage;

(b) whether a non-Indian spouse of an Indian citizen can permanently settle in India without acquiring Indian citizenship;

(c) whether the rules in this respect are also applicable to Officers of the Central Government;

(d) if not, the main points of difference;

(e) the number of Class I officers of the Central Government who have married non-Indians and the number of their non-Indian spouses who haue acquired Indian citizenship and the number of those who have not acquired it so far and the numbr of those Officers among them who work in Foreign/Defence Departments;

(f) the reasons for their not acquiring the Indian citizenship so far, and

(g) the posts held by these officers at present and the places where they have been posted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The alien spouse of an Indian citizen does not, on marriage, automatically become an Indian citizen, and has to acquire Indian citizenship under the relevant provisions of the Citizenship Act, 1955.

(b) Such a person is allowed to stay in India by extending his residential permit from time to time.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

(e) to (g) : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

त्रिपुरा में आपातकाल तथा भारत सुरक्षा नियमों का हटाया जाना

965. श्री मुहम्मद इस्माइल :　　　　श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :　　　　श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री बां० के० मोदक :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को आपात-काल तथा सुरक्षा नियमों को हटाने के बारे में अपनी राय देने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या राय दी है; और

(ग) यदि आपातकाल तथा भारत सुरक्षा नियमों को कायम रखने के पक्ष में राय दी गई है तो इसके समर्थन में उसने क्या कारण बताये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

967. श्री मधु लिमये :　　　　श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :　　　　श्री एस० के० तापड़िया :
श्री स० मो० बनर्जी :　　　　श्री डी० एन० पटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन प्रकाशित हुए थे कि भारतीय प्रशासन सेवा के 20 प्रतिशत पद एमरजेंसी कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे, जिन्होंने सेना की नौकरी से मुक्ति पा ली है अथवा मुक्त हो गये हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों के लाभार्थ आयु सीमा से रियायत दी गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती सम्बन्धी नये नियमों के अन्तर्गत यह प्रतिशतता घटाकर 15 कर दी गई है ;

(घ) क्या यह प्रतिशतता लागू की गई है;

(ङ) अब तक ऐसे कितने अधिकारियों को चुना गया है ;

(च) क्या रिक्त स्थानों को अगले वर्ष भरने तथा अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को अगले वर्ष नौकरी देने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो नियमों में किये गये इन परिवर्तनों का एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वास्तविक चयन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ज) हटाये गये कितने अधिकारियों को इस योजना से लाभ पहुँचने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय प्रशासन सेवा (भरती) नियम, 1954 में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पांच वर्ष के लिए वार्षिक स्थायी रिक्तियों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत पद अमरजेन्सी/शार्ट कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखने की दृष्टि से संशोधन किए गये हैं जिन्होंने 1 नवम्बर, 1962 के बाद सेना में कमीशन प्राप्त किया था और उसके बाद सेवा-मुक्त हो गए हैं।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि (सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन/शोर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी परीक्षा, 1966 के लिये बनाए गये नियमों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के योग्य होने के लिए उस वर्ष के 1 अगस्त को 24 वर्ष से कम आयु का होना चाहिये जिस वर्ष उसके सशस्त्र सेना में कमीशन से पूर्व का प्रशिक्षण ग्रहण करना शुरू किया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 1966 में हुई परीक्षा के आधार पर अखिल-भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए 25 उम्मीदवारों के नामों की संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। इनमें से चार भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गये हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) यह संख्या उन अधिकारियों की संख्या पर निर्भर करेगी, जो सेवा मुक्त किये जायं और जो 1970 तक की अवधि में प्रति वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए योग्य हों। इस संख्या का पहले से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोगों की भर्ती

968. श्री सिद्धय्या : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोगों की भर्ती तथा भूमिहीन मजदूरों को बसाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है;

(ख) क्या उसने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसने क्या सिफारिशें की हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां । सभी सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व तथा भूमिहीन अनुसूचित जाति मजदूरों को कृषि के लिए उपलब्ध भूमि पर बसाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस संबंधी विवाद में मध्यस्थता करने के बारे में बिहार के एक मन्त्री की पेशकश

969. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पुलिस मन्त्री दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच मध्यस्थता करना चाहते थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : दिल्ली पुलिस, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित विषय है । अतः एक राज्य के मन्त्री द्वारा मध्यस्थता का प्रश्न उठ ही नहीं सकता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी सेवा में वैज्ञानिकों का वेतन

धीरेन्द्रनाथ

970. श्री ~~डी० एन०~~ देव : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा अध्ययन किया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में नियुक्त वैज्ञानिकों को सरकारी सेवा में काम करने वाले वैज्ञानिकों से अधिक वेतन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) सरकार ने अपनी ओर से कोई अध्ययन नहीं कराया है । तथापि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस वर्ष मार्च में 'वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजीविदों की राय का सर्वेक्षण' नामक प्रकाशन

निकाला है । इससे पता चलता है कि प्राइवेट/औद्योगिक अनुसंधान संस्थापनों में नियुक्त वैज्ञानिकों को सरकारी नौकरी करने वालों की अपेक्षा अच्छा वेतन मिलता है ।

(ख) विभिन्न सरकारी संगठनों के वैज्ञानिक पदों के वेतन सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं ।

प्रकाशन उद्योग

971. श्री ~~डा० एन०~~ देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक विकास मण्डल ने सरकार से अनुरोध किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की पांचवीं अनुसूची में पुस्तकों को एक मद के रूप में जोड़ दिया जाए जिससे कि प्रकाशन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किन किन सुविधाओं की मांग की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड ने आयकर अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के अधीन उपलब्ध सुविधाओं के लिए पुस्तकों को भी शामिल करने की सिफारिश की है । इनमें ऊंची दर पर विकास-छूट और शुद्ध लाभ पर कर की रियायती दर शामिल हैं ।

दिल्ली, पुलिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना

972. श्री अ० क० गोपालन :

श्री पी० राममूर्ति :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस अराज-पत्रित कर्मचारी संघ के सात पदाधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पदाधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें नौकरियों से बर्खास्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 10 अप्रैल, 1967 को दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ के चार पदाधिकारी बर्खास्त किये गए थे ।

(ख) सर्व श्री भगवानदास, सरदारी लाल, तेज प्रकाश तथा हुकम सिंह ।

(ग) उन्हें सरकारी नौकरी में रखे जाने के अयोग्य समझा गया था ।

नई दिल्ली में राजपथ पर पुलिस के एक ट्रक का उलट जाना

937. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री एन० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1967 को दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों से भरा हुआ एक ट्रक नई दिल्ली में राजपथ पर उलट गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस का एक गिरफ्तार कर्मचारी तथा सीमा सुरक्षा दल का एक सदस्य जो उन्हें गिरफ्तार करने वाले दस्ते में था मारे गये थे और बाइस व्यक्ति (सशस्त्र रक्षक दल के 4 सदस्यों को मिला कर) घायल हुए।

(ग) जी हां।

(घ) ट्रक ड्राइवर की ओर से तेज चलाना या कोई लापरवाही सिद्ध नहीं हुई।

दिल्ली सशस्त्र पुलिस

974. **श्री बी० के० मोदक :** **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री उमानाथ :**
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस से हाल में हथियार ले लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कुल कितने पुलिस कर्मचारियों से हथियार ले लिये गये हैं ; और

(ग) दिल्ली पुलिस में इस समय कुछ कितने सशस्त्र पुलिस कर्मचारी हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। दिल्ली सशस्त्र पुलिस के कुछ कर्मचारियों की, प्रशासनिक कारणों से केवल ड्यूटी बदली गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 3334.

Ammunition Unearthed in Delhi-Shahdara

975. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Molahu Prasad :**
Shri George Fernandes : **Shri Madhu Limaye :**
Shri Maharaj Singh Bharati : **Shri Rabi Ray :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police discovered in April, 1967, large quantities of arms and ammunition dumped underground in Shahdara;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any arrests have been made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : An old rusted unexploded bomb and 8 rusted daggers were thrown out when a bomb exploded in front of the General Hospital, Shahdara on 3rd April, 67, while some labourers were digging the ground for laying an underground pipe and the pick-axe of a labourer struck against the bomb. The details were furnished to the Lok Sabha in reply to Unstarred Question No. 137 on 24. 5. 1967.

(c) No, Sir.

डाक टिकटों का निर्यात

976. **श्री ज्योतिमय बसु :**
श्री पी० के० मोदक : (हि० कं० ठ)
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-टिकटों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या और वर्ष 1964 से लेकर 1966 तक की अवधि में कुल कितने डाक-टिकटों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि डाक-टिकटों के, जो यूरोप के देशों में ऊंचे मूल्यों पर बिकते हैं, माध्यम से काफी रकम बाहर भेजी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो डाक-टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि को देश में मंगवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) निर्यात नियंत्रण आदेश के किसी भाग में भी डाक-टिकटों का उल्लेख नहीं है । अत : निर्यात के लिए वे विनियंत्रित है ।

(ख) 1964-65 व 1965-66 के दौरान निर्यात किये गए डाक-टिकटों का मूल्य सभा-पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 479/67]**

(ग) तथा (घ)-हमारे डाक-टिकटों पर विदेशी-मुद्रा मिलती है और वह विदेशों में बिक्री के द्वारा प्राप्त होती है । यदि कोई भारतीय किसी तरीके से विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है तो प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर वह उसे विदेशी मुद्रा नियंत्रण-कार्यालय को सौंप देनी पड़ती है । इस तरह की विदेशी मुद्रा को रोके रखने का कोई भी प्रयत्न करने पर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 का उल्लंघन होता है और यह अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा लागू किया जाता है ।

Sales Tax on Hosiery Goods in Delhi

977. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Home affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Delhi State Advisory Committee has suggested withdrawal of sales tax on hosiery articles;

(b) whether it is also a fact that sales tax is not realised on hosiery articles at Calcutta, Bombay and Madras; and

(c) if so, the reasons for realising sales tax on these articles in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) : The Delhi Sales Tax Advisory Committee, set up by the Chief Commissioner of Delhi to advise him on matters relating to the administration of sales tax laws in the Union Territory of Delhi, had recommended at its meeting held on 4th February, 1964 that hosiery goods should be exempted from sales tax in Delhi. This recommendation was not accepted by the Delhi Administration because hosiery goods were taxed in the adjoining States.

(b) : According to information obtained from the Government of West Bengal, Madras and Maharashtra, hosiery goods are exempt from sales tax in Calcutta, but not in Madras. In Bombay, hosiery articles directly manufactured from yarn in one operation are taxed at 6 percent, but hosiery articles made from textile fabrics and sold at a price not exceeding Rs. 10/-per article are exempt from sales tax, such articles sold at a price exceeding Rs. 10/-per article being taxed at 2 percent.

(c) : As tax is levied on sale of hosiery goods in the States adjoining the Union Territory of Delhi, grant of exemption on these goods in Delhi could not be justified.

दिल्ली में बिक्री कर समाप्त करना

978. श्री बी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री श्री गोपाल साबू :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिक्री कर को समाप्त करने तथा उत्पादन के स्थान पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Payment of Privy Purses

979. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state : the amount to be paid as privy purses during the year 1967-68 ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : Rs. 4,81, 59,614.

काश्मीर पोलीटिकल कांफ्रेंस की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को ज्ञापन

980. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री ~~रामपुरे :~~ महादेवप्पा
श्री ~~एन० के संघी :~~ न० कु० सं (हस्त)

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान समर्थक संस्था, काश्मीर पोलिटिकल कांफ्रेन्स ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, उथान्ट को, उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान एक ज्ञापन पेश किया था, जिसमें काश्मीर समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इसको कोई महत्व नहीं देती।

उच्चतम न्यायालय में मुकदमे

981 श्री रामानी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में अनेक मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो करों (प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर) से सम्बन्धित कितने मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं तथा कितनी अवधि से; और

(ग) क्या अनिर्णीत मुकदमों के शीघ्र निपटाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय में 1 मई, 1967 को अनिर्णीत मुकदमों की संख्या 4176 थी।

(ख) उस तिथि पर कर (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) सम्बन्धी अनिर्णीत मुकदमों की संख्या 717 थी। ये मुकदमे निम्नलिखित वर्षों में दायर किए गये थे :–

1967 में 183, 1966 में 349, 1965 में 183 और 1962 में 2। 1962 में दायर मुकदमे तैयार नहीं हैं क्योंकि करदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों को बदलने के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इन अपीलों के वापस ले लिए जाने की सम्भावना है।

(ग) अनिर्णित मुकदमों की कुल स्थिति को देख कर न्यायालय के प्रत्येक सत्र में कर, श्रम, चुनाव, आपराधिक, संवैधानिक आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के तैयार मुकदमों को निबटाने के लिए विशेष बैंच एकदम गठित किए जाते हैं, और अनिर्णीत मुकदमों की संख्या को कम करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने सामने विचारार्थ प्रस्तुत मामलों को शीघ्र निबटाने की दृष्टि से अपने नियमों में संशोधन किए हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये विशेष भर्ती

982. श्री रामानी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये विशेष भर्ती परीक्षा करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में जासूसी करने वालों की गिरफ्तारियां

983. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की ओर से जासूसी करने के सन्देह में दिसम्बर, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक भारत में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या थी;

(ख) ये व्यक्ति कब और किन-किन स्थानों पर पकड़े गये थे; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा मुकदमे इस समय किस अवस्था में हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 480/67]

डाकुओं द्वारा चोरी छिपे हथियार लाया जाना

984. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बल नदी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश में जब हाल ही में कुछ डाकुओं को मार डाला गया तो उनके पास से सेना की स्टैंडर्ड राइफलें और गोला बारूद प्राप्त हुआ;

(ख) क्या इस बात की जांच की गई है कि यह राइफलें और गोला बारूद उनके हाथ कैसे लगा ;

(ग) क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हथियारों की तस्करी को रोकने के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत से सेवा से निवृत्त पुलिस-अधिकारी भी डाकुओं के साथ मिले हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) मध्य-प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार उस राज्य के बारे में उत्तर है—"हां" । अन्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) मध्य प्रदेश के बारे में उत्तर है "जी नहीं" । उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sangeet Natak Academy

985. Dr. Ram Manohar Lohia: **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri Madhu Limaye : **Shri Rabi Ray:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether some persons are to be nominated to the Executive Committee of the Sangeet Natak Academy; and

(b) the names of the Chairman and the Secretary of the said Academy who have held these offices so far and the names of the persons now recommended ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Government of India have already made their nominations on the Executive Board of the Akademi.

(b) (i) The persons who held office of the Chairman of the Akademi so far are :—

(1) Dr. P.V. Rajamannar.

(2) Sri Jaya Chamaraja Wadiyar Bahadur.

(3) Shrimati Indira Gandhi (Present Chairman—appointed for a period of 5 years with effect from 14-12-1965).

(ii) The names of persons who held the office of the Secretary of the Akademi are:-

(1) Miss Nirmala Joshi.

(2) Shri K. P. Biswas (Finance & Accounts Officer of the Akademi-pending arrangement to fill the post on a regular basis),

(3) Shri Bal doon Dhingra.

(4) Shri T. S. Swaminathan.

(5) Dr. V. K. Narayana Menon.

(6) Dr. Suresh Awasthi (Present Secretary—on deputation from Ministry of Education from 26-11-1965).

The question of recommending any names for the office of Chairman and Secretary does not arise at present.

Charges Against I. P. S. Officers

986. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of I. P. S. Officers against whom charges of indiscipline and corruption were levelled during 1966–67; and

(b) the number of those out of them who were punished ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Rehabilitation of Immigrants from East Pakistan

987. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:-

(a) the measures taken to rehabilitate the displaced families from East Pakistan during 1966-67;

(b) the State-wise details of rehabilitation of refugees; and

(c) the amount incurred on their rehabilitation?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) The displaced families from East Pakistan, who have migrated on or after the 1st January, 1964, are being rehabilitated according to their background occupations.

The agriculturist migrant families are being rehabilitated on land and for them culturable forest land is being reclaimed in the different Project areas in the Dandakaranya, Andamans, Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. These families as well as those who are being resettled in other States on land are being given financial assistance according to prescribed patterns for construction of houses, purchase of agricultural implements, seeds, fertilisers and bullocks, maintenance assistance etc.

The non-agriculturist migrant families are being resettled in business and industries & financial assistance is also being given to them for construction of houses, business loans maintenance. etc. Some of them are being imparted training in various Industrial Training Institutes etc. with a view to better their prospects for employment.

(b) and (c) : A Statement showing the details of rehabilitation of refugees in various States etc. and the amount sanctioned for each State during the year ending 31.3. 1967 is attached. **(Placed in Library, See No. Lt. 487/67)**

Technicians Registered in Employment Exchange, Delhi

988. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of trained technicians, as on the 30th April, 1967, who got their names registered with the employment exchanges in Delhi for the purpose of obtaining employment; and

(b) the number of trained technicians who were provided with jobs through these exchanges during 1966-67 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : Separate statistics of trained technicians are not collected. Latest available figures relating to total number of technicians, with or without a formal certificate or diploma, are given below ;

(a) 5,888 as on 31st December, 1966.

(b) 3,000 during 1966-67.

Employment Exchanges in Rajasthan

989. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Graduates who got their names registered with employment exchanges in Rajasthan during 1966-67; and

(b) the number of those among them to whom jobs were provided ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : The information is collected at half-yearly intervals relating to June and December. Latest figures are given below :

(a)	Registrations effected during 1966	...4,001
(b)	Placements effected during 1966.	663

दिल्ली में प्राथमिक पाठशालाओं में दाखिला

990. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने वाले बीसियों लड़के और लड़कियों को अप्रैल, मई, 1967 में प्राथमिक पाठशालाओं में दाखिला नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सूक्ष्म विद्युत तरंगों से समाचार भेजने की प्रणाली (माइक्रो-रिले सर्विस)

991. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री मणीभाई जे० पटेल :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने सौराष्ट्र के कुछ नगरों से सम्पर्क स्थापित करने वाले माइक्रो-रिले सर्विस स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना लागत खर्च आयेगा; और

(ग) यह सेवा कब से आरम्भ हो जायेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, एक सूक्ष्मतरंग रेडियो रिले प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे राजकोट, जामनगर, कांदला तथा भुज को जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) लगभग 44.6 लाख रुपये।

(ग) लगभग दो वर्ष में।

स्वचालित यंत्रों के प्रयोग के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन

992. **श्री के० रमानी :**
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ केन्द्रीय कर्मचारी संघ संगठनों से इस आशय का कोई संयुक्त ज्ञापन मिला है कि स्वचालित यंत्रों के प्रयोग के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन के हाल के अधिवेशन के निर्णयों को गलत रिकार्ड किया गया;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम तथा ज्ञापनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : स्वचालित यंत्रों सम्बन्धी 24 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (नई दिल्ली जुलाई, 1966) के निष्कर्षों के बारे में हिन्द मजदूर सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस से एक संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक त्रिपक्षीय बैठक में इस प्रश्न पर दोबारा विचार-विमर्श नहीं हो जाता तब तक स्वचालित यंत्रीकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों को स्थगित रखा जाए।

(ग) यह मामला 26वीं स्थायी श्रम समिति के सामने रखा गया, जिसकी बैठक नई दिल्ली में 10 मई, 1967 को हुई। परन्तु यह समिति स्वचालित यंत्रों के प्रश्न पर संक्षिप्त रूप से ही विचार कर सकी और कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया।

बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

993. श्री के० रमानी :
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता देने के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो कितने नियोजकों ने इसको कार्यान्वित नहीं किया है; और

(घ) सरकार को मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिशें कब तक दे दी जायेंगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अब तक बोर्ड ने 8 बैठकें बुलाई हैं। एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की जा चुकी है। अंतरिम सहायता के विषय में बोर्ड ने कुछ केन्द्रों में संबंधित पक्षों के विचार सुने हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय यह कहना संभव नहीं है कि बोर्ड की अंतिम सिफारिशें कब तक प्रस्तुत की जायेंगी।

सचिवों के वेतन

994. श्री बी० एन० शर्मा : श्री बेणी शंकर शर्मा
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार के सचिवों के वेतन 3,000 रुपये से बढ़ा कर 3,500 रुपये, अतिरिक्त सचिवों के वेतन 2,750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और संयुक्त सचिवों के वेतन 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दिये हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त सचिव के पदों से नीचे किसी भी पद की, चपरासी से लेकर उप-सचिव तक की वेतन वृद्धि नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, सिवाय इसके कि संयुक्त-सचिवों का संशोधित वेतन क्रम 2500-125/2-2750 रु० है न कि 2750 रुपये।

(ख) जी हां, यदि उपरोक्त वेतन क्रमों को गिना जाए।

(ग) संयुक्त सचिवों तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के वेतन क्रमों में संशोधन आंशिक रूप से तो इसलिए किया गया था कि हाल के वर्षों में उत्तरदायित्व में वृद्धि हो गई थी

और अंशतः इसलिए कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी 1 से भरती के तरीके के एक अध्ययन से पता चला था कि सरकारी सेवा में ऊंचे वेतनों में संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि 1947 से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ये कारण नीचे की श्रेणियों पर लागू नहीं होते और न ही वेतन क्रम के ढांचे में सामान्य रूप से कोई संशोधन करने का विचार है। नीचे की श्रेणियों के वेतन क्रम में वित्तीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1–7–1959 से संशोधन किया गया था और उन्हें समय-समय पर महंगाई भत्ता भी दिया गया है। 1000 रुपये से 2250 रुपये प्रतिमास तक 2350 रुपये तक सीमान्त समायोजन करते हुए वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी 1–3–1966 से 100 रुपये प्रतिमास की दर से महंगाई भत्ता दिया गया है। सरकार का इस बारे में फिलहाल और कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

995. श्री पी० राममूर्ति :
श्री म० क० गोपालन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि ने मजूरी बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसके स्थान पर कोई नया सदस्य नामजद किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) श्री केदार घोष ने इस आधार पर त्यागपत्र दिया कि वह स्टेटसमैन के जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किये गये हैं।

(ग) जी हां, उनकी जगह पर फ्री प्रेस जर्नल, बम्बई के श्री एस० बी० कोल्हे नियुक्त किये गये।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को बकाया राशि का भुगतान

997. श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अध्यापकों को, विशेषकर नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को, उनके वेतन की बकाया राशि जिस तारीख को उन्हें मिलनी चाहिये उसके बाद 6 से 7 वर्ष की अवधि से पहले नहीं मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जो पांच साल से अधिक समय से नगर निगम के पास अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) बकाया राशि का भुगतान करने में निगम को अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गृह-कार्य मन्त्री के निवास स्थान पर पुलिस द्वारा प्रदर्शन

998. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने 14 और 15 अप्रैल, 1967 को उनके निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वह पुलिस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिले थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) गृह मन्त्री ने प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी सच्ची शिकायतों के बारे में सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे पुलिस दल के सदस्य होने के नाते उन्हें अनुशासित ढंग से आचरण करना चाहिए और एक दम काम पर वापस लौट जाना चाहिए ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 15 अप्रेल, 1967 को गृह मन्त्री निवास स्थान के निकट गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों की संख्या 687 थी ।

चमड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

999. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा उद्योग के लिये नियुक्त मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या हैं और क्या चमड़े के सभी कारखानों ने बोर्ड के अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशें अमल में लाई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता देने की सिफारिशें की हैं और वे सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं । सिफारिशों की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा कराई जा रही हैं और उनसे इस सम्बन्ध में प्रगति की

रिपोर्टें मांगी गई हैं। उद्योग का आकार और जटिल विषयों के कारण मजूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने में कुछ और समय लग सकता है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

1000. डा० रानेन सेन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर ने वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में बिक्री से आय, लाभ, निर्यात और आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुओं के उत्पादन में, कितनी प्रगति की; और

(ख) देश के सभी भागों में टेलीफोन सम्बन्धी मांगों को पूरा करने में उपरोक्त प्रगति कहां तक सहायक होगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस विषय में स्थिति निम्न प्रकार है :

विक्रय आवर्त (सेवाओं समेत)

1965–66	1252.58 लाख रु०
1966–67	1778 लाख रु०

लाभ

	कराधान से पूर्व	कराधान की व्यवस्था के बाद
1965–66	198 लाख रु०	74.33 लाख रु०
1966–67	275 लाख रु० (बजट में), 1966–67 के लेखे को अभी अन्तिम रूप देना शेष है।	

निर्यात

1965–66	9.37 लाख रु०
1966–67	81.17 लाख रु०

आयात प्रति-स्थापन (विदेशी मुद्रा की बचत)

1965–66	लगभग	55 लाख रु०
1966–67	लगभग	42 लाख रु०

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टेलीफोनों का उत्पादन डाक और तार विभाग की अयोजना-अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है किन्तु इस वर्ष, स्रोतों के अभाव के कारण डाक और तार विभाग के पास, धन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित किया गया विस्तार-कार्यक्रम, देश में जनता की वास्तविक मांग की तुलना में बहुत कम है।

घूसिक कोयला खान, रानीगंज

1001. डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घूसिक कोयला खान, रानीगंज में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिये जाने के बारे में एक औद्योगिक विवाद था, जो मन्त्रालय द्वारा न्यायनिर्णयन के लिये नहीं भेजा गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रैल, 1967 में आसनसोल के अतिरिक्त सत्र-न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पुलिस के आचरण के विरुद्ध टिप्पणियां दी हैं और कहा है कि सिखाये-पढ़ाये गये गवाहों से झूठी गवाही दिलाकर नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों को गलत फंसाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये भेजने के प्रश्न पर इस बीच पुनर्विचार किया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) न्यायाधीश ने पुलिस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उन्होंने यह बात मानी है कि मुख्य अभियोजन गवाह कालियरी मैनेजर द्वारा सिखाये-पढ़ाये गये थे और यह कि उनकी गवाही का कोई वजन नहीं है।

(ग) जी हां। यह विवाद न्यायनिर्णय के लिये भेजा जा रहा है।

इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज के धन का गबन

? Misuse.

1003. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज के शासी निकाय द्वारा विद्यार्थियों के कोष तथा अध्यापकों की भविष्य निधि में से लगभग 1 लाख रुपये की राशि के गबन के आरोप की जांच करने के लिये तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो वह समिति किस निष्कर्ष पर पहुँची है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज के अधिकारियों पर लगाये गये विद्यार्थियों के कोष का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 मार्च, 1967 को हुई बैठक में इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज, दिल्ली के अध्यापकों की भविष्य निधि का कालेज की कमी को पूरा करने के लिये काम में लाये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति बनाई थी। यह समिति अपना प्रतिवेदन अभी देगी।

Postal Life Insurance

1004. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lower the premium rates of the Postal Life insurance; and

(b) if so, when and by how much ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) The premium rates of Postal Life Insurance have already been lowered by Rs. 1.20 to Rs. 3.60 in the Endowment Assurance group of policies and by Rs. 3.60 to Rs. 21.60 in respect of Whole Life policies per thousand sum assured per annum, with effect from the 1st April, 1967.

Establishment of Mithila University

1005. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Education Minister of Bihar requested him at the time of his visit to Bihar in April, 1967 that the Mithila University should be established in Darbhanga; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Education Minister was advised that instead of establishing a new university, the present Sanskrit University at Darbhanga may be reorganised into the proposed Mithila University. A reference to that effect has since been reeived in the University Grants Commission.

Financial Position of Delhi University Colleges

1006. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial condition of some Colleges of Delhi University is not satisfactory; and

(b) if so, whether the University Grants Commission or his Ministry propose to take over the management of these Colleges ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. However, the question of giving maintenance grants to Delhi Colleges on a more liberal basis and that of taking over their management in certain cases

for such period as the University might deem appropriate, was recently examined by a committee set up by the University Grants Commission. Its recommendations are at present under consideration of the Commission.

जम्मू और काश्मीर में व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेजों को केन्द्रीय सहायता

1007. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में चिकित्सा, इंजीनियरी तथा कृषि कालेजों को गत तीन वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) इस समय जम्मू और काश्मीर में पृथक् पृथक् चिकित्सा, इंजीनियरी और कृषि के कितने कालेज हैं; और

(ग) इन कालेजों में कितने प्रतिशत अल्प-संख्यकों को दाखिला दिया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में स्थानीय टेलीफोन करने का शुल्क

1008. **श्री वी० कृष्णमूर्ति :**
श्री श्रद्धाकार सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री एन० आर० सांघी :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोनों से स्थानीय टेलीफोन करने के शुल्क में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह शुल्क बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे राजस्व में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, दिल्ली सहित समूचे देश की दरें संशोधित कर दी गई हैं।

(ख) प्रस्तावित 5 पैसे के सिक्के से, जिसका कि वजन बहुत कम होता है, चलाने के लिए कायन बाक्स वाले सार्वजनिक टेलीफोनों की बनावट को बदलना संभव नहीं है। अत: उनकी बनावट इस तरह की रखी गई है कि उन्हें दस दस पैसे के दो सिक्कों से चलाया जा सके।

(ग) समूचे देश से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रु० का प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

Plebiscite in Kashmir

1009. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the demand reiterated by the Kashmir Avami Action Committee at Srinagar on the 1st April, 1967 that arrangements be made for conducting a plebiscite in Kashmir; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) While according to information available, no such demand was made by the Kashmir Awami Action Committee on the 1st April, 1967, Government are aware of the Committee's stand seeking self-determination for Kashmir. There can be no question of holding a plebiscite in Kashmir in view of Government's stand on the question which has been publicly stated on various occasions.

Urban Property Tax in Delhi

1010. **Shri Mohan Swarup** ; Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a high-level Commission has recommended that land tax be levied on all urban property in the Capital ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to implement the same ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)- (a) to (c) : The Commission of Inquiry appointed to look into the finances of local bodies in Delhi had recommended in its interim report that suitable legislation should be enacted for the levy of an Urban Land Development Tax on all properties including Government and public properties usable or used for remunerative purposes at the rate of 2½./· of the land value. Later, however, in its meeting held on 7-3-1967, the Commission decided to re-examine their recommendations. Final report of the Commission is awaited.

Tripura Squall

1011. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy loss of life and property was sustained as a result of a violent squail in Tripura recently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by the Central Government to provide relief ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b) On the 15th, 17th and 18th April 1967, cyclonic gales and heavy rains swept over large parts of Tripura resulting in loss and damage to property worth about rupees twenty three lakhs and ninty five thousand. 27 persons were killed and a large number injured. Standing paddy, mango and jack-fruit crops were damaged.

(c) (i) A sum of Rs. 5 lakhs was sanctioned to provide immediate gratuitous relief.

(ii) A sum of Rs. 25,000/- from the Prime Minister's National Relief Fund was sanctioned to give relief to families of those who died.

(iii) An advance of pay upto 3 months was sanctioned in the case of Government servants whose property was affected by the cyclone.

(iv) 2000 tonnes of rice was allotted to Tripura in addition to their normal quota and a further allotment of 2000 tonnes is expected to be made by the end of May.

(v) Arrangement made for free distribution of seeds and permission given for free extruction of Building material like sun grass, Bamboo, wooden posts from forest.

घोरी कोयला खान दुर्घटना

1012. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जिसके कारण 1965 में घोरी कोयला खान दुर्घटना हुई थी, कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) घोरी कोलियरी के मालिक, एजेंट और प्रबंधक के विरुद्ध दो फौजदारी मामले चलाये गये हैं और ये मामले हजारी बाग के मुन्सिफ–मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला खान विनियम के विनियम 25 के अन्तर्गत कोलियरी के प्रबन्धक के आचरण के विरुद्ध एक जांच अदालत स्थापित की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन वालों को सीधे डायल करने की सुविधाएं

1013. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री एस० एस० कोठारी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मद्रास कानपुर तथा बम्बई में टेलीफोन वालों को सीधे डायल करने की सुविधाएं शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगी;

(ख) वर्ष 1967 के अन्त तक किन-किन महत्वपूर्ण शहरों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता को इन सुविधाओं के लिये अभी कई वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर से अन्य स्थानों के लिए एक ओर के टेलीफोन से दूसरी ओर का टेलीफोन मिलाने को उपभोक्ता ट्रंक डायल प्रणाली की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है। बम्बई, दिल्ली, कानपुर, तथा मद्रास में नये किस्म के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज पहले से ही स्थापित किये जा रहे हैं। इनके पूरा होने पर इन स्थानों तथा अन्य स्थानों के बीच, जिन्हें इन एक्सचेंजों से जोड़ा जाएगा, ट्रंक डायल प्रणाली की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

(ख) मद्रास, बम्बई तथा दिल्ली के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज 1967 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। तब कुछ स्थानों—मद्रास, बंगलौर, बम्बई, पूना, अहमदाबाद, दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा जालन्धर—के बीच ट्रंक डायल प्रणाली की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इन स्थानों को पूरी तरह से जोड़ने और दूसरे स्थानों के लिए इनके विस्तार देने का काम उत्तरोत्तर पूरा किया जाएगा।

(ग) जी हां, लगभग तीन वर्ष तक। फिर भी, कलकत्ते की प्रणाली में कुछ संशोधन पहले से ही किये जा रहे हैं, ताकि कलकत्ता में उपभोक्ता ट्रंक डायल प्रणाली लागू करना संभव हो सके।

(घ) कलकत्ता के स्थानीय केन्द्र विशेष प्रकार के हैं जो "निर्देशक प्रणाली" के एक्सचेंज कहलाते हैं। कलकत्ते में यह प्रणाली 20 वर्ष पहले लागू की गई थी और उस समय कलकत्ता एवं आसपास के स्थानों में स्वचल कार्य-प्रणाली लागू करने का कम खर्च पर यही सबसे सुविधाजनक हल था। इस प्रणाली की तकनीकी रूपरेखा कुछ ऐसी है कि उपभोक्ता ट्रंक डायल कार्य-प्रणाली चालू करने के लिए उसके परिपथों में परिवर्तन तथा संशोधन करना आवश्यक हो गया। इस समस्या को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा आवश्यक परिवर्तनों के डिजाइन भारत में तैयार किये गये हैं। उपस्कर बनाये गये और उनके परीक्षण सफल रहे। परिवर्तन करने के लिए आवश्यक सभी उपस्कर मंगाने के मांग-पत्र भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ को भेज दिये गये हैं और उनमें से कुछ प्राप्त हो चुके हैं तथा संशोधन करने का काम हाथ में ले लिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के बम्बई प्रादेशिक कार्यालय में हिसाब किताब के लिए यंत्रों का प्रयोग

1014. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री उमानाथ :
श्री के० सानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के केन्द्रीय बोर्ड की उप-समिति ने बम्बई प्रादेशिक कार्यालय में हिसाब किताब के लिए यंत्रों के प्रयोग की समस्या की जांच की थी;

(ख) क्या इस उप समिति ने आई० बी० एम० की सहायता से भविष्य निधि के हिसाब किताब के लिये यंत्रों के प्रयोग की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टियों की केन्द्रीय बोर्ड को प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस उप समिति की सिफारिशें तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समिति ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। इसने केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड को भेजी अपनी रिपोर्ट में प्रादेशिक भविष्य निधि कार्यालय, आई० बी० एम० संगठन और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कुछ कमियों का उल्लेख किया है, जिनके कारण सदस्यों को लेखा-स्लिपें जारी करने में देरी हुई है। समिति ने कुछ परिकलन भी प्रस्तुत किए हैं जिनसे पता चलता है कि हाथ की प्रक्रिया द्वारा प्रति वर्ष 15.69 लाख रुपये खर्च होंगे जबकि आई० बी० एम० मशीनों द्वारा 17.10 लाख रुपये प्रति वर्ष। इन कमियों को दूर करने के लिए कार्य-वाही की जा रही है और जांच करने पर यह भी मालूम हुआ है कि समिति द्वारा तैयार किए गए परिकलनों में सुधार की आवश्यकता है और हाथ की प्रक्रिया सस्ती नहीं है। समिति की रिपोर्ट पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड द्वारा विचार किया गया और उसने इस समय मशीनों का इस्तेमाल जारी रखने का निर्णय किया है। कर्मचारी भविष्य निधि एक स्वायत्त संगठन है और यह अपने आप निर्णय कर सकता है कि यह अपना लेखा कैसे तैयार करे।

अमरीका से साज-सामान की प्राप्ति

1015. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा मन्त्री 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से साज-सामान प्राप्त करने के सम्बन्ध में ऋण समझौते के बारे में अमरीकी अधिकारियों से बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैक्सिको में ओलम्पिक खेलों सम्बन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग लेना

1016. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को मैक्सिको नगर में ओलिम्पिक खेलों के समय होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाग के रूप में अपनी परम्परागत सांस्कृतिक गौरव का प्रदर्शन करने के लिये आमन्त्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां भेजे जाने वाले सांस्कृतिक दल का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) 1968 में मैक्सिको में ओलिम्पिक खेलों के समय होने वाले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत के भाग लेने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

1017. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने पद से त्याग पत्र दे देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को देश में श्रमजीवी पत्रकारों के संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मजूरी बोर्ड के कार्य को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब के प्रति विरोध प्रकट किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को अध्यक्ष से त्याग-पत्र देने की कोई धमकी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

Hindi Advisory Committee

1018. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 115 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether Government have taken any final decision on the recommendations of the Hindi Advisory Committee in regard to the employees doing Hindi work;

(b) if not, the further time likely to be taken for arriving at a decision; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) It has not been found practicable to accept the recommendation of the Hindi Salahkar Samiti for the formation of a pool of staff doing Hindi work because of the decentralisation of cadres of Section Officer and below of the Central Secretariat Service. However, uniform recruitment rules for filing the post of Hindi officer by selection, are being finalised in consultation with the various Ministers. These rules will be adopted after obtaining concurrence of the U. P. S. C.

Lock-Out by Hindustan Lever Ltd.

1019. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 109 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the enquiry by the Industrial Tribunal, Delhi into the causes of the lock-out by the Hindustan Lever Ltd., as a result of the strike by the employees, has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the time likely to be taken; and

(d) the extent of loss due to the strike ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) An industrial dispute relating to introduction of scheme of re-organization by the management has been referred for adjudication to the Additional Industrial Tribunal, Delhi. The Tribunal has not yet given its award.

(b) Does not arise.

(c) The Tribunal is likely to take some more time.

(d) Information is not available in regard to fall in turn-over and loss of sales.

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में
प्रश्नोत्तर की भाषा

1020. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं में लेने के लिए पूर्ण रूप से प्रबन्ध कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं में ली जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। इस मामले की अभी भी संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विस्तार में जांच की जा रही है। इस बारे में अभी यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि किस वर्ष से परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं में प्रारम्भ हो जायेंगी।

Security Arrangements for Prime Minister

1021. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Surendranath Dwivedy :
Shri Hem Barua :
Shri Sharda Nand :

Shri A. B. Vajpayee :
Shri J. B. Singh :
Shri Bharat Singh :
Shri Ranjit Singh :
Shri Ram Kishan Gupta ;

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 114 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the State Government have since completed the enquiry into the matter relating to the security arrangements for the Prime Minister during her visit of Orissa; and

(b) if so the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Details of the enquiry by the State Government are awaited.

New N. D. M. C. Schools

1022. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of new schools proposed to be opened by the New Delhi Municipal Committee during 1967-68 keeping in view the increasing number of students and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhawat Jha Azad) : No new school is proposed to be opened in 1967-68 as the existing schools are expected to accommodate all fresh students seeking admission.

Influx of Displaced Persons into Tripura

1023. **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the influx of displaced persons from Pakistan into Tripura has again started on a large scale;

(b) if so, the number of displaced persons who have arrived in Tripura from Pakistan for the first time during the past one or two months and the circumstance which compelled them to do so; and

(c) whether the Chief Minister of Tripura has furnished any information in this regard to the Centre ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir. There has however been a somewhat upward trend in the influx of migrants from East Pakistan into Tripura in recent months.

(b) 510 families comprising 2,907 persons are reported to have arrived in Tripura from East Pakistan from 1-3-1967 to 13-5-1967. The main reasons for their migration, as reported by them, were :—

(i) feeling of insecurity owing to interference with their religious rites and pattern of education,

(ii) difficult economic situation in East Pakistan and the economic boycott by the majority community,

(iii) molestation, kidnapping and raping of women on an increasing scale,

(iv) inability to secure redress of grievances against the members of the majority community from local officers or courts.

(c) Yes.

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद

1024. **श्री स्वैल :** **डा० कर्णी सिंह :**
श्री किकर सिंह : **श्री कौलाई विरुआ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद में शामिल राज्यों के क्या नाम हैं;

(ख) विवादों का विषय क्या है; और

(ग) इन विवादों को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) महाराष्ट्र तथा मैसूर, मैसूर तथा केरल और आसाम तथा नागालैण्ड के बीच सीमा विवाद चल रहे हैं।

(ख) पहले विवाद का सम्बन्ध सीमाओं में इस प्रकार के समायोजन से है जिसके द्वारा कुछ मराठी भाषी क्षेत्रों का मैसूर से महाराष्ट्र को और कुछ कन्नड भाषी क्षेत्रों का महाराष्ट्र से मैसूर को हस्तान्तरण हो सके। दूसरा विवाद इस बारे में है कि क्या कैसरगोड तालुक जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की व्यवस्था के अधीन केरल में शामिल किया गया था मैसूर को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। तीसरा विवाद आसाम तथा नागालैण्ड राज्यों के बीच स्पष्ट सीमा के प्रश्न पर है। नागालैण्ड की सरकार ने आसाम के कुछ रक्षित वनों पर भी दावा किया है।

(ग) महाराष्ट्र मैसूर तथा मैसूर-केरल के बीच के सीमा विवाद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग को विचारार्थ सौंप दिए गये हैं जिसमें भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन हैं। आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। आसाम तथा नागालैण्ड के सीमा विवाद के बारे में स्थिति लोक सभा में 24 मई, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर में बता दी गई थी। उसमें बताया गया था कि नागालैण्ड के मुख्य मंत्री द्वारा एक सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव विचाराधीन है और यह कि तब तक दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इस बारे में अधिकारी स्तर पर बात चीत की जाए।

पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों का दर्जा बढ़ाना

1025. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ~~बी० के० मोदक~~ : बि० कृ० मोदक

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से 1966 तक पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग के कितने अधिकारियों का दर्जा बढ़ाकर आयुक्तों के पद के बराबर किया गया;

(ख) अन्य राज्यों में इसकी तुलना में स्थिति क्या है;

(ग) दर्जा बढ़ाने से इन अधिकारियों को कुल कितना वित्तीय लाभ हुआ; और

(घ) क्या सरकार मितव्ययता की दृष्टि से उनका दर्जा घटा कर उनके पहिले पद पर लाने की सिफारिश करने का विचार कर रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चलचित्र उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

1026. **श्री शारदा नन्द :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच चलचित्र उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड के सदस्यों के नामों तथा निर्देश पदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनको कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों से उनके प्रतिनिधियों का ब्यौरा मंगाया गया है। ब्यौरा प्राप्त होने के बाद बोर्ड की नियुक्ति को अन्तिम रूप दिया जायगा।

सुरक्षा सैनिकों और मिजो विद्रोहियों की मुठभेड़

1027. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रैल, 1967 को हमारे सुरक्षा सैनिकों और मिजो लोगों के बीच भारी मुठभेड़ हुई थी;

(ख) क्या कोई शस्त्रास्त्र पकड़े गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन शस्त्रास्त्रों पर किन-किन देशों के चिन्ह अंकित थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जो शस्त्रास्त्र बरामद किये गए वे ऐसे थे जो पहले विद्रोहियों के कब्जे में चले गए थे ।

भुवनेश्वर स्थित उत्पत्ति-विज्ञान तथा आयु-विज्ञान प्रयोग शाला

1028. **श्री अनिरुधन :**
श्री उमा नाथ :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री बाबूराव पटेल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसे समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भुवनेश्वर में स्वर्गीय प्रोफेसर जे० बी० एस० हालड़ेन द्वारा स्थापित की गई उत्पत्ति-विज्ञान तथा आयु-विज्ञान प्रयोगशाला वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोगशाला को सहायता देने का है; और

(ग) सरकार द्वारा किस रूप में सहायता दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सरकार द्वारा स्वर्गीय प्रोफेसर हालडेन तथा बाद में श्री जय कर के साथ किये गये करार की अवधि समाप्त होने पर, 31 जुलाई, 1967 से प्रयोगशाला बन्द की जा रही है । प्रयोगशाला पैसे की कमी के कारण बन्द नहीं की जा रही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Expenditure on Rehabilitation of Repatriates from Burma in Delhi

1029. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount allocated during 1965–66 and 1966–67 for the rehabilitation of Indians who have come to Delhi from Burma;

(b) the amount spent out of that and the number of persons who benefited there from; and

(c) the total number of such persons who have settled in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation : (Shri L. N. Mishra) :

(a) 1965–66=Rs. 95,000
1966–67=Rs. 50,000

(b)

Year	Amount distributed	Number of beneficiaries
1965–66	Rs. 26,700	21
1966–67	Rs. 49,000	33

(c) 375 families

Foreign Technical Experts in India

1030. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of foreign technical experts working in the various technological engineering and industrial establishments in the country;

(b) whether any scheme is under consideration of Government to substitute these foreign technical experts by the Indian technical experts working abroad giving them the same pay scales; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c) : Information is not available. In view of the wide scope of the Question, the time and cost involved in collecting the information will not be commensurate with the results.

Unemployment of Literates

1031. **Shri Ram Charan :**

Shri Mohsin :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of literate and semi-literate unemployed persons after the First, Second and Third Five Year Plans and their number at present state-wise;

(b) whether these figures prove that the number of unemployed persons in Eastern Uttar Pradesh and Bihar is very large; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to reduce their number ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The information is not available.

(b) and (c) Do not arise.

Personal Staff of Ministers

1032. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officers and other employees (category-wise) working on the Personal Staff of the Prime Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers of the Central Government as at present; and

(b) the number of persons amongst them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs; (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Post Office Facilities in U. P.

1033. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Post Offices at present in Uttar Pradesh and the number of those having the Saving Banks facility,

(b) the number of new Post Offices proposed to be opened by Government in Uttar Pradesh during the next two years; and

(c) whether the new Post Offices are proposed to be provided with Telephone and Telegraph facilities ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Out of 11,698 Post Offices Savings Bank facility is available in 6,911 offices.

(b) Subject to availability of funds and standards being satisfied it is proposed to open 827 Post Offices.

(c) Some of the proposed new Post Offices will be provided with telephone and telegraph facilities. Provision of these facilities is however dependent on the Post Office being situated in 'category' station in accordance with policy laid down by the Department; otherwise the proposals should be remunerative or guaranteed against loss.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों का मासिक वेतन

1034. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों तथा हैड कांस्टेबलों को कुल कितना मासिक वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या यह वेतन राज्यों द्वारा अपने पुलिस कांस्टेबलों तथा हैड कांस्टेबलों को दिये जाने वाले वेतन के समान है अथवा उससे कम है; और

(ग) यदि कम है, तो प्रतिमास विभिन्न राज्यों की तुलना में कितना कम है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों तथा हैड कांस्टेबलों को मिलने वाला वेतन निम्न प्रकार है :

	वेतन मान	महंगाई भत्ता
1. कांस्टेबल	रुपये 75–1–85– इ० बी०–2–95	47 रुपये प्रति मास
2. हैडकांस्टेबल	रुपये 100–3–130/	109 रुपये तक 47 रुपये और 110 रुपये या इससे अधिक पर 110 रुपये ।

इसके अतिरिक्त जब वे मुख्यालय या दूरस्थ क्षेत्र में सरकारी आवास (लाइन) में नहीं रखे जाते तब उन्हें उनके वेतन पर 7½ प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है। उन्हें विभिन्न दरों पर अलगाव भत्ता (डिटेचमैंट एलाऊन्स) और उन शहरों में नगर-भत्ता भी दिया जाता है, जहां वह प्राप्य होता है ।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर राज्यों के अधिकारी

1036. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 तक दिल्ली प्रशासन में अन्य राज्यों के राज्य असैनिक सेवा के कितने अधिकारी थे;

(ख) इनमें से प्रत्येक अधिकारी अपने वर्तमान राज्य से किस तारीख से लगातार प्रतिनियुक्ति पर है;

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों को विशेष वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश असैनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी संख्या को विशेष भत्ते वाले पद नहीं दिये गये हैं क्योंकि इन पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में असैनिक सेवा अधिकारियों का अपना राज्य संवर्ग बन गया है, क्या सरकार का विचार सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अपने-अपने राज्यों को वापिस भेजने का है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 482/67**]

राज्यपालों के पद

1037. **श्री स्वैल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राज्यों से राज्यपालों के पदों को बनाये रखने के सम्बन्ध में कोई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन अभिवेदनों में इसके क्या कारण बताये गये हैं; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पालमपुर में जीव-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना

1038. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पालमपुर में कोई जीव-विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने इस काम के लिये पालमपुर में 22 लाख रुपये के मूल्य की भूमि अर्जित कर ली थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रयोगशाला का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रस्तावों के लिए, चौथी पंचवर्षीय आयोजना में केवल 46 करोड़ की राशि के नियतन को देखते हुए उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रायोजनाओं की प्राथमिकताओं का, (जिसका जीव-विज्ञान प्रयोगशाला भी एक अंग है) शासन निकाय की 19 नवम्बर 1966 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक समिति द्वारा पुर्नविलोकन किया जा रहा है।

(ख) जी हां। 21 लाख रुपये की लागत पर।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति को देखते हुए इस समय प्रयोगशाला भवन के निर्माण की समय–सूची के बारे में बताना कठिन है।

कांगड़ा डिवीजन में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1039. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में कांगड़ा डाक खण्ड के लिये क्वार्टर निर्माण के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) 1967–68 की अवधि में कितनी राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है तथा जिन स्थानों पर क्वार्टर निर्माण करने का विचार है, उनके नाम क्या है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) खंडों के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि राशि पूरे सर्कल के लिए निर्धारित की जाती है। 1966–67 के दौरान कांगड़ा में उप पोस्टमास्टर के लिए एक क्वार्टर का निर्माण किया गया जिस पर लगभग 15,000 रु० व्यय हुए।

(ख) 1967–68 के दौरान पालमपुर में कर्मचारी क्वार्टरों के 5 यूनिटों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कांगड़ा में कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी गई है। इन पर लगभग 60,000 रुपये की लागत आएगी।

Free Primary Education in States

1040. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that primary education is not absolutely free in many States even now;

(b) if so, the names thereof and the reasons therefor: and

(c) the steps being taken by Government to make Primary Education free throughout the country ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) : According to the information received from the States, primary education is free throughout the country except in special schools and in some schools in the urban areas of West Bengal. According to the West Bengal Government, the main difficulty is financial, but a separate Act to enable the Calcutta Corporation to introduce free and compulsory primary education within the city is said to be under the consideration of that Government.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनर्वास

1041. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** :क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रव्राजियों तथा विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) कितने नये तथा पुराने खेतिहर परिवारों को अब तक बसाया जा चुका है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) विस्थापित व्यक्तियों, स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्वास तथा विशेष क्षेत्र विकास के लिये चौथी योजना के मसौदे की रूप रेखा में कुल 93.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग 3.96 लाख पुराने तथा 21,500 नये परिवारों को खेती पर बसाने के लिये पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है।

नेफा का प्रशासन

1042. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विष्णुराम मेधी, भूतपूर्व राज्यपाल मद्रास ने प्रशासनिक सुधार आयोग की समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें नेफा को असम सरकार के प्रशासन के अधीन लाने का परामर्श दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री विष्णुराम मेधी ने पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित बातों पर प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि श्री मेधी के पत्र पर विचार करना आयोग का काम है।

सालारजंग लायब्रेरी

1043. **श्री एस० ए० अगाड़ी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सालारजंग लायब्रेरी का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की कोई सूची तैयार कर ली गई है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की फाइल पर 1958 के सी० एस० 13 पर पारित डिगरी के फलस्वरूप सालारजंग संग्रहालय सहित, सालारजंग पुस्तकालय भारत सरकार में निहित हो गया था। बाद में सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 (1961 का 26 वां) के लागू होने के साथ और सालारजंग संग्रहालय बोर्ड की नियुक्ति के फलस्वरूप, संग्रहालय तथा पुस्तकालय दोनों उक्त बोर्ड में निहित हो गए है।

(ख) और (ग) : समस्त पुस्तकालय को कागज या अन्य सामग्री पर चाहे छपी हुई या हस्तलिखित सभी भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों के समेत 'ख' चिन्हित सूची में शामिल किया गया था। यह समझौते की उस लिखत के साथ संलग्न थी, जिसे आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिगरी के साथ नत्थी किया गया था।

मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों में परिचालित किये गये क्षमा याचना पत्र

1044. **श्री देवेन सेन :**

श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा परिचालित उस क्षमा याचना पत्र की ओर दिलाया गया है जिस पर गत वर्ष कालेज के विद्यार्थियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये थे;

(ख) क्या इस प्रकार क्षमा याचना कराना स्वतन्त्र देश के विद्यार्थियों के गौरव तथा सरकार की शिक्षा नीति के सिद्धान्तों के अनुरूप है;

(ग) क्या राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह इन पत्रों को वापस ले ले; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : पिछले साल ग्वालियर में हुए विद्यार्थियों के उपद्रवों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह मांग की थी कि यदि विद्यार्थी यह आश्वासन दें कि भविष्य में वे किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ग्वालियर में जो कालेज बन्द हुए थे उनको खोल दिया जाएगा। राज्य सरकार की यह राय थी कि ऐसा आश्वासन देना कोई अपमान की बात नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुरातत्वीय स्थानों की उपेक्षा

1045. **श्री देवेन सेन :**

श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि मैसूर के बीजापुर जिले

के चालुक्य काल के मन्दिरों, मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं आदि जैसे पुरातत्वीय स्थानों की उपेक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी तथा अन्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा वास्तुकलापूर्ण स्मारकों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) ये स्मारक संरक्षण की काफी अच्छी हालत में है और जो प्राथमिकता दी जाती है और जितना पैसा होता है, तदनुसार सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तथा अनुरक्षित अन्य स्मारकों और स्थलों के साथ-साथ इन पर भी सामान्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

Pak Soldiers' Intrusion into Indian Territory

1048. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani soldiers intruded into the Indian territory many times during December, 1966 and January, 1967 and fired at Indian citizens and soldiers;

(b) if so, the number of Indians killed as a result thereof;

(c) the counter-action taken by the Indian soldiers;

(d) whether the Government of Pakistan and U. N. Observers team were informed of it; and

(e) if so, whether they expressed any opinion in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (e) : There was no intrusion by Pak Soldiers on the borders of Gujarat, Rajasthan and Punjab during this period. However, the following incidents were reported elsewhere :—

West Bengal

(i) EPR personnel and Pakistani villagers attempted to remove boundary pillar from area BURABURI (LY 9251)-DWARIKAMARY (LY 9450) on 9th December, 1966. Protest was lodged as a result of which the boundary pillar was re-installed.

(ii) EPR personnel kidnapped one Indian national with two buffaloes and one plough from MALIK SULTANPUR (QH 9358) on 12th January, 1967. The Indian national was subsequently released. A strong protest was lodged.

Assam

Some EPR personnel trespassed into Indian territory at HATHIGORA (not on map), P. S. DALU (RA 2403) on 25th January, 1967 and kidnapped one Indian PWD contractor. The Contractor was subsequently returned as a result of the protest lodged by us.

Tripura

Six Pak nationals backed by EPR trespassed into Indian territory at BARJUSH (not on map) at 1400 hrs on 7th January, 1967, and kidnapped one Indian national with three heads of cattle. A Border Security Force patrol party from RAJNAGAR was rushed to the spot. East Pakistan Rifles personnel fired one round and retreated towards Pakistan. No casualties occurred on our side. The kidnapped person, along with his cattle, was later returned at 1500 hrs on the same day. A strong protest was lodged by the Government of India.

Jammu and Kashmir

On 9th December, 1966, nine armed persons from Pakistan-occupied-Kashmir intruded into the Village CHAPRA, which is within 500 yards of the CFL. No loss of life on our side was reported. Army authorities reported the incident to U. N. Observers.

Refugees In Sri Ganga Nagar District, Rajasthan

1049. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the refugees to whom houses were given in Sri Ganga Nagar District of Rajasthan on instalment basis without any compensation, have been served with notices for auction of their houses on account of non-payment of some instalments in time; and

(b) whether the time-limit for the payment of instalments would be extended in view of their deteriorated economic conditions due to famine and thus save them from being displaced again ?

The Minister of State in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri L.N. Mishra) : (a) No such notices have been served after the year 1964.

(b) Does not arise.

लोगों का दण्डकारण्य छोड़ कर चला जाना

1050. श्री समर गुह : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मार्च तथा अप्रैल, 1967 के दौरान 500 शरणार्थी दण्डकारण्य तथा अन्य शिविरों को छोड़ कर पश्चिम बंगाल वापस चले गये हैं,

(ख) क्या यह सच है कि ये शरणार्थी इन शिविरों को छोड़ने के लिये मजबूर हो गये थे क्योंकि उनके लिये वहां उचित रूप से बसना और आर्थिक व्यवस्था कर सकना असंभव हो गया था, और

(ग) यदि हां, तो क्या इन शरणार्थियों को शीघ्र ही फिर से बसाने के लिये सरकार का विचार कोई अन्य उपयुक्त उपाय ढूंढने का है,

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां । प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न शिविरों तथा पश्चिमी बंगाल से बाहर पुनर्वास स्थलों से 179 परिवार पश्चिम बंगाल में वापिस चले गये थे ।

(ख) यह ठीक नहीं है कि उनके लाभ के लिये किये गये उपाय पर्याप्त नहीं थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागरिक सुरक्षा संबंधी विधान

1051. श्री हाल्दर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा अधिनियम का स्थान लेने के लिये संसद में एक नवीन नागरिक सुरक्षा विधेयक पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव है ?

(ख) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था। इन्होंने सामान्यतः प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(ग) आपातकालीन स्थिति की समाप्ति के बाद विभिन्न नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए कानूनी आश्रय की व्यवस्था करना।

Foreign Christian Missionaries in India

1052. Shri Hardayal Deugun :
Shri Ram Goval Shalwale :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that missionaries get assistance from the intelligence Department of America (C. I. A.) also; and

(b) if so, the steps being taken by Government to prevent it ?

The Minister or State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Government do not have any such information.

(b) Does not arise.

औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी

1053. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री जे० रामेश्वर राव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है,

(ख) यदि हां, तो भारत के प्रमुख नगरों में अलग-अलग स्थिति क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लोकप्रिय बनाना

1054. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लोकप्रिय बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) उक्त अवधि में कितने नये स्कूलों और संस्थाओं में यह योजना आरम्भ की गयी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) 1965-

66 ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है।

1966-67 वर्ष में, 5969 अतिरिक्त स्कूलों/संस्थाओं, को जिनमें लगभग 14,18,000 विद्यार्थी है, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

उत्कल विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह

1055. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में सांस्कृतिक समारोहों को आयोजित करने के लिये केन्द्र ने उत्कल विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमा विवाद सम्बन्धी एक-सदस्यीय आयोग

1056. श्री एम० एन० नाघनूर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर-महाराष्ट्र और केरल के बीच विद्यमान सीमा-विवाद सम्बन्धी एक-सदस्यीय आयोग ने केन्द्रीय सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उस के निर्देश पदों में शोलापुर, आकलकोट और कासरगोड शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग को कोई स्पष्टीकरण दे दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अप्रैल, 1967 में आयोग ने सरकार से इस बारे में हिदायतें मांगी कि क्या वह मैसूर सरकार द्वारा शोलापुर और आकलकोट तालुकों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में किए जाने वाले दावों पर विचार करे। आयोग ने सरकार के विचारार्थ सुझाव भी दिया कि कासरगोड के बारे में मैसूर-केरल सीमा विवाद उसके अधिकार क्षेत्र से हटा दिया जाए क्योंकि केरल सरकार ने इस बारे में कोई ज्ञापन नहीं दिया। आयोग की स्थापना वर्तमान सीमा विवादों पर विचार करने के लिए की गई थी। अतः सरकार ने निश्चय किया कि आयोग, महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों के बीच "वर्तमान सीमा विवाद" शब्दावली का क्षेत्र दोनों राज्य सरकारों द्वारा किये गए दावों और विवाद सम्बन्धी दस्तावेजों में अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा राज्य पुनर्गठन योजना लागू किए जाने के बाद और आयोग की स्थापना से पहले की अवधि में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए और आयोग को उसकी जांच के क्षेत्र के बारे में दोनों सरकारों द्वारा लिखे गए पत्राचारों में व्यक्त दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद, स्वयं निर्धारित करे। आयोग को

इस निर्णय से अवगत करा दिया गया था। आयोग से उस प्रस्ताव के अनुसार मैसूर-केरल सीमा विवाद पर भी विचार करने के लिए कहा गया था जिसके अनुसार आयोग का निर्माण किया गया था।

मैसूर में तकनीकी व्यक्तियों में बेरोजगारी

1057. श्री मोहसिन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा प्राप्त तथा औद्योगिक व्यवसायिक संस्थाओं से विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित सैंकड़ों व्यक्ति बेरोजगार पड़े हैं ;

(ख) राज्य के विभिन्न रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ; और

(ग) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख)	प्रार्थी की श्रेणी	25-5-1967 को रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम
	1 इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा रखने वाले	
(एक)	सिविल	1, 351
(दो)	मैकेनिकल	1, 162
(तीन)	इलेक्ट्रिकल	743
	2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी	**2, 103**

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं द्वारा बेरोजगार लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार अवसर मिलेंगे (इनमें इन्जीनियरी का डिप्लोमा रखने वाले और दस्तकार भी शामिल हैं)

राजस्थान में डाक सेवायें

1058. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 के अन्त तक राजस्थान में कितने गांवों में डाक सेवा की व्यवस्था थी ; और

(ख) 1967-68 के दौरान कितने गांवों में डाक सेवा की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 34,136 गांवों में से सभी गांवों में डाक सेवा की व्यवस्था थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि

1059. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में टेलीफोन राजस्व की कुल कितनी राशि इस समय बकाया है ; और

(ख) इसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30 सितम्बर, 1967 तक भेजे गए बिलों के 1 जनवरी, 1967 की 5.01 लाख रुपये।

(ख) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने के लिए कार्रवाई की गई हैं। उनका शीघ्र निपटान कराने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं को समझाने-बुझाने और जहां जरूरी समझा गया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जैसे दूसरे विशेष कदम भी उठाये गए हैं।

राजस्थान में डाकघर

1060. रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के दौरान राजस्थान में कुछ उप-डाकघरों को मुख्य डाकघरों में और कुछ शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 483/67**]

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

1061. धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या 1967-68 में इनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 107.

(ख) जी हां ।

(ग) 1967-68 के दौरान निम्न स्थानों पर एक्सचेंज खोल दिये जाने की संभावना है :

बग्गर, भुसावर, चौथ का-बरवारा, गजसिंहपुर, गोविन्दगढ़ (जे० पी०), करौली, केसरीसिंहपुर, खंडेला, कुचामन सिटी, नागोर, नीमबहैड़ा, पदमपुर, सादुलपुर, सरदारशहर, श्री विजयनगर ।

उड़ीसा तथा राजस्थान में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

1062. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तथा राजस्थान के काम दिलाऊ दफ्तरों में 30 अप्रैल, 1967 तक दर्ज किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों को अप्रैल, 1967 के अन्त तक नौकरी दिलवाई गयी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में अर्द्धवार्षिक जानकारी छः माह के अन्तर से जून और दिसम्बर माह के बारे में इकट्ठी की जाती है । ताजे आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

राज्य	31-12-1966 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम		सन् 1966 में नियुक्ति सहायता प्राप्त करने वाले	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
उड़ीसा	6,473	8,294	1,899	1,625
राजस्थान	7,019	1,398	1,460	312

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे उड़ीसा सरकार के पदाधिकारी

1063. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी**
श्री रामचन्द्र उलाका : **. श्री हीरजी भाई :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस समय केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उड़ीसा सरकार के कितने अधिकारी काम कर रहे हैं और वह किन किन पदों पर नियुक्त हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : केन्द्र की सेवा में नियुक्त आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या 33 है। उनमें से 2 सचिव, 8 संयुक्त सचिव, 5 उप सचिव, 2 अवर सचिव हैं और अन्य 16 समान पदों पर नियुक्त हैं।

बिना लाइसेंस के रेडियो सेट

1064. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री स० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग द्वारा 30 अप्रैल, 1967 तक बिना लाइसेंस के कितने रेडियो सेटों का पता लगाया गया ; और

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले कैलेण्डर वर्ष के दौरान पता लगाये गए बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों की संख्या, जिनके कि आंकड़े उपलब्ध हैं, इस प्रकार है–

1. आन्ध्र	7,838
2. असम	3,432
3. बिहार	8,400
4. दिल्ली	7,556
5. गुजरात	10,141
6. जम्मू तथा काश्मीर	1,283
7. केरल	4,994
8. मध्य प्रदेश	3,480
9. मैसूर	5,531
10. महाराष्ट्र	10,418
11. मद्रास	13,846
12. उड़ीसा	2,063
13. पंजाब	17.143
14. राजस्थान	6,083
15. उत्तर प्रदेश	11,609
16. पश्चिम बंगाल	5.917
	1, 19, 734

(ख) पता लगाये गए मामलों में तब तक कार्रवाई की जाती है जब तक कि लाइसेंस-

शुल्क व अधिभार की अदायगी करके लाइसेंस नहीं ले लिये जाते । 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पता लगाये गए मामलों की संख्या जिनका निपटान हो चुका है नीचे दी गई है–

1. आन्ध्र	2, 567
2. असम	4, 984
3. बिहार	8, 279
4. दिल्ली	7, 562
5. गुजरात	10, 305
6. जम्मू तथा काश्मीर	1, 097
7. केरल	3, 766
8. मध्य प्रदेश	3, 483
9. मैसूर	5, 131
10. महाराष्ट्र	10, 163
11. मद्रास	11, 665
12. उड़ीसा	1, 024
13. पंजाब	15, 492
14. राजस्थान	5, 586
15. उत्तर प्रदेश	10, 871
16. पश्चिम बंगाल	7, 602
	1, 09, 577

रायगुडा में डाक और तारघर की इमारत

1065. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री स॰ प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले (उड़ीसा) के रायगुड़ा में उप-डाकघर की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह उप-डाकघर इस नयी इमारत में कब तक आ जायेगा ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ॰ कु॰ गुजराल) : (क) और (ख) इमारत बनाने का काम पूरा हो गया है किन्तु पानी की सप्लाई और सैनिटरी सामान लगाने का काम बाकी है । राज्य के सार्वजनिक निर्माण द्वारा यह काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा । इमारत के दिसम्बर, 1967 तक ले लिये जाने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी श्रमिक

1066. श्री हीरजी भाई : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में आदिवासी श्रमिकों की सेवा की परिस्थितियों का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार ने हाल में उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में आदिवासी श्रमिकों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेवेली लिग्नाइट खानें

1067. श्री नम्बियार : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों को अब तक मिलने वाली कई रियायतें बन्द कर दी जाने के कारण नेवेली लिग्नाइट खानों में अब एक गम्भीर श्रम विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को सुलझाने तथा हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 लागू होने से सरकार के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को 4 प्रतिशत बोनस दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मद्रास के प्रादेशिक श्रमायुक्त ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और प्रबंधकों को यह सलाह दी है कि वे कामगारों की छुट्टियों तथा चिकित्सा लाभों को फिर से देने सम्बन्धी मांगों पर विचार करें ।

(ग) और (घ) : प्रबंधकों के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत बोनस 1967-68 के लेखा वर्ष से ही दिया जाना है ।

इम्फाल का छावनी क्षेत्र

1068. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छावनी क्षेत्र को, जो इस समय आसाम राइफल्स के पास है, इसके वर्तमान स्थान से बदल कर इम्फाल से बाहर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाने का है ;

(ख) क्या इस परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना मनिपुर प्रशासन से या इम्फाल नगर-पालिका जैसे स्थानीय निकायों से या गैर-सरकारी अभिकरणों से प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी भी क्षेत्र से ऐसी कोई मांग सरकार को नहीं मिली, किन्तु पता चला है कि इम्फाल म्युनिस्पल बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें आसाम राइफल्स के उसके वर्तमान स्थान से हटाये जाने की मांग की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा प्रणाली

1069. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के डा० के० एन० सेक्सेना ने 'सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत की शिक्षा प्रणालियों का आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन, के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उनकी यह सिफारिश, कि भारत में त्रिभाषा का फार्मूला सफल हो सकता है, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) (ख) और (ग) लेखक ने इस नाम का एक स्टेंसिल किया हुआ दस्तावेज मंत्रालय को भेजा था । इसमें ऐसी रूसी तथा अमरीकी संस्थाओं के बारे में लेखक के सामान्य विचार दिये हुए हैं, जिन्हें स्वयं लेखक ने वहां अध्ययन किया है । इसमें अन्य बातों के साथ, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों, बेसिक शिक्षा के बारे में गांधीजी के विचार, सामान्य ज्ञान में नयी प्रकार की परीक्षाएं, विज्ञान प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों की खोज, पथ प्रदर्शन एवं परामर्श अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सदभाव, स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं के कार्य आदि के विषयों पर कुछ छोटे छोटे लेख तथा रेडियो वार्ताएं दी हुई हैं । इसे मह मिथ्या नाम दिया गया है क्योंकि इस दस्तावेज में कुछ भी आलोचनात्मक या तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं है । इस प्रतिवेदन में त्रिभाषीय सूत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

मैथिली भाषा

1070. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा को प्रादेशिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता, बिहार, इलाहाबाद तथा अन्य विश्वविद्यालयों में चिरकाल से मैथिली भाषा की स्नातकोत्तर कक्षायें हैं तथा मैथिली भाषा के हजारों स्नातक तथा स्नातकोत्तर हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) साहित्य अकादमी ने कार्यक्रमों की एक भाषा के रूप में मैथिली को स्वीकार किया है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षण तथा शोध कार्य की सुविधाएं केवल भागलपुर, बिहार तथा पटना विश्वविद्यालयों में ही उपलब्ध हैं । इसके अलावा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी अथवा भाषा-विज्ञान की एम० ए० परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र अथवा प्रश्न-पत्र के भाग के रूप में मैथिली को लिया जा सकता है । 1965--66 के दौरान बिहार तथा पटना विश्वविद्यालयों में 51 विद्यार्थियों ने मैथिली में एम० ए० उपाधि के लिए प्रवेश लिया था और भागलपुर, बिहार तथा पटना विश्वविद्यालयों में चार उम्मीदवारों ने शोध कार्य प्रारम्भ किया था ।

(ग) इस समय ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कौन्सिलस)

1071. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय परिषदों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिक प्रभावी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान क्षेत्रीय परिषदों की कितनी बैठकें हुई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) क्षेत्रीय परिषदें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में दी हुई इन परिषदों की योजना के अनुसार कार्य कर रही है और सामान्य हित से सम्बन्धित मामलों में लाभदायक भाग ले रही हैं । वर्तमान योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जनवरी 1965 से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की तीन बैठकें हुई और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की एक-एक बैठक हुई ।

दिल्ली प्रशासन का कार्य

1072. श्री एस० के० तापड़िया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ~~वाई० ए०~~ प्रसाद : य० अ०

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1967 के हिन्दुस्थान टाइम्स (पृष्ठ 3) में प्रकाशित दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद के उस प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भारत-सरकार दिल्ली प्रशासन के दैनन्दिन कामकाज में हस्तक्षेप करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) जैसा प्रेस वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था वह सरकार के ध्यान में आया है । किन्तु दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद अथवा दिल्ली प्रशासन से इस प्रकार के हस्तक्षेप के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

1073. श्री सी० सी० देसाई :
श्री रा० बरूआ :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sunday Duty For Sub.Postmasters

1074. **Shri K. M. Madhukar :**

Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether the Sub-Postmasters of those sub-Post Offices which are also telegraph offices are asked to perform two hours extra duty on every Sunday;

(b) if so, whether they are paid overtime allowance; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the reasons for stopping payment of overtime allowance since August last to the sub-Postmasters of Champaran Circle of Bihar when they were asked to work overtime on every Sunday ?

The Minister of State in the Departments Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes Sir, in those offices which are open on Sundays and where the Sub-Postmaster is the only Signallor available.

(b) No Sir, unless they are required to attend duty by the Controlling Telegraph Offices.

(c) The matter is being enquired into.

पार्सल में पाया गया बम

1075. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 मार्च, 1967 को जिला कानपुर (उत्तर प्रदेश) के नारा गांव में डाक से प्राप्त एक पार्सल को खोले जाने पर उससे बम विस्फोट हुआ था जिसके परिणाम-

स्वरूप दो व्यक्ति वहीं पर ही मर गये थे और अन्य छः व्यक्ति घायल हुये थे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। यह ठीक है कि बाराबंकी डाकघर में बुक हुए रजिस्ट्री पार्सल में, जिसे जिला कानपुर के नारा खुर्द शाखा डाकघर द्वारा वितरित किया गया था, गेंद की तरह की कोई चीज रखी हुई थी, जिसमें 21 मार्च, 1967 को 22 मार्च, 1967 को नहीं, जैसा की प्रश्न में कहा गया है, प्राप्तकर्त्ता के पास बैठे हुए एक व्यक्ति द्वारा पार्सल के खोलने पर एक विस्फोट हो गया। सूचना मिली है कि उससे दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दो घायल हो गए।

(ख) तथा (ग) इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई थी और उनकी जांच चल रही है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने की जो भी संभव कार्रवाई होगी पुलिस की जांच के परिणामों के प्राप्त होने पर की जाएगी।

वैज्ञानिकों की तैनाती

1076. श्री मीठालाल :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 1 लाख वैज्ञानिक उपयुक्त स्थानों पर नहीं लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सेवाओं के अधिकतम उपयोग के लिये उनको ठीक स्थानों पर तैनात करने की उचित व्यवस्था की जायेगी ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1961 के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों की नमूने की प्रगणना के फलस्वरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित एक निबन्ध (मोनोग्राफ) से यह पता चलता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों का कुछ प्रतिशत 'गैर-तकनीकी रोजगार में है'। गैर-तकनीकी रोजगार में तकनीकी विभागों के वे पद भी शामिल हैं जिनके लिए वैज्ञानिक अथवा तकनीकी दक्षता की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) कार्य के अवसर, औद्योगिक प्रगति सहित देश की सामान्य प्रगति पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों में आमतौर पर तकनीकी व्यक्तियों की गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्तियां यथावश्यक कम से कम रखी जाती हैं।

Pay of Delhi Schools Teachers

1077. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scales of men and women school teachers of Delhi have not been raised for the past twenty years;

(b) whether the Delhi administration have sent any proposal to Government regarding the increase in the pay scales; and

(c) if so the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir. The scales of pay of teachers of Schools under Delhi Administration were revised with effect from 1.7.1959, on the basis of the recommendations of the Second Pay Commission made for the revision of scales of pay for employees of the various Departments of the Government of India. The scales so revised were applicable to the teachers of Government, Government aided schools and schools under the local bodies.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration of the Government.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का संशोधन

1078. श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री एन० के० सांघी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है जिसके अनुसार नये विश्वविद्यालयों की स्थापना से पहिले आयोग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य हो;

(ख) क्या प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्नतर शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति (सप्रू समिति) द्वारा दी गई इस आशय की सिफारिश को मान लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाये जिससे नये विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व आयोग का परामर्श लेना राज्य सरकारों के लिये आवश्यक हो जाये तथा अधिनियम एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिसके अनुसार आयोग ऐसे विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने से लगातार इन्कार कर सके, जो उसके पूर्व परामर्श के बिना ही स्थापित किये गये हों।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक,1966 में, जो अब व्यापगत हो चुका है, अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था भी थी कि आयोग किसी ऐसे विश्व-विद्यालय को अनुदान नहीं देगा जिन्हें आयोग और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्थापित किया जायेगा। विधेयक के दुबारा पेश किये जाने पर इस मामले पर फिर विचार किया जायेगा।

विभिन्न जातियों के स्नातकों की संख्या

1079. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) हिन्दुओं, (दो) मुसलमानों, (तीन) सिखों और (चार) ईसाइयों में कुल कितने व्यक्ति स्नातक हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों (उनमें से धर्म-परिवर्तित ईसाइयों तथा मुसलमानों को छोड़ कर) में कुल कितने स्नातक हैं;

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों (उनमें से धर्म-परिवर्तित ईसाइयों तथा मुसलमानों को छोड़ कर) में कुल कितने स्नातक हैं; और

(घ) अन्य पिछड़े हुए वर्गों (मुसलमानों तथा ईसाइयों को छोड़ कर) में कुल कितने स्नातक हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

समाचार पत्रों के लिए समुद्री तार की दरें

1080. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डलीय देशों के लिए समाचार पत्रों के समुद्री तार की दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) भारत में, राष्ट्रमंडलीय देशों के लिये समाचार-पत्रों के समुद्री तारों की विद्यमान दरों के पुनरीक्षण का प्रश्न इस समय विचाराधीन है और कोई निर्णय होने में अभी कुछ समय लगेगा।

Capital of Children Book Trust

1081. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the total capital of the Children Book Trust, New Delhi;

(b) the amounts of grant and loan extended to the Trust by Government separately; and

(c) whether this Trust is running at a profit or loss and if at profit, the amount of profit made by it during 1965-66 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Government has not invested any capital in the Trust, however, it has advanced loans and grants to the Trust. According to the information received from the Trust, the total capital assets of the Trust amount to Rs. 43 lakhs.

(b) Three loans have been advanced to the Trust for the construction of building and setting up of a printing press as shown below :

Year	Amount
1959	Rs. 7,00,000/-
1962	Rs. 13,00,000/-
1966	Rs. 5,00,000/-
Total :	Rs. 25,00,000/-

The following grants were given to the Trust to meet the expenditure for holding the International Children's Competition :—

Year	Amount
1963–64	Rs. 1,25,000/-
1964–65	Rs. 1,12,500/-
1965–66	Rs. 1,12,166/-
1966–67	Rs. 1,25,000/-

(c) According to the Trust, it is a non-profit making body.

अन्दमान की कोठरियों वाली जेल

1082. श्री गणेश : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान की कोठरियों वाली जेल को भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि अन्दमान की कोठरियों वाली जेल के बहुत से कक्ष गिरा दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह काम सरकार की सहमति से किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अन्दमान की कोठरियों वाली जेल की वर्तमान बनावट को, व्यक्तियों के रहने के लिए असुरक्षित होने के कारण बेकार घोषित कर दिया गया है और उनको गिराया जा रहा है। फिर भी जेल की केन्द्रीय मीनार को उन भारतीय देश भक्तों के कष्टों के स्मारक के रूप जो जेल में, जो वहां बन्दी बनाए गये थे सुरक्षित रखा गया है और उसमें ऐसे स्मरण-पट्ट लगाने का विचार है जिनमें उनके नाम दिये गए हों।

(ग) और (घ) जी, हां।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

1083. श्री आर० के सिन्हा :
श्री के० आर० गणेश :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में रनगार और डिगलीपुर में आगामी शिक्षा वर्ष से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जायेगा;

(ख) क्या इन प्रस्तावित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बंगला को शिक्षा का माध्यम बनाया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस मामले में देरी हो जाने के कारण वहां की जनता में असंतोष फैल रहा है;

(घ) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह एसोसिएशन की सलाहकार समिति में गृह मन्त्री के साथ यह मामला कई बार उठाया गया; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) रनगात और डिगलीपुर में उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का प्रश्न, अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूहों के लिए गृह-मन्त्री की सलाहकार समिति की 28–10–1966 को हुई बैठक में उठाया गया था। प्रशासन रनगात और सुभाषग्राम (डिगलीपुर) के प्रवर बुनियादी स्कूलों को 1967–68 के शिक्षा वर्ष से उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदलने के लिए पहले ही कार्रवाई कर चुका है। फिलहाल शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा किन्तु विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करते हुए शिक्षण के माध्यम के रूप में बंगाली को चालू करने का प्रस्ताव है।

अन्दमान द्वीप-समूह में 'मई दिवस' की छुट्टी

1084. श्री आर० के० सिन्हा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान व्यापार संघों की प्रार्थना पर अन्दमान प्रशासन ने मई दिवस की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 मई की एक सार्वजनिक छुट्टी हो जाने के बावजूद अन्दमान श्रमिक बल तथा समुद्री यात्रा संस्थान के कर्मचारियों को उस दिन काम पर आने के लिये बाध्य किया गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारियों ने काम करने से इन्कार कर दिया तथा "एम० बी० निकोबार" नामक जहाज की रवानगी को रद्द करना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो क्या जनता को होने वाली इस असुविधा के लिये कौन जिम्मेदार है, इसका निश्चय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) अन्दमान प्रशासन ने पहली मई, 1967 को इस सामान्य रीति के अनुसार सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया कि यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में काफी संख्या में कामगार पहली मई को सवैतनिक छुट्टी घोषित किये जाने की मांग करें और उसके बदले किसी दूसरी सवैतनिक छुट्टी के दिन काम करना स्वीकार करें तो उनकी मांग मंजूर की जाती है। तदनुसार इस प्रशासन ने अपने क्षेत्र में इन शर्तों के अन्तर्गत सभी सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पहली मई, 1967 को सवैतनिक छुट्टी घोषित करने की इजाजत दे दी। समुद्री-यात्रा प्रतिष्ठान श्रमिकों ने अपनी 30 अप्रैल, 1967 की बैठक में यह इच्छा प्रकट की कि मई दिन एक सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जानी चाहिए और यह कि वे इस दिन के बदले किसी एक इतवार को यानी 14 मई 1967 को काम करेंगे। इसलिए एम० वी निकोबार नामक जगह की रवानगी जो कि पहली मई, 1967 को थी स्थगित करनी पड़ी क्योंकि पहली मई एक सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई थी। परन्तु दिन और रात कुछ आवश्यक फेरी सेवाओं को चालू रखने के लिये कुछ कर्मचारियों ने स्वेच्छा से काम पर आना स्वीकार किया ताकि जनता को कोई कठिनाई न हो।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान में स्टाफ-कार सम्बन्धी नियम

1085. श्री आर० के० सिन्हा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या सरकार को पता है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में स्टाफ-कार सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) कितने अधिकारियों के बंगलों को स्टाफ-कारों के गैरेज घोषित किया गया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्टाफकार सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया ।

(ख) वहां तीन स्टाफ कारें हैं । एक स्टाफ-कार जो कार निकोबार के उपायुक्त के पास है, उनके निवास स्थान के साथ संलग्न गैरेज में रखी जाती है क्योंकि कार्यालय के निकट कोई स्थायी गैरेज उपलब्ध नहीं है ।

संग्रहालयों को सहायता अनुदान

1086. श्री एस० ए० अगाड़ी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में प्रत्येक संग्रहालय को दी जाने वाली वार्षिक सहायता अनुदान का व्यौरा क्या है;

(ख) सालारजंग संग्रहालय के नियन्त्रण को अपने हाथ में लेने के दिन से अब तक उक्त संग्रहालय को, वर्ष-वार, कितना सहायता अनुदान दिया गया; और

(ग) क्या सालारजंग संग्रहालय को किसी विशेष ध्येय की पूर्ति के लिये कोई एक मुश्त धन-राशि दी गई थी; यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संग्रहालयों को दिए गए तदर्थ अनुदानों के अलावा पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा संग्रहालयों को दिए गए वर्षवार सहायक-अनुदानों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) सालारजंग संग्रहालय 1958 में लिया गया था और सालारजंग संग्रहालय अधिनियम 1961 के लागू होने तक शिक्षा-मन्त्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय रहा । अधिनियम से पहले इस अवधि के दौरान का सालारजंग संग्रहालय का खर्च सरकार का सीधा खर्चा था । संग्रहालय को 1961-62 से 1963-64 तक निम्नलिखित सहायक अनुदान दिए गए हैं :–

	रुपए
1961–62	5,00,000
1962–63	2,50,000
1963–64	3,00,000

1964–65 से 1966–67 तक के वर्षों के दौरान दिए गए वर्षवार सहायक अनुदानों के आंकड़े प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 484/67]

(ग) सालारजंग संग्रहालय को उसकी इमारत बनाने के खर्च के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित एक मुश्त अनुदान दिये गए हैं :–

	रुपए
1961–62	10,00,000
1964–65	5,00,000
1965–66	5,00,000
1966–67	7,78.000
1967–68	2,00,000

उपर्युक्त अनुदानों के अलावा, संग्रहालय के नए भवन के निर्माण के लिए सरकार को सालारजंग सम्पदा समिति से प्राप्त 5,00,000 रुपए की राशि 1961–62 में बोर्ड को दे दी गई थी।

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री के बीच बातचीत

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"केरल में खाद्यान्न की गंभीर स्थिति और वहां पर राशन व्यवस्था को ठप्प होने से रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में उनके और केरल के मुख्य मंत्री के बीच हाल ही में हुई बातचीत का परिणाम।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : केरल के मुख्य मन्त्री 27 मई को जब प्रधान मंत्री से मिले थे तब मैं भी वहीं था। मुख्य मंत्री ने बताया कि अप्रैल और मई के महीनों में चावल की वास्तविक प्राप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित कोटों से बहुत ही कम थी। अतः राज्य के कुछ भागों में अनौपचारिक राशन-व्यवस्था भंग हो गयी। मैंने यह बताया कि बर्मा से अचानक और आशा के विपरीत चावल का निर्यात बन्द हो जाने और आन्ध्र प्रदेश में अंशतः फसल के देर से आने के कारण थोड़ी अप्राप्ति होने से इन दो महीनों में कम सप्लाई हुई थी। मैंने यह भी बताया कि वांछनीय स्तर पर चावल की सप्लाई बनाए रखने में जो कठिनाई हो रही है उसे देखते हुए सरकार केरल सरकार को चावल की कमी पूरी करने के लिए गेहूं की आवश्यक मात्रा देने के लिए सहमत है।

जहां तक जून मास के लिए चावल की सप्लाई का सम्बन्ध है मैंने यह संकेत दिया कि क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में चावल की उपलब्धि में सुधार हुआ है इसलिए जून मास में 60,000

मीटरी टन चावल भेजने की प्रत्येक कोशिश की जाएगी। इस मात्रा के अतिरिक्त लगभग 17,000 मीटरी टन तक आयातित चावल भी सुलभ किया जाएगा।

मैंने केरल सरकार को पहले दिये गए आश्वासन को फिर दोहराया कि राज्य में गेहूं का पर्याप्त भण्डार रखा जाएगा। ये भण्डार केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा बताए गए स्थानों पर रखे जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केन्द्र में राशन व्यवस्था समाप्त होने से बचाने के लिए माननीय मंत्री मद्रास सरकार को केरल को लगभग 50,000 अथवा 60,000 मीटरिक टन चावल देने के लिए रहेगी, जिसे बाद में केन्द्रीय कोटे से दिया जा सकता है ?

श्री जगजीवनराम : मैंने इस प्रयोजन के लिए मद्रास के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया था परन्तु ऐसा नहीं हो सका है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The hon. Minister should give details of the steps he proposes to take to prevent the rationing system from collapsing in Kerala.

Shri Jagjivan Ram : As I have already said, we hope more rice will be despatched from Andhra to Kerala. We have already begun efforts to despatch two special trains a day from Andhra to Kerala. We hope that in all approximately seventy thousand tons of rice will reach Kerala by the end of June.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय मंत्री ने पहले भी कहा था और श्री नम्बूदिरिपाद के साथ हाल ही की बातचीत में भी कहा था कि चावल की जो कमी होगी, उसे अतिरिक्त गेहूं देकर पूरा किया जायेगा। परन्तु इस बात का क्या कारण है कि अप्रैल तथा मई के महीनों में भी केरल में इतनी गेहूं उपलब्ध नहीं थी कि राशन को पूरा किया जा सके ? क्या इसमें कोई राजनैतिक चाल है ?

श्री जगजीवनराम : राजनैतिक चाल का कोई प्रश्न नहीं है। गेहूं के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ? वहां चावल के सम्भरण में किसी प्रकार होने वाली कमी को पूरा करने के लिए भी भण्डार रखने होंगे और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : पिछले दो सप्ताह से इस बात के समाचार मिले हैं कि केरल में राशन व्यवस्था टूट चुकी है। माननीय मंत्री भी यह बात जानते हैं। कुछ स्थानों में चांवल बिलकुल नहीं दिया जाता है। इस बात के समाचार मिले हैं कि कुछ स्थानों में गेहूं भी नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अब जो वचन दिये जा रहे हैं, क्या उनका भी पहले की भांति उल्लंघन होता रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या खाद्यान्न स्टीमर द्वारा जाने से वहां उसके पहुंचने में अधिक विलम्ब नहीं होगा ?

श्री जगजीवनराम : स्टीमर द्वारा भेजे जाने वाला यह खाद्यान्न रेलवे द्वारा भेजे जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : माननीय मंत्री ने कई बार आन्ध्र से चावल भिजवाने के वचन दिये परन्तु वे पूरे नहीं हुये । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात के लिए क्या ठोस उपाय कर रहे हैं कि कम से कम इस बार यह वचन पूरा हो जाये ?

श्री जगजीवनराम : हमने पहले ही कहा है कि आन्ध्र प्रदेश से माल भेजने की परिस्थिति में सुधार हो गया है । यदि आवश्यक हुआ तो मैं कुछ अफसर वहां भेजूंगा । यदि आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं आन्ध्र अथवा मद्रास जाने से नहीं हिचकचाऊंगा, मैं रेलवे अधिकारियों से बातचीत करने के लिए भी अफसर भेज रहा हूं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोज़ीकोड) : खाद्य मंत्री ने कहा है कि वह 12 अथवा 20 जून तक चावल पहुंचाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि वहाँ लोगों के भूख से मरने के बाद चावल पहुंचेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि रेल द्वारा चावल कितना भेजा जायेगा और समुद्र द्वारा कितना ।

श्री जगजीवन राम : आन्ध्र से केरल गाड़ियाँ प्रति दिन जा रही हैं । अब 1200 से 1300 टन तक चावल प्रति दिन जा रहा है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यदि 1500 टन चावल प्रति दिन जावे तो भी 60,000 टन चावल महीने में नहीं जा सकता । क्या मंत्री महोदय मद्रास जाकर उन्हें चावल केरल भेजने और बदले में आन्ध्र से चावल लेने के लिए कहेंगे ताकि परिवहन की समस्या हल हो सके ।

श्री जगजीवन राम : हम प्रति दिन दो गाड़ियां भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं मद्रास के मुख्य मंत्री से भी बातचीत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि यह मालूम हो सके कि वह इस सम्बन्ध में हमारी कितनी सहायता कर सकेंगे ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस मामले की गम्भीरता को समझें । उन्होंने कहा है कि 12 जून को एक जहाज वहां पहुंचेगा परन्तु 2 से 12 जून तक क्या होगा ?

श्री जगजीवन राम : चावल आन्ध्र प्रदेश में जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : : इस प्रश्न के बारे में केरल के मुख्य मंत्री से भी बातचीत की गई है, इसमें सन्देह नहीं है कि यह मामला गम्भीर है । स्वाभाविक ही है कि सभा को केरल की खाद्य स्थिति के बारे में चिन्ता हो । श्री गोपालन तथा बहुत से अन्य सदस्यों ने मुझे यह सूचना दी है कि उन्होंने निर्णय किया है कि संसद की बैठक समाप्त होने के बाद वह आज से संसद भवन के बाहर 'धरना' देंगे । उन्होंने यह कहा है कि यह पग अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध नहीं है परन्तु उनका आशय सभा तथा जनता को सरकार के कड़े रुख के बारे में बताना है और उस पर जनमत का दबाव डालना है ताकि केरल को शीघ्र ही निश्चित रूप से खाद्यान्न भेजा जाये ।

इस सब के बावजूद मैं श्री गोपालन तथा दूसरे सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस

प्रकार का विरोध न करें। आपसी बातचीत जैसे अन्य तरीकों पर विचार किया जाना चाहिये। वर्तमान नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद एक घंटे तक सदस्य सभा में बैठ सकते हैं। सभा के हित तथा उसकी प्रतिष्ठा के लिए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिये।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मुझे प्रसन्नता है कि आपने केरल की गम्भीर खाद्य स्थिति के बारे में इस सभा की भावनायें व्यक्त की हैं। अब तक की प्राप्त सूचना से पता चलता है कि केरल में खाद्य संकट पैदा करने की जिम्मेवारी सरकार पर है क्योंकि उसने अपने वचन पूरे नहीं किये हैं। खाद्यान्न वहाँ 15 जून तक वहां पहुंचने हैं और सदस्यों का यह सोचना उचित ही है कि 1 से 15 जून वहां की जनता किस प्रकार गुजारा करेगी। मंत्री महोदय ने इस पहलू पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। आशा है कि सरकार उन अनेक सदस्यों की उग्र भावना पर ध्यान देगी जिन्होंने सभा की कार्यवाही में रुकावट न डालकर रोष व्यक्त किया है। परन्तु इसके साथ ही मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे अपना असन्तोष व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे एक घंटे तथा सभा-कक्ष में बैठ कर कर सकते हैं। इसके वे अधिकारी भी हैं। यदि वे ऐसा बिलकुल न करें तो हम उनके और भी कृतज्ञ होंगे।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न
RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : श्रीमान्, मैं आपका ध्यान पूर्वोत्तर सीमा में एक बहुत ही खतरनाक घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। उस सम्बन्ध में मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यह समाचार मिले हैं कि कुछ चीनी नागालैंड में घुस आये हैं। आप भी देश की सुरक्षा के लिए इतने ही चिन्तित होंगे जितने कि हम।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला इस प्रकार नहीं उठा सकते। मैंने इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया है। यदि इस प्रकार सभा में समस्यायें उठायी जानी लगें, चाहे वे कितनी गम्भीर क्यों न हों, तो हम नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। माननीय सदस्य इस पर विचार करने के लिए मुझे और समय दें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
पारपत्र नियम

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : श्रीमान, मैं श्री मु० क० चागला की ओर से पारपत्र अध्यादेश, 1967 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 10 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 709 में प्रकाशित हुए थे [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 465/67]

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 466/67**]

(2) प्रौद्योगिकी संस्था, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक–एक प्रति:—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास, के वर्ष 1965-66 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 467/67**]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई, के वर्ष 1965–66 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 468/67**]

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, मैं इं० कु० गुजराल की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर, के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 469/67**]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम आदि

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 437 की एक प्रति जो दिनाँक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 'लिनोयियम उद्योग' के 'इन्डोलियम उद्योग' को उक्त अधिनियम अनुसूची में जोड़ा गया।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 553 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 470/67**]

(3) (एक) दिल्ली दूकान तथा संस्थापन अधिनियम, 1954 की धारा 47 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(क) दिल्ली दूकान तथा संस्थापन (संशोधन) नियम, 1961, जो दिनांक 15 जून, 1961 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 20 (17)/60–आई एण्ड एल में प्रकाशित हुए थे।

(ख) दिल्ली दूकान तथा संस्थापन (संशोधन) नियम, 1964 जो दिनांक 20 अगस्त, 1964 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 20 (40)/63–लेब० में प्रकाशित हुए थे ? **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 471/67]**

(दो) उक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम आदि

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 20 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 576 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 399/67]**

(2) पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 14 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 537 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 472/67]**

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 जो दिनांक 11 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 535 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जी० एस० आर० 657 जो दिनांक 6 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा वेतन नियम, 1964 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 473/67]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमान्, मैं श्री के० एस० रामास्वामी की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ: —

(1) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 6 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 653 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 6 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 654 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 5 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 660 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 13 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 689 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 474/67**]

मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

PROCEDURE TO BE FOLLOWED WHEN CHARGES ARE MADE AGAINST MINISTERS.

अध्यक्ष महोदय; जब प्रधान मंत्री ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर दे रही थी तो श्री मधु लिमये ने उस प्रस्ताव का जिकर किया था जिसमें बिड़ला ग्रुप द्वारा वेतन पाने वाले मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप की जांच करने के लिए संसदीय समिति नियुक्त करने के लिए कहा था। माननीय सदस्य ने नियम 184 के अन्तर्गत उक्त सूचना दी है। इसमें पन्द्रह संसद सदस्यों पर निर्धारित एक समिति बनाने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि इन पन्द्रह सदस्यों में से छः सदस्य राज्य सभा से लिये जाने चाहिए। माननीय सदस्य ने न तो मंत्रियों के नाम ही लिये हैं और न ही उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाये हैं। इस समय प्रत्येक मन्त्री एक तथा दूसरी सभा का सदस्य है। किसी सदस्य के आचरण के विरुद्ध किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व कुछ प्रारम्भिक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। 1951 में अस्थायी संसद के एक सदस्य श्री एच० जी० मुदगल के आचरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समय एक प्रक्रिया भी बनाई गई थी। इसलिये किसी मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाने वाले सदस्य को उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

उस प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी को यह विश्वास हो जाये कि संसद के किसी सदस्य ने ऐसे तरीके से कार्य किया है जो उसकी राय में सभा की प्रतिष्ठा अथवा संसद सदस्य से अपेक्षित स्तर के असंगत हैं तो वह सभा के नेता (प्रधान मन्त्री) को इस बारे में सूचना दे सकता है। आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को आरोप लगाने से पूर्व सभी तथ्यों को सुनिश्चित कर लेना चाहिये और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही आरोप लगाने चाहिए क्योंकि आरोपों के झूठे सिद्ध होने पर वह स्वयं संसद के विशेषाधिकार के भंग का दोषी होगा।

ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्वयं प्रधान मन्त्री समस्त सदस्य की जांच करती है और यदि वह सन्तुष्ट हों कि मामले पर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह सम्बन्धित

मन्त्री अथवा सदस्य को अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए उचित तथा पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। सदस्य द्वारा दी गई मौखिक अथवा लिखित स्पष्टीकरण के बाद प्रधान मंत्री सदस्य की आलोचनात्मक ढंग से छानबीन करने के पश्चात अपने निष्कर्षो के साथ समस्त मामले को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि यह समझा जावे कि सम्बन्धित सदस्य ने पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया है और कि उसके आचरण में कोई अनुचित बात नहीं पाई गई तो उक्त सदस्य को दोष मुक्त किया जा सकता है। परन्तु फिर भी सदस्य द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा साक्ष्य के आधार यदि अध्यक्ष समझे कि इस मामले पर प्रत्यक्ष रूप से आगे कार्यवाही करने की गुंजायश है तो उस विशेष मामले की जांच के लिए तथा निश्चित तिथि तक रिपोर्ट देने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव पर उक्त मामला सदन के समक्ष रखा जा सकता है।

यदि प्रारम्भिक जांच के दौरान यह पता लगे कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने गलत तथ्य दिये हैं तथा जान बूझकर सदस्य के नाम को बट्टा लगाने का यत्न किया तो ऐसे व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकार के भंग का दोषी समझा जायेगा।

इसलिए मैं कहूंगा कि यदि कोई सदस्य किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाना चाहता है तो वह उक्त प्रक्रिया का पालन करे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS.

दूसरा प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड़) मैं **गैर**-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

बिहार को अनाज की सप्लाई के बारे में निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मन्त्री का उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 Re : FOOD SUPPLY TO BIHAR AND MINISTERS REPLY THERETO

Shri S. C. Jha (Madhubani) : I would like to draw your attention on the figures given by the Food Minister and by the Bihar Government regarding allotment and supply of food grains to Bihar. These figures do not reconcile with each other. These figures are as follows :

In the month of January 1,66,000 metric ton foodgrains allotted by the Centre whereas the Bihar Government received 1,65,557 metric ton. The difference is 443 metric ton. It has been said that in the month of February one lakh sixty five thousand metric ton foodgrains were despatched to Bihar whereas according to Bihar Government they have received only one lakh fifty thousand, three hundred forty two metric tons of goodgrains. The difference is 9,658 metric ton. In the month of March 1,72,400 metric tons foodgrains were despatched. But according to Bihar Government figures they have received only 1,65,667 metric tons. The difference is 6,733 metric tons.

In the month of April 1,97,000 metric tons foodgrains were despatched. But Bihar Government have received only 1,81,000 metric ton. The difference is 16, 00 metric

tons. The hon. Minister in his statement has stated upto the 18th May 1,80,000 metric tons foodgrains have been supplied during the month but upto 25th May Bihar Government have received only 1,06.072 metric tons. The hon. Food Minister should clarify the whole position.

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : बिहार को दिए गए खाद्यान्नों के कोटों के आकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

जनवरी, 1967	175.0
फरवरी	179.0
मार्च	178.0
अप्रैल	197.0
मई	225.0

इन कोटों के प्रति श्री शिवचन्द्र झा के पत्र के अनुसार बिहार राज्य के खाद्य तथा सप्लाई मन्त्री द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई के महीनों के बारे में बताए गए कोटे निम्न प्रकार हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

फरवरी	178.5
अप्रैल	185.0
मई	185.0

2. जहां तक फरवरी का सम्बन्ध है, इसमें बहुत अधिक अन्तर नहीं है। अप्रैल मास के लिए निस्संदेह शुरू में यह कोटा 185,000 मीटर टन था लेकिन बाद में इसके 10,000 मीटर टन की वृद्धि कर दी गई थी जिसके लिए पटना में 24 अप्रैल को बिहार में केन्द्रीय डिपों से माल देने का आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 27 अप्रैल को बिहार के केन्द्रीय डिपों से मुफ्त बांटने के लिए 2000 मीटरी टन खाद्यान्न देने के आदेश दिए गए थे। यह प्रतीत होता है कि कोटे में 12,000 मीटरी टन की वृद्धि को सदस्य महोदय के विचाराधीन पत्र में उन आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि मई, 1967 के लिए 185,000 मीटर टन का कोटा कैसे बताया गया है। मैंने आंकड़ों की पुनः जांच की है और यह मालूम हुआ है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, बिहार को मई मास के लिए 225 हजार मीटरी टन का कोटा आवंटित किया गया है।

3. जहां तक इन कोटों के प्रति सप्लाई का सम्बन्ध है, यह उल्लेख करना पड़ता है कि खाद्यान्न सप्लाई करने की व्यवस्था बन्दरगाह शहरों में की गई थी और कुछ मात्राएं बिहार में स्थित केन्द्रीय डिपों से देने के भी आदेश दिए गए थे। मैंने जो आंकड़े दिए थे वे विभिन्न बन्दरगाहों से बिहार को वास्तव में भेजे गए अनाज और विचाराधीन महीने के अन्तिम दिन की सांयकाल तक बन्दरगाह तथा डिपो अधिकारियों द्वारा सूचित किए गए बिहार राज्य में

केन्द्रीय डिपों से आवंटित अनाज के बारे में आंकड़े थे। श्री शिवचन्द्र झा द्वारा कथित आंकड़ों में अन्तर सम्भवतया इस कारण हुआ है कि या तो राज्य सरकार के पास महीने के अन्तिम दिन तक विभिन्न बन्दरगाहों से भेजे गए खाद्यान्नों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी अथवा उन मात्राओं को जिनके बारे में बिहार में केन्द्रीय डिपो से देने के आदेश दिए गए थे उन्हें पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किया गया होगा लेकिन स्टाक वास्तव में डिपों से उठाया या भेजा नहीं गया था।

4. यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित बन्दरगाहों से माल भेजने और गंतव्य स्थानों पर पहुँचने में समय लगना अनिवार्य है। सरकार के प्रेषण आदेशों के अनुसार बन्दरगाहों से प्रत्येक मास खाद्यान्न भेजे जाते हैं। अतः भारत सरकार बन्दरगाहों से राज्य में विभिन्न गंतव्य स्थानों को भेजे गए खाद्यान्नों, साथ ही केन्द्रीय डिपों से दी जाने वाली आदेशित मात्रा के कुल आंकड़ों को लेती है जैसाकि किसी महीने विशेष में कुल सप्लाई की जाती है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेजने और पहुँचने के बीच लगने वाले समय के कारण राज्य के वितरण कार्यक्रम में कोई विघ्न न पड़े, आने वाले महीने के कोटे के प्रति बिहार में केन्द्रीय डिपों से अग्रिम आवंटन भी किए जाते हैं।

5. तथापि, मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से इस अन्तर को ठीक करें।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

विश्व भारती की संसद (कोर्ट)

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम 10 के खण्ड (5) के साथ पठित विश्व-भारती अधिनियम, 1951 की धारा 19 की उप-धारा (i) (xii) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, विश्व-भारती की संसद (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के परिनियम 10 के खण्ड (5) के साथ पठित विश्व-भारती अधिनियम, 1951 की धारा 19 की उप-धारा (i) (xii) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, विश्व-भारती की संसद (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adpoted.

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुन: समाप्त हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen hours of the clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* **}**

अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक 1967

UN LAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि व्यक्तियों तथा संस्थाओं की कतिपय अवैध गतिविधियों के अधिक प्रभावयुक्त निवारण तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि व्यक्तियों तथा संस्थाओं की कतिपय अवैध गतिविधियों के अधिक प्रभावयुक्त निवारण तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री यशवन्तराव चव्हाण : देश को इस महत्वपूर्ण अवैध गतिविधि अर्थात कुछ क्षेत्रों को देश से पृथक करने की चर्चा की ओर ध्यान देना चाहिए। इस विधेयक द्वारा इस अवैध गतिविधि को अपराध घोषित करना है। मेरे विचार में यह उचित समय है कि हम ऐसी गतिविधियों को सामान्य कानून के अन्तर्गत अपराध घोषित किया जाये।

Sbri Madhu Limaye (Monghyr) : I oppose this Bill tooth and nail. It is not only unnecessary but it is dangerous also. It strikes on fundamental rights of the citizens as well as on the very basis of democracy. It has been provided under Article 13 (1) of the Constitution that subject to the provisions of this constitution, the executive power of the Unicn shall extend to the matters with respect to which Parliament has power to make laws. Thus Parliament has nc right normally or legally to pass this law.

Under Article 19 (2) (3) and (4) of the, Constitution Parliament can make laws imposing reasonal restrictions on the citizens rights of freedom of speech, assembly or association.

The Government deserve to acquire absolute powers by imposing certain restrictions through this Bill. Under article 13 (2) of the Constitution Parliament can not pass such a law which prohibits or abridge the rights of the citizens conferred upon under article 19 of the Constitution. I would, therefore, suggest that the hon. Minister should not be allowed to introduce this Bill:

श्री शिवाजीराव शं. देशमुख (परभणी) : माननीय सदस्य ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत संसद ऐसा विधेयक पास नहीं कर सकती जिससे नागरिकों के मूल

अधिकारों को आघात पहुँचता हो संविधान की विवेचना का कार्य न्यायालयों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 72 के अन्तर्गत मैं इस पर चर्चा की अनुमति देता हूं ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

यह उसी प्रकार का विधान है जिसके विरुद्ध संविधान अनुच्छेद 13(2) में रक्षा का प्रयत्न किया गया है । इसमें कहा गया है कि संसद को ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जो मूल अधिकारों को समाप्त अथवा कम करता हो । परन्तु इस विधेयक द्वारा सरकार व्यापक शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहती है । परन्तु हमें कार्यपालिका को ऐसी शक्तियां नहीं देनी चाहिए जिसमें अपराध की कोई परिभाषा न दी गई हो ।

हमें भय यह है कि इस विधेयक से नागरिकों की थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता को भी समाप्त कर दिया जायेगा । देश के सामान्य कानून में पहले ही ऐसा खण्ड मौजूद है जिसके अन्तर्गत ऐसे लोगों को दण्ड दिया जा सकता है जिनसे देश की अखण्डता को खतरा हो ।

इस विधेयक में निहित उद्देश्य यह है कि ऐसी शक्तियां प्राप्त की जावें जिनसे विरोधियों पर दबाव डाला जा सके । देश की अखण्डता तथा एकता को बनाये रखने के लिए वर्तमान सरकार के पास पहले ही पर्याप्त शक्तियां विद्यमान हैं ।

Shri Yaspal Singh (Dehra Dun) : The hon. Minister has not started the necessity which forced him to introduce this Bill. Freedom of expression and movement has been guaranted by the Constitution.

There are already sufficient powers with the Government to deal with the persons who indulge in such unlawful activities. Therefore there is no necessity of bringing this Bill. No useful purpose will be served with this Bill. I will, therefore, request the hon. Minister to withdraw this Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं भी इस विधेयक का विरोध करता हूं । 1 अगस्त, 1966 को भी भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा इसी तरीके से एक विधेयक लाया गया था । उस समय न केवल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती बल्कि समूची सभा ने उसका विरोध किया था । सार्वजनिक आलोचना को देखते हुए उस विधेयक को वापिस ले लिया गया था ।

वर्तमान गृह-कार्य भी वही तर्क दे रहे हैं जो श्री नन्दा ने दिये थे । यह एक घातक विधेयक है जिसके द्वारा संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों को वापिस लेने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : जब पिछले संसद में इसी प्रकार का विधेयक लाया गया था तो मैंने कहा था कि यह संविधान के साथ एक कपट है । यद्यपि वर्तमान विधेयक में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं तथापि उसका सार वही है । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध

करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा संविधान को अपवित्र करने का यत्न किया गया है। इस विधेयक के अध्याय IV के अन्तर्गत इस कानून से पीड़ित व्यक्तियों की न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकेगी। मेरा निवेदन यह है कि सरकार आपातकालीन स्थिति को प्रथम जुलाई से समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु इस विधेयक के चतुर्थ अध्याय में, विशेषकर प्रस्तावित खण्ड 16 के अन्तर्गत न्यायालयों से शिकायतें दूर नहीं करवायी जा सकतीं। यह बात मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इसीलिए हम विवश होकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। गृह-कार्य मंत्री को चाहिये कि वह या तो इस विधेयक को वापिस ले लें या विरोधी दलों के साथ बैठकर ऐसे उपाय ढूंढ निकालें जिससे यदि आवश्यक हो तो एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जा सके जो सदन के सभी दलों को स्वीकार्य हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Bill which is being introduced here is against the fundamental rights and againsl the interest of democracy. In case this Bill is passed, the Government will be equipped with more powers and that also for indefini te period. Had this Bill been in the interest of security of India, I would have supported it. There are many people in our country who are secessionists but Government is not proposed to take any action against them. The Government rather encourages and respect them. Goveroment has already adequate powers but the question is that they do not use them until something goes against the interest of Congress party. In clause F (3) it has been provided......which disrupts or is intended to disrupt the integrity of India" But definition of 'integrity' has no where been given.

This Sill Bill be considered as Bill as it affects the fundamental rights given by the Constitution adversely. I, therefore, oppose this Bill at the introduction stage.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। यह अलोकतन्त्रीय विधेयक है। इसमें बहुत ही कठोर उपबन्ध हैं। इससे शासक दल की हिटलर-शाही मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। इस विधेयक का ध्येय तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें देश कीं एकता एवं प्रभुसत्ता बनाये रखने का उपबन्ध है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश की एकता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका निर्माण किया जा सके यह तो देश की जनता की अपनी इच्छा पर निर्भर है। यह ठीक है कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रथकतावादी मनोवृति को समाप्त करना है। चीनी आक्रमण के समय हमारे दल के नेता ने अपने एक वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि हमने पृथक होने की मांग समाप्त कर दी है। इसलिये इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की स्थिति के साथ निपटने के लिए सरकार के पास पहले ही दण्ड प्रक्रिया, भारतीय दण्ड संहिता और घातक निवारक निरोध अधिनियम आदि के रूप में पर्याप्त कानूनी शक्तियां हैं।

हमारे देश की जनता देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिये कुछ भी बलिदान कर सकती है। सरकार के पास किसी भी प्रकार की स्थिति के साथ निपटने के लिए पहले ही पर्याप्त शक्तियां हैं, इसलिये यह विधेयक वापिस ले लिया जाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक का सभी प्रतिपक्षी सदस्य विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक उस समय प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि पृथकतावादी शक्तियां अपना सिर उठा रही हैं। परन्तु ऐसा तभी हो सकता है यदि सरकार सक्षम न हो। वास्तव में यह सरकार स्वयं ऐसे काम करती है जिससे पृथकतावादी शक्तियों को प्रोत्साहन

मिले और दूसरी ओर इस पृथकतावादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार यह विधेयक ला रही है। यह एक व्यंगपूर्ण बात है। (व्यवधान) पृथकतावाद को समाप्त करना चाहिये। पिछली बार सरकार ने, सभी विरोधी दलों द्वारा विरोध प्रकट करने पर, इस विधेयक को वापिस ले लिया था। मैं आपका ध्यान खण्ड 2 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें 'अवैध' की परिभाषा दी गई है। इस खण्ड में ऐसी कार्यवाही को सम्मिलित किया गया है। जिसका इरादा भारत से पृथक होना है। 'इरादा' को पहली बार इस परिभाषा में विधान की सीमा के अन्दर लाया गया है। यह विचार संसदीय लोकतन्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। जो थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता हमें मिली हुई है इस विधेयक के पास हो जाने से उसे भी खतरा है। अतः हम सब इस विधेयक का विरोध करते हैं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : First of all the point is whether this House is supreme in the legislative field or not. In my opinion this House is supreme legislative body. This Bill has been introduced completely in accordance with Article 19 of the Constitution. Our Government wants to put an end to secessionist element and this Bill has been introduced to achieve this object. In case some legislation is passed by his House which is found to be against the provisions of Constitution, the President can refer the matter to the Supreme Court under Article 143 in order to ascertain the legal position thereof. But that stage comes only when the legislation is passed.

This House is competent to pass this Bill and validity of its proceedings cannot be challenged under Article 122 of the Constitution (Interruptions). There is provision in Article 19 (2) to 19 (6) of the Constitution in which special powers have been vested in executive that such Bills can be introduced by them and in case legislation thus passed is found to be against the provisions of the Constitution the same can be challenged in a Court of law.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : इस विधेयक का विरोध मुख्यतः इसलिये किया जा रहा है कि इससे मूल अधिकारों में कमी हो जायेगी। अनुच्छेद 13 (2) केवल अवरोधक ही नहीं अपितु स्वीकृति-सूचक भी है क्योंकि अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत उचित प्रबन्ध लगाये जा सकते हैं और इस सम्बन्ध में विधान मण्डल कानून में सक्षम है। इस प्रकार यह सभा इस सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए सक्षम है। (व्यवधान)

यह अजीब बात है कि देश की सुरक्षा के लिए जो अनिवार्य है उसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जो कहते हैं कि वह देश के प्रति असंदिग्ध रूप से वफादार हैं। यह विधेयक उनके लिये है जो इस देश के किसी एक भाग को पृथक करने के पक्ष में हैं।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि यह उचित प्रबन्ध नहीं परन्तु इस बात का निर्णय तो न्यायालय ही कर सकता है। श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा था कि 'इरादा' शब्द पहली बार इस विधेयक में प्रयुक्त हुआ है। परन्तु वास्तव में इस शब्द का प्रयोग पहले भी कई बार होता रहा है।

यह विधेयक बिल्कुल उचित है और राष्ट्रहित में है।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक का ध्येय पृथकतावादी गतिविधियों को रोकने से है। यदि मन्त्री महोदय का यही इरादा है तो इस विधेयक को बहुत देर के बाद लाया गया है। क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कज़षम का कई वर्ष तक लगातार यह ध्येय रहा है परन्तु अब उन्होंने इसका इरादा त्याग दिया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद इस प्रकार के विधेयक को पुरः स्थापित करने से कांग्रेस सरकार अपनी अक्षमता दृष्टिगोचर होती है।

इससे यह भी पता चलता है कि उनकी अपनी गतिविधियां देश को विघटनकारी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रही हैं।

इसलिये यह एक राजनीतिक समस्या है और इस प्रकार की समस्या का राजनीतिक ढंग से ही समाधान ढूंढा जाना चाहिये। यह समस्या का सम्बन्ध विधि तथा व्यवस्था से नहीं है। इस राजनीतिक समस्या का, राजनीतिक ढंग से समाधान करने के बजाये, पृथकतावादी गतिविधियों को रोकने के वेश में, इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

विघटनकारी प्रवृत्ति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं की गई। यदि कल देश में आर्थिक मांगों के समर्थन में हड़तालें अधिक होने लगे तो सरकार उन्हें विघटनकारी प्रवृत्ति का नाम दे सकती है। इस विधेयक से नागालैंड जैसी किसी समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। वास्तव में इस विधेयक से सरकार जनता के मूल अधिकारों में कमी करना चाहती है। देश में जनता जितनी दुखी होगी उतना ही वह सरकार की नीतियों का विरोध करेगी और सरकार उनकी गतिविधियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों का नाम देकर उन्हें अवैध घोषित कर देगी। इस प्रकार से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा।

इस विधेयक से तो संसार में इस बात का प्रचार होगा कि भारत में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत से पृथक होकर रहना चाहते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय म निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे विचार में यह विधेयक ठीक समय पर सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक से सरकार को कोई असीमित शक्ति नहीं मिल जाती। मुझे और आप सबको इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों ने किस किस प्रकार के नारे लगाये थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि वे भारत का विभाजन और उप-विभाजन करेंगे, वे भारत की एकता और अखण्डता को भी खो देंगे।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं उत्तेजित नहीं हो रहा, मैंने कहा था कि इस देश में एक दल ऐसा है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने यह कहा है कि एक दल ऐसा है जो भारत की अखण्डता में विश्वास नहीं रखता। यह बात संविधान के विरुद्ध ही नहीं अपितु भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न देश बने रहने के लिये खतरनाक भी है। मैं उस दल का नाम पूछना चाहता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने किसी दल का नाम लिया। मैंने यह कहा था कि कुछ दल उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं, कुछ हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की बात करते हैं, कुछ शांति बनाये रखने के लिए देश का कोई भाग आक्रन्ता को देने के पक्ष में सोचते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): This is what your own party is doing. What happened in the case of Berubari ?

श्री समर गुह : यह फिर अन्य राजनीतिक दलों पर आरोप लगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह यही कहते रहे हैं कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों, जो अखण्डता में विश्वास नहीं रखते, जो अनुचित बात है।

श्री दी० च० शर्मा : देश की एकता और अखण्डता के लिए यह विधेयक आवश्यक है। भारत में लोकतन्त्र की सुदृढ़ता के लिए इस विधेयक की अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री तेन्नटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : भारत की क्षेत्रीय अखण्डता को बनाये रखने के बारे में सरकार की चिन्ता तो समझ में आती है परन्तु इसकी व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है । इस विधेयक पर विचार करने का हमें पूरा अधिकार है । मैं समझता हूं कि यह हमारे कर्त्तव्य का भाग ही है । देश में कई प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्तियां चल पड़ती हैं । जैसे कि शिव सेना है । हमें कानून बनाना चाहिये । उसमें त्रुटि ढूंढ निकालना न्यायालयों का कार्य है । सरकार पर पहले ही बहुत से अधिकार हैं । इस विधान की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रंगा : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने का विरोध किया है । सरकार के पास पहले ही बहुत अधिकार हैं । इस विधेयक द्वारा सरकार अपने अधिकारों में वृद्धि करना चाहती है । आपातकालीन स्थिति के दौरान सरकार ने हमारे मूल अधिकारों को निलम्बित कर दिया था । इसके होते हुए भी साम्यवादी दल की गतिविधियों को आपत्तिजनक पाया गया और उन्हें जेलों में बन्द कर दिया गया परन्तु उस पार्टी को अवैध घोषित नहीं किया गया । उसके बाद सरकार ने केरल के चुने हुए लोगों की सरकार नहीं बनने दी । इस प्रकार सरकार ने संकटकालीन स्थिति में प्राप्त हुए अधिकारों का अनुचित लाभ उठाया ।

सरकार को पहले ही बहुत अधिकार प्राप्त हैं । क्या सरकार उन राज्यों में भी अधिकारों का प्रयोग करेगी जहां पर गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं । मैं सरकार को और अधिक अधिकार दिये जाने के विरुद्ध हूं । सरकार ने कभी भी यह साहस नहीं दिखाया कि किसी दल को गैर-कानूनी घोषित करे । सरकार अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध यह अधिकार प्रयोग में लाती रही है । सरकार ने देश का ध्यान न रख कर अपनी पार्टी के हितों का ध्यान रखा है । इसी कारण मैं सरकार को और अधिक अधिकार दिये जाने का विरोध करता हूं । सरकार देश की एकता की दुहाई देती है परन्तु आज देश की वास्तविक स्थिति क्या है ? देश के भाषा के आधार पर टुकड़े कर के रख दिये गये हैं ।

अब केन्द्रीय सरकार अपने हाथों और अधिक अधिकार लेना चाहती है । सरकार के बड़े बड़े अधिकारी इस कानून का अनुचित लाभ उठायेंगे, क्योंकि न्यायालयों के अधिकारों को भी सीमित कर दिया जायेगा । इस विधेयक के अनुसार सरकार जनता के मूल अधिकार का हनन करना चाहती है । हमें संविधान में दिये मूल अधिकारों की पूरी पूरी रक्षा करनी चाहिये । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को न लाये ।

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, this Bill seeks to restrict and control the unlawful activities. It is in the best interest of country. It will check disruptionist tendencies in the country. We cannot allow unsurpulous elements to gain an upper hand.

श्री पिलु मोडी (गोधरा) : माननीय सदस्य का विचार है कि यह विधेयक मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध है । मेरे विचार में सरकार का ऐसा इरादा नहीं है ।

Shri Sheo Narain : It is against those who indulge in anti-national activities, those who want this country to disintegrate.

श्री मु० यू० स्लीन (नलगोंडा) : श्रीमानजी, मैं माननीय मन्त्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इस सदन को अधिकार प्राप्त है कि इस विधेयक पर विचार करे। यदि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति है या वह कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने जो बातें इसके विरोध में कही हैं उनकी आवश्यकता नहीं थी। माननीय गृह-कार्य मन्त्री को इस विधेयक को प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरे विचार में इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार के पास पहले ही बहुत अधिकार हैं। हमारे यहां पर देश-द्रोह के बारे में कोई कानून नहीं हैं। एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये जिसमें देश-द्रोह तथा देश-द्रोही की व्याख्या दी गई हो। यदि देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को बनाये रखना है तो ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये। मेरी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : आपने इस विषय पर पूरी चर्चा करने का मौका देकर बड़ा ही अच्छा किया है। श्री मधु लिमये ने इस विधेयक का विरोध किया है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि यह प्रश्न उसने इस आधार पर उठाया है कि यह विषय संसद की विधायनी शक्ति से परे हैं। अर्थात यह या तो ऐसा विषय है जो राज्य सूची में आता है अथवा ऐसा विषय है जिस पर संविधान के उपबन्धों के अनुसार संसद कानून नहीं बना सकती। पहली सम्भावना तो उस विषय पर लागू नहीं होती और दूसरी के बारे में निश्चय करने के लिये यह चर्चा चल रही है। वैसे इस प्रश्न पर अन्तिम रूप से फैसला तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही कर सकती हैं।

मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस विधेयक के प्रारूप की पूरी तरह से जांच की गई है और यह पाया गया है कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार सरकार द्वारा ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री मधु लिमये तथा श्री नाथपाई ने प्रस्तुत विधेयक की संवैधानिकता को कुछ ऐसे तर्कों के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की है, जिनको आज की चर्चा में यथासंगत स्थान नहीं दिया जा सकता।

मुझे प्रसन्नता है कि देश में अब विलय और विघटन के प्रति जागरूकता पैदा हो गई है। लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना के अंकुर फूट निकले हैं। परन्तु अब भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं देश के विघटन के बारे में सोच सकते हैं या देश की एकता भंग करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे ही तत्वों को दबाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर सरकार इस प्रकार की स्थिति से निपट सके।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी ऐसे विधेयक का, जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिये आवश्यक है, बिरोध केवल दलगत शंकाओं के आधार पर किया जाये, तो यह राजनीतिक अपरिपक्वता को ही बनता है। इस

विधेयक का विरोध केवल दलगत बिचारधारा के आधार पर किया जा रहा है, राष्ट्रीय हितों के आधार पर नहीं ।

सरकार की यह धारणा है कि यह विधेयक राष्ट्र के हित में है । जब तक देश में ऐसे लोग रहेंगे जो देश के किसी भाग को संघ से अलग करने की बात करते हैं, तब तक ऐसे विधान की आवश्यकता बनी रहेगी । साथ ही मैं तो यह कामना भी करता हूं कि इस विधान को लागू करने का अवसर ही न आये । परन्तु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि प्रस्तुत विधान के बिना स्थिति से न निपटा जाये । इसलिये हम चाहते हैं कि प्रस्तुत विधेयक विधि का रूप ले ले । आवश्यकता पड़ने पर इसका सदुपयोग किया जायेगा, अन्यथा नहीं । वैसे तो हम सभी राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक तरीकों से ही सुलझाने का प्रयास करते हैं परन्तु इसके लिये सरकार के पास वैध शक्ति का होना भी अनिवार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि व्यक्तियों तथा संस्थाओं की कतिपय अवैध गतिविधियों के अधिक प्रभावयुक्त निवारण तथा तत्संक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	162
Ayes	162
विपक्ष में	131
Noes	131

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधयक पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे आय-व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा (जारी)

RAILWAY BUDGET GENERAL DISCUSSION (Contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर चर्चा जारी रखेंगे ।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : The increase in the fares for 3rd class passengers is not justified. The increase in the fares will add to the troubles of them. This rise in fares will not affect those who travel in 1st or 2nd classes. If you want to increase the revenues, it can be done in various other ways like checking the thefts of railway material etc.

Though I am not against the Unions of workers, yet I suggest that the Unions should do work on constructive basis. Destructive work by Unions should be discouraged. Simultaneously, the officers of 3rd and 4th class in Railways should also be transferred from one place to other. It will help in solving some problems. A system of moral teaching should be introduced so that employees may be honesty, conscious and duty-conscious.

[श्री चपलकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya *in the chair*]

It was also suggested that all the officers should travel in 3rd class, but this suggestion always remains suggestion and it is never implemented. We should do away with the corruption rampont in the railway administration. Even casual labour is affected by it. Secondly we should leave the habit of always criticizing officers. They should be given the chance to improve their work and to prove themselves able to perform their duties. I also want to emphasize that the overcrowding in all the trains should be controlled. Third class passengers have to travel sitting on the roofs of the compartments, when they do not find places inside them. I suggest that at times of fairs or festivals some supplementary or alternate trains should be run to meet the overcrowd.

Now I would like to give some suggestions for providing railway facilities in eastern districts of U. P. so that the people of that area may prosper. The existing railway line between Samstipur andGorakhpur should be converted into a broad gauge line and it will help the development of northern part of U. P. A new metre gauge line should be laid on the route of Dohrighat-Gorakhpur-Sahajanawa to provide means of communication to the residents of that area. Now there is bus route which is incapable to meet the demand of people. Further in the border areas Chatauni should be linked by railway system to Anandpur to facilitate the movement of troops in that area. It will also add to the means of communication for the people. Tulsipur is a place of religious importance where a big fair like that of Nauchandi fair is held every year. But its station is too small to cope with the heavy rush of people during the 15–day fair. This station should be modernized in every respect. A new station should be made at the location place of Fertilizer Plant i.e. between Maliram and Pipi Ganj Stations. With these words I conclude my speech. Thanks.

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Srinagar) : The assurance was given during the first plan peiod that the State of Jammu & Kashmir will be connected by railway line with rest of the country. But I am sorry to point out that new railway line has been laid over a distance of 9 miles only during the last three plan period. If the work proceeds with this speed it will require 400 years to connect Srinagar by railway line with rest of the country. I admit that the terrain is difficult and the railway line cannot be laid there easily. Yet the railway line is a necessity there from defence point of view.

रेलवे मंत्री (श्री चे. मु. पुनाचा): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 8 या 10 दिन पहले एक निर्णय किया गया था जिसके अनुसार कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है और वहां शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा। पहले चरण में कथुआ और जम्मू को मिलाया जायेगा।

Shri Gulam Mohammed Bakshi : Pilgrims not from India alone but from Ceylon, Burma and Thiland also come there to see Amarnath and Vashnav Devi temples. They have to face many difficulties in the absence of railway line and train service. Poor people do not go there merely because they are not in a position to afford high fares of bus or car. Secondly, Kashmir is a place, where a large number of tourists go every year and from this point of view also train services are essential there. In then I request that hon. Minister should pay attention towards Kashmir in respect of laying down railway lines and introducing train-services in Kashmir. They will be beneficial for troops movement, tourists, pilgrims and the people of the State.

Sir, there is no rail link between Srinagar and the rest of the country. The people of Kashmir have to pay very high freight. I know that the Government has difficulties in its way. But taking in view that strategic situation of Kashmir, steps should be taken

in this direction. It is correct that it would be gigantic job, I request that this work should be executed expeditiously.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री श्री (श्री. स. च. जमीर): माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं हम उन पर पूरी तरह से विचार करेंगे । हमें सभी समस्याओं के समाधान के लिये अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखेंगे । रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं । हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी भी हुई है । 1951-52 की दुर्घटनाओं की तुलना में 1965–66 में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं ।

यह शिकायत की गई है कि रेलवे भ्रष्टाचार तथा कुप्रथाएं बहुत फैली हुई है । मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने इन शिकायतों को दूर करने के लिए बहुत सी कार्यवाही की है । रेलवे बोर्ड ने जांच आदि के कार्य के लिए बहुत सी सतर्कता संगठनों का गठन किया है । वैसे हमें भ्रष्टाचार को सभी बिभागों में समाप्त करना है । अतः न केवल रेलवे वालों का बल्कि सभी लोगों का कर्तव्य है कि अपनी ओर से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये भरसक प्रयत्न करे । रेलगाड़ियो में अधिक सुविधाएं उपलब्ध किये जाने की मांग की गई है। गाड़ियों में चोरी की घटनाएं बहुत बढती जा रही है । इस बारे में देश की जनता को रेलों की सम्पत्ति को समूचे देश की सम्पत्ति समझना चाहिये । हम सब को चाहिये कि प्रशासन की सहायता करें ।

तृतीय योजना काल में हमप हले ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं । देश के कुल 6,850 स्टेशनों में से 5,000 से अधिक स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध की जा चुकी हैं । कुछ अवांछनीय तत्व हमारे कार्य में बाधाएं उपस्थित कर देते हैं । रेलवे की खानपान व्यवस्था में अभी और सुधार की आवश्यकता है । हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। हम जब यात्रा पर जायें तो हमें घर जैसा भोजन मिलना कठिन है । अतः हमें अपने खाने की आदतों में परिवर्तन करना होगा ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने नई रेलवे लाइनें बिछाये जाने की मांग की है। जोगीहापा से गोहाटी तक बड़ी लाईन बनाये जाने की मांग्र की गई है । वर्तमान वित्तीय स्थिति में यह काम अभी हाथ में नहीं लिया जा सकता । कटक से पारादीप तक सर्वेक्षण कार्य चल रहा है । इसे शीघ्र लिये जाने की आशा है । गोदावरी नदी पर पुल बनाने का कार्य आरम्भ किया जाने वाला है । राजामुद्री के समीप पुल बनेगा । राज्य सरकार ने इस बारे में सहायता देने का वचन दिया है ।

हमें आशा है कि इस बारे में पूरा काम 1971 के मध्य तक पूरा कर लिया जायेगा ।

Shri J. B. Kripalani (Guna) : Government had appointed an Anti-Corruption Committee. Had its recommendation been implemented, they would have benefited much? Government had accepted the recommendations but it had not been implemented. The expenditure on Railway Board is out of all proportion to the services they perform. The high officials should travel in first class instead of saloons.

It is a matter of regret that at the railway stations the sanitary conditions are becoming from bad to worse. You go to Delhi station. You will find the pitiable conditions.

The flirst class waiting rooms are also like that. Adeqaute lighting arrangements should be provided in compartments. The stuff scerued by Catering Department is also sub-standard. This Department should be instructed to take care of cleanliness. This is most essential.

In our country has become a law to break the law. It is not only in Railways that pilferage takes place. The train journey is not safe these days. Women passengers cannot travel without an escort. It was not like that in pre-independence days. The speed of trains in our country is very slow. The halting time of trains at way side stations should be reduced. I am against the increase of fare of third class passengers. Madhya Pradesh is backward so far the railway facilities are concerned. I want that the timings of trains passing through Guna should be suitably changed so that people can get trains there. The narrow gauge line which was constructed bythe Maharaja should be properly looked after by Government, Guna should be linked with Etawah. It would connect North with South. I hope the Hon. Minister will pay attention to these points.

श्री मु० न० नाधनूर (बेलगांव) : श्रीमन्, माननीय रेल मंत्री ने 1967-68 के लिये जो आय-व्ययक प्राक्कलन रखा है। मैं उसका सर्थन करता हूँ। यदि हम उस बजट को गौर से पढ़ें तो हम देखेंगे कि अनेक कारणों से इस घाटे को जो बजट में दिखाई पड़ता है और भाड़े में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। पिछले पांच वर्षों में रेलों को चलाने की लागत में कई गुनी वृद्धि हुई है । उदाहरणार्थ, पिछले पांच वर्षों में ईंधन का मूल्य 45 प्रतिशत बढ गया है। इसी प्रकार इस्पात के मूल्य में भी 32 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लागत में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि कई नई लाइनों का निर्माण भी किया जा रहा है। 1961-62 में रेलवे संचालन पर 325 करोड़ रु० व्यय किये गये थे जबकि 1966-67 में 631 करोड़ रु० । पिछले पांच वर्षों में रेलवे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में सात बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक वृद्धि में सरकार को कम से कम 15 करोड़ रु० खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार 1967-68 में सरकार को मंहगाई भत्ते पर समूचे तौर पर 67.30 करोड़ रु० अधिक खर्च करने होंगे।

दूसरी ओर सरकार को माल भाड़े के रूप में जो आमदनी होती है उसमें भी कमी हुई है और माल ढुलाई की कुल मात्रा में भी 460 लाख टन की कमी हुई है। यह पहली बार है जबकि रेलवे ने घाटा दिखाया है।

बम्बई-बंगलौर लाइन पर यात्रियों का काफी अधिक यातायात है। इससे रेलवे का माल यातायात कम हो गया है। इस परिस्थिति से सड़क परिवहन लाभ उठा रहा है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

पूना-बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिये। रेलवे को देश में एक मानक लाइन बनाने का प्रयास करना चाहिये। जनता को छोटी लाइनों से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं उनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। छोटी लाइनों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। उनके सुधार के लिये रेलवे को कदम उठाने चाहिये।

बम्बई गुंटाकल लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिए। मद्रास-बंगलोर और बंगलोर-पूना लाइनों पर विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। रेल और सड़क परिवहन के बीच प्रतिस्पर्धा की समस्या की जांच जिस समिति ने की है उसकी सिफारिशों

की जांच रेलवे को करनी चाहिए। रेल परिवहन में सुधार करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। पूना-बंगलोर मार्ग पर बहुत थोड़े रेलवे फाटक और ऊपरी पुल हैं। उस 'सेक्शन पर आवश्यक रेलवे फाटक और उपरी पुल बनाने के लिए जो अभ्यावेदन दिये गये हैं उन पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Sir, I rise to reject this Railway Budget and to urge upon the hon. Minister to withdraw this budget. For the first time over these years the Railway Minister has presented a deficit budget. This betrays that the people have lost their confidence in the public sector. In a poor country like ours there is no basis to raise the railway fare from 10 to 15 paise. Our Government is committed to establish a Socialistic pattern of Society in the country. It is fantastic that instead of doing away with the first and the second class in the trains the Railways have introduced one new class, namely the air-conditioned class. This class should be discontinued and as a matter of fact the whole of the system of classification should be abolished in the railaways. There is great disparity between the salaries of the lowest and highest officials in the railways. This is not in consonance with the Socialistic wims of the Government.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

It is shocking that not a single express train passes via Saharsa in the North-Eastern Railways as a result of which thousands of passengers are put to a lot of inconvenience. From the strategic point of view it is very important that effective improvement should be made in our transport system in the North-Eastern border area along Nepal. It is most unfortunate that in a great number of cases the railways authorities do not intimate about the deaths of the persons involved in railway accidents to the next of kins of the deceased.

The railways administration works in a very strange way. There are cases in which even those persons have been punished who draw the attention of the railway authorities to the prevailing anomolies?

The saloon facilities for the railway officers should be abolished. It is said that political considerations guide the location of new railway lines.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra).: Sir, I completely endorse the suggestion of Mahant Digvijaya Singh, a broad guage line should be constructed from Gorakhpur to Samastipur in order to facilitate the movement of necessary agricultural inputs to that area Instead of enhancing the railway fares the Railway should find out some other measures to augment their income. Measures should be taken to check the pilferage of coal and other Railway material. Ticketless travelling should be curbed. Safety of the Ticket Examiners should be ensured by providing them with licences for revolvers. Railway Police Force should be further strengthened.

It is true that althogh the fares have been enhanced yet the prorata facilities have not been afforded to the passengers amenities should be provided.

There are good for nothing officers in the Railway Board and those officers invariably take such decisions as run counter to the public interest. A halt station should be provided at Damuria.

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि

Nuclear Non-Proliferation Treaty

श्री राममूर्ति (मदुरै) : परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाली संधि के बारे में भारत सरकार की नीति बहुत अस्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार को इस संधि के बारे में केवल इतनी आपत्ति है कि इस संधि में किसी अन्य देश द्वारा परमाणु हथियारों से आक्रमण के समय बचाव के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई है इसलिए मैं परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि के बारे में कुछ मूल तथ्यों की ओर सदन का ध्यान दिलाता हूं।

जब परमाणु बमों पर अमरीका का एकाधिकार था तो संयुक्त राष्ट्र में कई बार ऐसे प्रस्ताव रखे गये थे कि अमरीका आटम बमों के भंडार को समाप्त कर दे परन्तु प्रत्येक बार अमरीका ने इन प्रस्तावों को रद्द कर दिया। जब अमरीका का एकाधिकार समाप्त हुआ तो आटम बमों के परीक्षण होते रहे हैं और आज सम्बन्धित अणुशक्ति वाले देशों का इस बारे में एकाधिकार है और वह इस एकाधिकार को बनाये रखना चाहते हैं। जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है वह आज भी इन परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिये तैयार नहीं है। वह यह भी घोषणा करने को तैयार नहीं है कि वह परमाणु हथियारों के प्रयोग में पहल नहीं करेंगे। इसलिए किसी सम्भव परमाणु आक्रमण के विरुद्ध किसी प्रकार की गारंटी लेने का प्रश्न ही नहीं है। इस संधि के अनुसार परमाणु हथियारों वाले देश अपना एकाधिकार बनाये रखने के अतिरिक्त अन्य देशों को इसके शान्तिपूर्ण प्रयोग से भी वंचित रखना चाहते हैं। आज जो देश परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में सन्धि का प्रस्ताव रख रहे हैं, वे अन्य देशों को इसके शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी इस शक्ति के संभाव्य साधनों का विकास करने मे रोकना चाहते हैं। इस संधि को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि हमें आणविक गवेषणा के काम को बन्द करना होगा।

पश्चिमी जर्मनी और इटली भी इस संधि का विरोध कर रहे है हालांकि अमरीका के साथ उनका समझौता हुआ है। वे जानते हैं कि इससे उनकी औद्योगिक प्रगति में बाधा पड़ जायेगी।

यह एक मूलभूत प्रश्न है कि क्या यह गारंटी हमारे लिये लाभदायक होगी। यदि हम इस गारंटी को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी मूलभूत नीति में परिवर्तन करना होगा। इस पर हस्ताक्षर करने से हमें इस शक्ति को अपने औद्योगिक विकास के लिए प्रयोग करने के अधिकार को भी छोड़ना होगा।

इस विषय पर बहुत से देशों में भी चर्चा चल रही है कि भारत परमाणु आक्रमण मे बचाव की गारंटी मिलने पर, दबाव के नीचे आकर इस संधि पर हस्ताक्षर कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यही बातें सरकार को उलझन में डाले हुए है।

इस बारे में सरकार को अपनी नीति का स्पष्टीकरण करना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी पहले वाली स्थिति से हट रही है। पहले सरकार का विचार था कि किसी

भी सन्धि में आणविक तथा तापीय आणविक शस्त्रों पर पूर्ण रोक लगाने की बात स्पष्ट होनी चाहिए। परन्तु अब ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है। आणविक शस्त्रों के भण्डारों को समाप्त करने की ओर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है। इस सन्धि के सम्बन्ध में भारत सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से बता दे कि उसकी आपत्तियां वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। हमारी आपत्ति अणुशक्ति के विकास पर रोक लगाने के बारे में है और कि इस संधि से आणविक हथियारों के भण्डार समाप्त नहीं होंगे। अतः भारत सरकार को इस सन्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi-Saddar): Our Goverment's stand is not clear regarding the nuclear non-proliferation treaty. I do not know what sort of guarantee our Governements want to have from the nuclear powers; whether the bases would be established in our county or we will be protected from outside. It is not clear. I would also like to know whether the nuclear powers themselves will not hold any list in future. Keeping in view our strategic position.

As we are faced with a thereat from a nuclear power why our Government is not manufacturing atom bomb.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार ने किन्हीं अन्य देशों से इस बारे में सम्पर्क बनाया है और यदि हां, तो वे देश कौन कौन से हैं जो कि इस संधि पर वर्तमान रूप में हस्ताक्षर नहीं करेंगे ?

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश की सुरक्षा को चीन से खतरा है जो कि आटम बमों का परीक्षण कर रहा है और कि निःशस्त्रीकरण समिति में कोई समझौता नहीं हो रहा है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह आणविक आक्रमण से देश के बचाव में समर्थ है और कि वह इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेगी जिससे देश के औद्योगिक तथा प्राद्योगिकीय विकास में बाधा पड़ती हो।

श्री मंडप्पन (मैटूर) : कोई भी देश अपने क्षेत्र की रक्षा को, जोखिम में नहीं डालेगा। चीन के खतरे को देखते हुए क्या सरकार अणुशक्ति सम्पन्न देशों से इस बारे में पूर्ण गारंटी लेगी कि वे उन देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे जिनके पास आणविक शस्त्र नहीं हैं ?

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं उन सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि चीन हमारे विरुद्ध अणुशक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। इस रूप को देखते हुए क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि यदि आवश्यकता हुई तो वह अणुबम बनाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखेगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ कि इस सन्धि के बारे में सरकार की नीति अस्पष्ट है। 27 मार्च, 1967 के अपने वक्तव्य में मैंने सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया था।

इस सन्धि का उद्देश्य निरस्त्रीकरण नहीं है। जिन लोगों के पास इस समय अणुशक्ति नहीं है उन देशों को इसे प्राप्त करने से रोकना है। परन्तु अणु शक्ति वाले देशों को

अपने भण्डारों को कम करने तथा और न बढ़ाने के बारे में इस सन्धि में कुछ नहीं कहा गया है। यही हमारी पहली आपत्ति है।

दूसरी आपत्ति यह है कि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी अनुसंधानों में बाधा पड़ेगी। इस में यह कहा गया है कि जिन देशों के पास अणुशक्ति नहीं है उनको शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी विस्फोट नहीं करने चाहिए क्योंकि सैनिक तथा शान्तिपूर्ण विस्फोटों में विभेद नहीं किया जा सकता। यह एक बेकार तर्क है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते।

तीसरी आपत्ति यह है कि यह सन्धि भेद-भाव करने वाली है क्योंकि जिन देशों के पास इस समय अणुशक्ति नहीं है उनका पर्यावेक्षण किया जावेगा परन्तु जिनके पास अणुशक्ति है उनका कोई पर्यावेक्षण किये जाने की आशा नहीं है।

तीन पहलुओं से हमारी स्थिति विचित्र है। पहली बात यह है कि हमारा देश तटस्थ है। हमारा किसी देश के साथ सैनिक समझौता नहीं है। दूसरे हमें चीन के परमाणु आक्रमण का भय है। हम इस भय की उपेक्षा नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि आणविक शक्ति में हमारे देश ने पर्याप्त प्रगति की है और हम अणु बम बनाने की स्थिति में हैं। इसलिए यदि हम इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते हैं तो हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इससे हमारे राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा को तो कोई हानि नहीं होती और क्या यह संयुक्त राष्ट्र के उस संकल्प के अनुसार जिसके अन्तर्गत 14 सदस्यों की समिति बनाई गई थी।

इसमें एक और त्रुटि यह है कि कोई भी देश इस सन्धि से किसी भी समय अपने को हटा सकता है।

मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस सन्धि के वर्तमान रूप में इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हमें प्रतीक्षा करेंगे तथा देखेंगे कि 18 सदस्यों की समिति में चर्चा के पश्चात यह सन्धि क्या रूप धारण करती है। हमने अपने प्रतिनिधि को यह अनुदेश दिये हैं कि वह हमारी सभी आपत्तियों को समिति के समक्ष रखे। हमें आशा है कि हमारे राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सन्धि में आवश्यक संशोधन तथा परिवर्तन किये जायेंगे।

हमारी नीति यह है कि इस समय हम अणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं रखते। इसलिए आने वाली पीढ़ी के भाग्य पर प्रतिबन्ध लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में परिस्थितियां क्या रूप धारण करेंगी।

इस सन्धि तथा हमारे देश की सुरक्षा के प्रश्न के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री एल० के० झा इस उद्देश्य हेतु दूसरे देशों में गये थे ताकि पता लगा सके कि यदि हम इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या होगा।

सुरक्षा तथा गारंटी के प्रश्नों को छोड़ कर हमें इस सन्धि के गुणदोषों पर विचार करना है। यह सन्धि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को भी पूरा नहीं करती।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री राम सुभागसिंह) ; मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

केरल की खाद्य स्थिति के बारे में

FOOD SITUATION IN KERALA

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम): इस बीच मैंने आंध्र प्रदेश से ठीक स्थिति का पता लगाने का यत्न किया है जिससे कि मैं केरल को कोई वचन दे सकूंगा । मैंने मद्रास के मुख्य मंत्री से भी सम्पर्क बनाने का यत्न किया था परन्तु वह मिले नहीं । रात को फिर मैं उनसे सम्पर्क स्थापित करने का यत्न करूंगा ।

इस समय केरल में 1187 टन चांवल का अनाज है और 3800 टन चांवल अगले दो अथवा तीन दिन में वहां पर पहुंच जायेगा । आंध्र प्रदेश से 12,000 टन चांवल केरल को भेजा जायेगा । इसके लिए प्रतिदिन दो स्पेशल गाड़ियाँ चलाने का हमारा विचार है। आशा है कि 10 अथवा 12 तारीख को एक जहाज 10,000 टन चावल लेकर केरल पहुंच जायेगा । मैं इस समय इससे अधिक कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ । गेहूँ के बारे में कोई कठिनाई नहीं है ।

इस समय केरल में 12,0010 टन गेहूँ का भण्डार है । अगले तीन चार दिन में 16,000 टन गेहूँ और केरल पहुंच जायेगा । और 20,000 टन गेहूँ भेजने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं । मैंने जो वचन दिये हैं उनको मैं पूरा करूंगा । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : केरल में अनाज के कुछ विलम्ब से पहुंचने पर लोगों को जो कठिनाइयां हुई उनके लिए मुझे बहुत चिन्ता है । मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि इस मामले में मुझे पूरी दिलचस्पी है । मैं अध्यक्ष द्वारा की गई अपील के साथ स्वयं को सम्मिलित करती हूं ।

खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में हमें बड़ी कठिन स्थिति को सामना है । परन्तु, हम खाद्यान्न यथासम्भव शीघ्र केरल पहुंचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हमें देश के अन्य भागों की भी बहुत चिन्ता है । क्योंकि देश के अधिकांश भागों की स्थिति भी वैसी ही है । मैं एक बार पुन: सभा को आश्वासन देती हूं कि जो कुछ भी उपलब्ध है उसको जनता में पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री अ. क. गोपालन (कासागोढ): अध्यक्ष महोदय ने सभा में केरल की खाद्य स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मैं खाद्य मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। खाद्य मंत्री को स्वयं मद्रास जाना चाहिए। पता लगा है कि तनजोर में चार लाख टन धान का मण्डार है। इसलिए खाद्य मंत्री मद्रास के मुख्य मंत्री से केन्द्र को कुछ लाख धान ऋण पर देने की अपील कर सकते हैं। यदि ऐसा हो जाये तो यह धान दो दिनों में भेजा जा सकता है। आंध्र के मुख्य मंत्री से भी अपील की जानी चाहिए। मुझे खेद है कि हमने इस प्रकार से आपको लिखा है परन्तु हमारा तात्पर्य आपका अथवा सदा का निरादर करना नही है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि इस ओर कुछ कार्यवाही की जाये जिससे गत छः महीनों में जो हुआ है वह पुनः न हो।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 'जून 1967। ज्येष्ठ 11, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjonrued till Eleven of the clock on Thursday, the 1st June 1967/11 Jyaistha, 1889 (Saka)